

तृतीय वार्षिक रिपोर्ट 2023-24



म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड
MUNITIONS INDIA LIMITED

भारत सरकार का उद्यम
रक्षा मंत्रालय

विषय सूची

कॉर्पोरेट अवलोकन

02	अध्यक्ष का संदेश
04	कॉर्पोरेट जानकारी
08	निदेशक मंडल
12	हमारे बारे में
13	एमआईएल फूटप्रिंट
15	उत्पाद प्रोफाइल एवं आधुनिकीकरण
21	प्रमुख उपलब्धियां
24	मुख्य समारोह
38	तृतीय वार्षिक आम बैठक की सूचना

वित्तीय विवरण

106	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
135	महालेखा नियंत्रक की टिप्पणी
143	महालेखा नियंत्रक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब
145	तुलन पत्र
147	लाभ और हानि का विवरण
149	नकदी प्रवाह का विवरण
152	इकट्टी में परिवर्तन का विवरण
154	वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

वैधानिक रिपोर्ट

48	निदेशकों की रिपोर्ट
85	कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (अनुबंध-1)
93	सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट (अनुबंध-11)
97	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगमित सामाजिक उत्तर दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट (अनुबंध-111)
102	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट
104	कॉर्पोरेट प्रशासन पर अनुपालन प्रमाण पत्र
105	व्यापार आचार संहिता एवं नैतिकता के लिए प्रमाण पत्र

‘सशस्त्र बलों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण युद्धक्षेत्र
गोला-बारूद से लैस कर प्रतिस्पर्धा में
बढ़त प्रदान करना।’



मिशन

गोला-बारूद क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं
मेक इन इंडिया पहल का प्रमुख संरक्षक बनना।

हमारी रक्षा और मातृभूमि सुरक्षा एजेंसियों के सबसे विश्वसनीय
और पसंदीदा भागीदार के रूप में घरेलू बाजार में नेतृत्व स्थापित
करना और उसे बनाए रखना और समूह को अंतरराष्ट्रीय स्तर के
गोला बारूद निर्माण में विकसित करना।

मुद्रा के लिए बेहतर मूल्य प्रदान करके और हितधारकों
(स्टेकहोल्डर) की अपेक्षाओं को पूरा करके म्यूनिशंस इंडिया
लिमिटेड ब्रांड को बनाना और उसे मजबूत करना।

वैश्विक दक्षताओं के साथ एक शिक्षण संगठन बनना, जो
रचनात्मकता और नवाचार के लिए प्रतिबद्ध हो।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश



प्रिय शेयर धारकों,

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) के निदेशक मंडल की ओर से, मुझे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एमआईएल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

जैसा कि हम एक और उल्लेखनीय वित्तीय वर्ष का समापन कर रहे हैं, मैं एमआईएल परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदर्शित असाधारण एवं अनुकरणीय उपलब्धियों तथा अटूट समर्पण के लिए गर्व और कृतज्ञता की भावना से अभिभूत हूँ।

मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपने लक्ष्य से कई लक्ष्य आगे अधिक प्राप्त कर लिया है। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने परिचालन से राजस्व के रूप में 7221.58 करोड़ रुपये और कर के बाद लाभ के रूप में 558.78 करोड़ रुपये का आँकड़ा प्राप्त किया है। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में 55% की उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त की है।

इसके अलावा, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने 1696.87 करोड़ रुपये मूल्य के गोला-बारूद और विस्फोटकों के निर्यात के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। यह उपलब्धि न केवल वैश्विक स्तर पर हमारी क्षमताओं को रेखांकित करती है, बल्कि नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को भी उजागर करती है। यह विश्व मंच पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ने के लिए हमारी सामूहिक दृष्टि और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है।

भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण तथा स्वयं को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड में, हम प्रगति की इस यात्रा में योगदान देने पर अत्यंत ही गर्व अनुभव करते हैं। सर्वोत्कृष्ट गोला-बारूद, इनिशिएटरी कंपोजिशन, प्रोपोलेंट और उच्च विस्फोटक बनाने की हमारी प्रतिबद्धता भारतीय सशस्त्र बलों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए हमारे समर्पण का प्रमाण है।

जैसा कि हम आगे देखते हैं, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड विनिर्माण सुविधाओं को आधुनिक बनाने, उच्च उत्पादन क्षमता सुनिश्चित करने और सख्त गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के हमारे प्रयासों में दृढ़ है।

हमारा अत्याधुनिक टैंक, एम्युनिशन तथा इन्फ्रॉटरी एम्युनिशन विकसित करने का मिशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' से गहराई से मेल खाता है। हम इन प्रयासों को समर्थन देने के लिए अपने संयंत्र, मशीनरी और प्रक्रिया का आधुनिकीकरण और संवर्द्धन कर रहे हैं, तथा पहले से ही प्राप्त विभिन्न निर्यात ऑर्डरों के साथ वैश्विक स्तर पर अपनी क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं।

मुझे यह घोषणा करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि एमआईएल ने अपनी स्थापना के बाद से 9216 करोड़ रुपये से अधिक के निर्यात ऑर्डर प्राप्त किए हैं, जो रक्षा क्षेत्र में हमारे बढ़ते प्रभाव और विश्वसनीयता को दर्शाता है। भविष्य की ओर देखते हुए, गोला-बारूद और विस्फोटकों की घरेलू आपूर्ति के लिए हमारी ऑर्डर बुक 23403 करोड़ रुपये से अधिक मजबूत है, जो न केवल हमारी उपलब्धियों को दर्शाता है, बल्कि आगे आने वाले आशाजनक एवं सुनहरे भविष्य को भी दर्शाता है।

सुरक्षा एवं गुणवत्ता हमारे संचालन के अपरिहार्य स्तंभ बने हुए हैं। हमने सख्त सुरक्षा उपाय लागू किए हैं और किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए उन पर कड़ी निगरानी रखना जारी रखा है। हमारे उत्पादन प्रोटोकॉल कड़े मानकों का पालन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारी निर्माणियों से निकलने वाला प्रत्येक गोला-बारूद विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता के उच्चतम मानदंडों को पूरा करता है।

निदेशक मंडल एवं कंपनी के सभी कर्मचारियों की ओर से, मैं माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और माननीय पूर्व रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी को उनसे प्राप्त अपार समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं कंपनी के कामकाज में समर्थन और विश्वास के लिए भारत सरकार के रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने का भी अत्यंत आभारी हूँ। मैं अपने कर्तव्यों में विफल हो जाऊंगा, अगर मैं श्री टी. नटराजन, अतिरिक्त सचिव/डीपी, रक्षा मंत्रालय से प्राप्त भरपूर समर्थन को रिकॉर्ड पर नहीं रखता हूँ, जिन्होंने एमआईएल की यात्रा के विभिन्न चरणों में चुनौतियों को दूर करने में हमें सक्षम बनाया है। मैं श्री अनुराग बाजपेयी, अतिरिक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय, श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व संयुक्त सचिव (एलएस), रक्षा मंत्रालय और डीडीपी के अन्य अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने निरंतर मार्गदर्शन के माध्यम से एमआईएल का समर्थन किया है।

अंत में, मैं बोर्ड में अपने सम्मानित सहयोगियों और एमआईएल के सभी कर्मचारियों तथा कंपनी के अन्य हितधारकों को भी उनके द्वारा कंपनी को दिए गए उनके बहुमूल्य समर्थन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद और प्रशंसा व्यक्त करना चाहता हूँ।

(देबाशीष बनर्जी)

निदेशक/मानव संसाधन एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन नंबर 09283921

कॉर्पोरेट जानकारी

निदेशक मंडल

श्री देबाशीष बनर्जी

निदेशक/मानव संसाधन सहित दि.01.03.2024 से
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का अतिरिक्त प्रभार

श्री रवि कान्त

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी)
दि.29.02.2024 को सेवानिवृत्त

श्री सुशांता कुमार राउत

निदेशक/ऑपरेशन
दि. 30/06/2023 को सेवानिवृत्त

श्री प्रकाश अग्रवाल

निदेशक/वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी सहित
दि.01.03.2024 से निदेशक/ऑपरेशन का अतिरिक्त प्रभार

श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव

संयुक्त सचिव (एलएस)
सरकारी नामांकित निदेशक
(दि.08.12.2023 तक)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री महेश चन्द्र
(दि.03.02.2024 तक)

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स ए.के.रस्तोगी एंड एसोसिएट्स,
गाजियाबाद

मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक

श्री अजय कुमार सिंह
(दि.18.04.2023 तक एवं दि.30.01.2024 से)

श्री मोहम्मद जुनून सरवर

(दि.19.04.2023 से दि.29.01.2024 तक)

श्री अनुराग बाजपेयी

अपर सचिव
सरकारी नामांकित निदेशक
(दि.08.12.2023 से)

कंपनी सचिव

श्री ई.जे. पॉल

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स बोरकर एंड मजुमदार,
मुंबई

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया



Accurate. Lethal. Reliable.

शाखा लेखा परीक्षक

मेसर्स एन ए एस ए एंड एसोसिएट्स
चाटर्ड एकाउंटेंट, जबलपुर

मेसर्स राज एंड सुधा
चाटर्ड एकाउंटेंट, त्रिची

मेसर्स शारदा सोनी एसोसिएट्स एलएलपी
चाटर्ड एकाउंटेंट, नागपुर

मेसर्स नगरवाला एंड एसोसिएट्स
चाटर्ड एकाउंटेंट, संबलपुर

मेसर्स चाणक्य अशोक एंड कंपनी
चाटर्ड एकाउंटेंट, पटना

मेसर्स एम जी ए एंड एसोसिएट्स
चाटर्ड एकाउंटेंट, जलगांव

इकाइयों के विभागाध्यक्ष

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की उत्पादन इकाइयां

1. श्री संजय हज़ारी
मुख्य महाप्रबंधक
गोला बारूद फैक्टरी खड़की, पुणे
2. श्री पंकज गोयल
मुख्य महाप्रबंधक
कॉर्डाइट फैक्टरी, अरुवनकाडु
3. श्री विजय बदलू कुरील
मुख्य महाप्रबंधक
अति विस्फोटक निर्माणी खड़की, पुणे
4. श्री ज्ञानेशवर त्यागी
मुख्य महाप्रबंधक
हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी
तिरुचिरापल्ली
5. श्री पी.के. दास
मुख्य महाप्रबंधक
आयुध निर्माणी बड़माल,
6. श्री सुनिल सपरे
मुख्य महाप्रबंधक
आयुध निर्माणी भंडारा
7. श्री बिजॉय कुमार
मुख्य महाप्रबंधक
आयुध निर्माणी चांदा
8. श्री ज्ञानेन्दु कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक
आयुध निर्माणी, देहूरोड
9. श्री आलोक कुमार अग्रवाल
मुख्य महाप्रबंधक
आयुध निर्माणी, इटारसी
10. श्री एम एन हलदार
मुख्य महाप्रबंधक
आयुध निर्माणी, खमरिया
11. श्री एन के अग्रवाल
मुख्य महाप्रबंधक
आयुध निर्माणी, नालंदा
12. श्री राकेश ओझा
मुख्य महाप्रबंधक
आयुध निर्माणी, वरणगांव, महाराष्ट्र

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की गैर उत्पादन इकाइयां

1. श्री ज्योति प्रकाश दाश
मुख्य महाप्रबंधक
एनएडीपी, अंबाझरी
2. श्री मोहम्मद जुनून सरवर
मुख्य महाप्रबंधक
आ.नि.शि.संस्थान, जबलपुर
3. श्री प्रकाश सी नंदा
मुख्य महाप्रबंधक
एमआईएल संरक्षा नियंत्रणालय, पुणे

पंजीकृत कार्यालय

गोला बारुद फैक्टरी खड़की, पुणे,
महाराष्ट्र -411003

CIN No.U29190PN2021GOI203505

निगमित कार्यालय

दूसरी मंजिल, न्याति यूनिट्री, नगर रोड, येरवडा, पुणे - 411 006
दूरभाष सं. 020-67080400

ई-मेल : mil-pune@munitionsindia.in

वेबसाइट: <https://munitionsindia.in>

एमआईएल की उत्पादन इकाइयां

1. गोला बारुद फैक्टरी खड़की,
पुणे, महाराष्ट्र -411003
2. कॉर्डाइट फैक्टरी, अरुवनकाडु
अरुवनकाडु- 643202, तमिलनाडु
3. अति विस्फोटक निर्माणी खड़की
पुणे, महाराष्ट्र -411003
4. हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी
तिरुचिरापल्ली-620025, तमिलनाडु
5. आयुध निर्माणी, भंडारा
भंडारा - 441906, महाराष्ट्र
6. आयुध निर्माणी बड़माल,
बड़माल, बोलंगीर - 767070, उड़ीसा
7. आयुध निर्माणी, चांदा
चांदा- 442501, महाराष्ट्र
8. आयुध निर्माणी, देहूरोड
पुणे- 412101, महाराष्ट्र
9. आयुध निर्माणी, इटारसी
इटारसी- 461122, मध्य प्रदेश
10. आयुध निर्माणी, खमरिया
जबलपुर - 482005, मध्य प्रदेश
11. आयुध निर्माणी, नालंदा
राजगीर - 803121, बिहार
12. आयुध निर्माणी, वरणगांव
वरणगांव- 425308, महाराष्ट्र

एमआईएल की गैर उत्पादन इकाइयां

1. राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी
अंबाझरी, नागपुर-440021
2. आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान
खमरिया, जबलपुर - 482005, मध्य प्रदेश
3. क्षेत्रीय संरक्षा नियंत्रणालय
खड़की, पुणे-411003 महाराष्ट्र

निदेशक मंडल



श्री रवि कान्त, भा.आ.नि.से. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी)

श्री रविकांत प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर योग्यता के साथ मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्हें रक्षा उत्पादन उद्योग में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 1987 में यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के माध्यम से सहायक कार्य प्रबंधक के रूप में भारतीय आयुध निर्माणियां संगठन में शामिल हुए और आगे बढ़े। तब से इस यात्रा के दौरान, उन्होंने 2 दशकों से अधिक समय तक गोला-बारूद (विस्फोटक और हार्डवेयर दोनों) और आयुध के उत्पादन और योजना में विभिन्न क्षमताओं में काम किया। उन्होंने 5 वर्षों तक सचिव/आयुध निर्माणी बोर्ड के रूप में कार्य किया है। वे आयुध निर्माणी बोर्ड के विभिन्न हथियार प्रणालियों एवं गोला-बारूद की प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में सक्रिय रूप से कार्यरत रहे हैं। उन्होंने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए रूस, इजराइल, बेल्जियम, इटली, ब्राजील, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन आदि में रक्षा विनिर्माण निर्माणियों का दौरा किया है।

श्री रवि कान्त ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया है। इस अवधि के दौरान उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और नौसेना प्रणालियों के पूंजी अधिग्रहण, तीनों सेनाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से संबंधित कार्य किया। इस अवधि के दौरान, वे सामरिक भागीदारी मॉडल को बनाने में सक्रिय रूप से जुड़े रहे।

श्री रवि कान्त ने अगस्त 2019 से सितंबर 2021 तक आयुध निर्माणी खमरिया, जबलपुर के महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। यह निर्माणी भारत की सबसे बड़ी आयुध निर्माणी है जो सेना, नौसेना एवं वायु सेना के लिए विभिन्न प्रकार के एम्युनिशन के उत्पादन में लगी हुई है।

श्री रवि कान्त ने 1 अक्टूबर 2021 को नवनिर्मित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) पुणे के प्रथम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है। वे दि. 29/02/2024 को म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड से सेवानिवृत्त हुए हैं।



श्री देबाशीष बनर्जी,
निदेशक/मानव संसाधन
सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार
01/03/2024 से प्रभावी

श्री देबाशीष बनर्जी, मेनटेनेन्स मैनेजमेंट एवं सामाजिक विज्ञान में एम.फिल की योग्यता रखने वाले मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने आईआईएम, बैंगलोर से मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। उन्हें रक्षा उत्पादन उद्योग क्षेत्र का 33 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्होंने यूपीएससी की इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के माध्यम से भारतीय आयुध निर्माणी संगठन में वर्ष 1989 में पश्चिम बंगाल में स्थित आयुध निर्माणी दमदम में सहायक कार्य प्रबंधक के रूप में अपनी सेवा आरंभ की। तीन दशक से अधिक की अपनी सेवाकाल के दौरान, उन्होंने एम्युनिशन एवं विस्फोटक समूह, हथियार समूह, बख्तरबंद वाहन निर्माणियों के समूह में कार्य किया है। इस अवधि के दौरान उन्होंने उत्पादन, योजना, गुणवत्ता नियंत्रण, इंजीनियरिंग, रखरखाव, प्रशासन, प्रोविजन एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे लगभग हर क्षेत्र में विभिन्न उत्पादन इकाइयों में विभिन्न स्तरों पर कार्य किया है।

श्री देबाशीष बनर्जी, ने सितंबर, 2020 से सितंबर, 2021 तक इंजिन निर्माणी आवडी के महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। यह निर्माणी टैंक टी-72, टैंक टी-90 और बीएमपी II वाहन के लिए इंजिन के उत्पादन में लगी हुई है। इस अवधि के दौरान निर्माणी ने अपने इनपुट कंपोनेन्ट्स का 100% स्वदेशीकरण हासिल किया।

श्री देबाशीष बनर्जी, ने 1 अक्टूबर, 2021 को नव निर्मित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे के पहले निदेशक/मानव संसाधन के रूप में पदभार ग्रहण किया।

श्री देबाशीष बनर्जी 1 मार्च 2024 से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) पुणे के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार देख-रेख रहे हैं। एमआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के साथ, ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज फैक्टरिटी के श्री देबाशीष बनर्जी भारत के सबसे मूल्यवान रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के प्रमुख हैं। 12 आयुध निर्माणी वाली यह कंपनी विभिन्न प्रकार के गोला-बारुद और विस्फोटकों के उत्पादन में लगी हुई है।



श्री एस.के. राउत,
निदेशक/ऑपरेशन

श्री एस.के. राउत, बीएससी, मैकेनिकल इंजीनियर हैं एवं IGNOU से एमबीए में स्नातकोत्तर हैं। उन्हें रक्षा उत्पादन उद्योग में 33 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्होंने यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के माध्यम से भारतीय आयुध निर्माणी संगठन में वर्ष 1989 में पश्चिम बंगाल में स्थित राइफल फैक्ट्री, ईशापुर में सहायक कार्य प्रबंधक के रूप में सेवा आरंभ की। उन्होंने लगभग 2 दशकों तक उत्पादन, योजना, संयंत्रों के रखरखाव, सुरक्षा एवं गुणवत्ता के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न उत्पादन इकाइयों में कार्य किया।

श्री एस.के. राउत ने राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबाझरी (आईओएफएस एवं संबद्ध स्थापना के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक एकल संस्थान) में 3 1/2 वर्ष तक अपर प्रधान निदेशक के रूप में कार्य किया एवं सेवा अधिकारियों और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) का आयोजन किया है। उन्होंने प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए रूस और फ्रांस की रक्षा विनिर्माण निर्माणियों का दौरा किया है।

श्री एस.के. राउत ने दिसंबर 2020 से सितंबर 2021 तक आयुध निर्माणी वरणगांव के महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया है। यह निर्माणी हमारे रक्षा बलों के लिए स्मॉल आर्म्स एम्युनिशन जैसे 5.56 मिमी और 7.62 मिमी बॉल पावडर एम्युनिशन के विनिर्माण में लगी हुई है।

श्री एस.के. राउत ने 1 अक्टूबर 2021 को नवनिर्मित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) पुणे के पहले निदेशक/ऑपरेशन के रूप में कार्य किया। वे दि.30.06.2023 को म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड से सेवानिवृत्त हुए हैं।



श्री प्रकाश अग्रवाल

निदेशक/वित्त. एवं मुख्य वित्त अधिकारी

निदेशक/ऑपरेशन का अतिरिक्त प्रभार

01/03/2024 से प्रभावी

श्री प्रकाश अग्रवाल एनआईटी कुरुक्षेत्र से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं एवं आईआईएम, कोलकाता से एमबीए हैं। वे 1990 बैच के आईओएफएस अधिकारी हैं।

राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबाझारी, नागपुर में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात, उन्होंने 1992 में पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) में अपनी सेवा आरंभ की, जहां विपणन एवं निर्यात का एक नया प्रभाग स्थापित किया गया था। पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्हें विपणन, निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का दीर्घ अनुभव है। इस दौरान उन्हें प्रतिष्ठित 'आयुध भूषण' पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया।

श्री प्रकाश अग्रवाल ने आयुध उपस्कर निर्माणी, कानपुर एवं उसके बाद आयुध उपस्कर निर्माणी, मुख्यालय, कानपुर में निर्माणी स्तर पर सामग्री प्रबंधन, उत्पादन योजना, गुणवत्ता नियंत्रण आदि क्षेत्रों में भी कार्य किया है।

श्री प्रकाश अग्रवाल पुणे में नवनिर्मित DPSU, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (MIL) में महाप्रबंधक, व्यवसाय विकास एवं वित्त के रूप में कार्यग्रहण करने से पूर्व वर्ष 2021 तक विपणन एवं निर्यात के उप महानिदेशक के रूप में तीन वर्ष तक आ.नि.बोर्ड, कोलकाता में सेवा की।

रक्षा निर्यात संवर्धन एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्षेत्र का उन्हें दीर्घ अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है।

श्री प्रकाश अग्रवाल ने 16 जून, 2022 को एमआईएल में निदेशक/वित्त का पदभार ग्रहण किया। वे एमआईएल के मुख्य वित्त अधिकारी (CFO) हैं।

श्री प्रकाश अग्रवाल ने 1 मार्च, 2024 से निदेशक/ऑपरेशन का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया।



संयुक्त सचिव (एलएस)

श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव

सरकारी नामांकित निदेशक

(दि. 08.12.2023 तक)

श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव को कंपनी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बी.टेक एवं एम.टेक की उपाधि प्राप्त की है एवं वे पश्चिम बंगाल कैडर के 1996 बैच के भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी हैं। इससे पूर्व उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के वन विभाग में विभिन्न पदों जैसे प्रभागीय वन अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम में 7 वर्ष से अधिक तक कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया।

वर्तमान में, वे रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव (भूमि प्रणाली) के पद पर कार्यरत हैं।



श्री अनुराग बाजपेयी
अपर सचिव
सरकारी नामांकित निदेशक
(दि. 08.12.2023 से)

श्री अनुराग बाजपेयी भारतीय वन सेवा के 1994 बैच के अधिकारी हैं। वे अर्थशास्त्र, वित्तीय प्रबंधन एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), रोम में एक परियोजना पर तीन माह तक कार्य किया है। उन्होंने 32 देशों की यात्रा की है एवं उन्हें नीति नियोजन और प्रशासन का अनुभव है।

भारत सरकार में श्री अनुराज बाजपेयी ने कानूनी ढांचे के भीतर वानिकी मंजूरी की प्रक्रिया में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत की पहली पवन ऊर्जा नीति तैयार की। कौशल विकास, शिक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास और महिला सशक्तिकरण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में क्रमशः पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और अल्पसंख्यांक मामलों के मंत्रालय में सहायक वन महानिरीक्षक, उप सचिव एवं निदेशक के रूप में कार्य किया।

अपने मूल कैडर अर्थात् मणिपुर में, उन्होंने प्रभागीय वन अधिकारी से लेकर विभिन्न वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है एवं प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया है। उन्होंने वन एवं पर्यावरण विभाग और कपडा, वाणिज्य और उद्योग विभाग में कार्य किया है। रक्षा मंत्रालय में उत्पादन

विभाग में कार्यग्रहण करने से पूर्व वे भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। वे वन विभाग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक थे और मणिपुर में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में पारंपारिक कारीगरों और शिल्पकारों के आर्थिक सशक्तिकरण मिशन (एमईईटीएसी) के सीईओ थे।

हमारे बारे में

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (डीपीएसई) है।

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी विनिर्माता और मार्केट लीडर है जो सेना, नौसेना, वायु सेना और अर्ध-सैन्य बलों के लिए एम्युनिशन एवं विस्फोटकों की व्यापक रेंज के उत्पादन, परीक्षण अनुसंधान एवं विकास और विपणन में लगी हुई है।

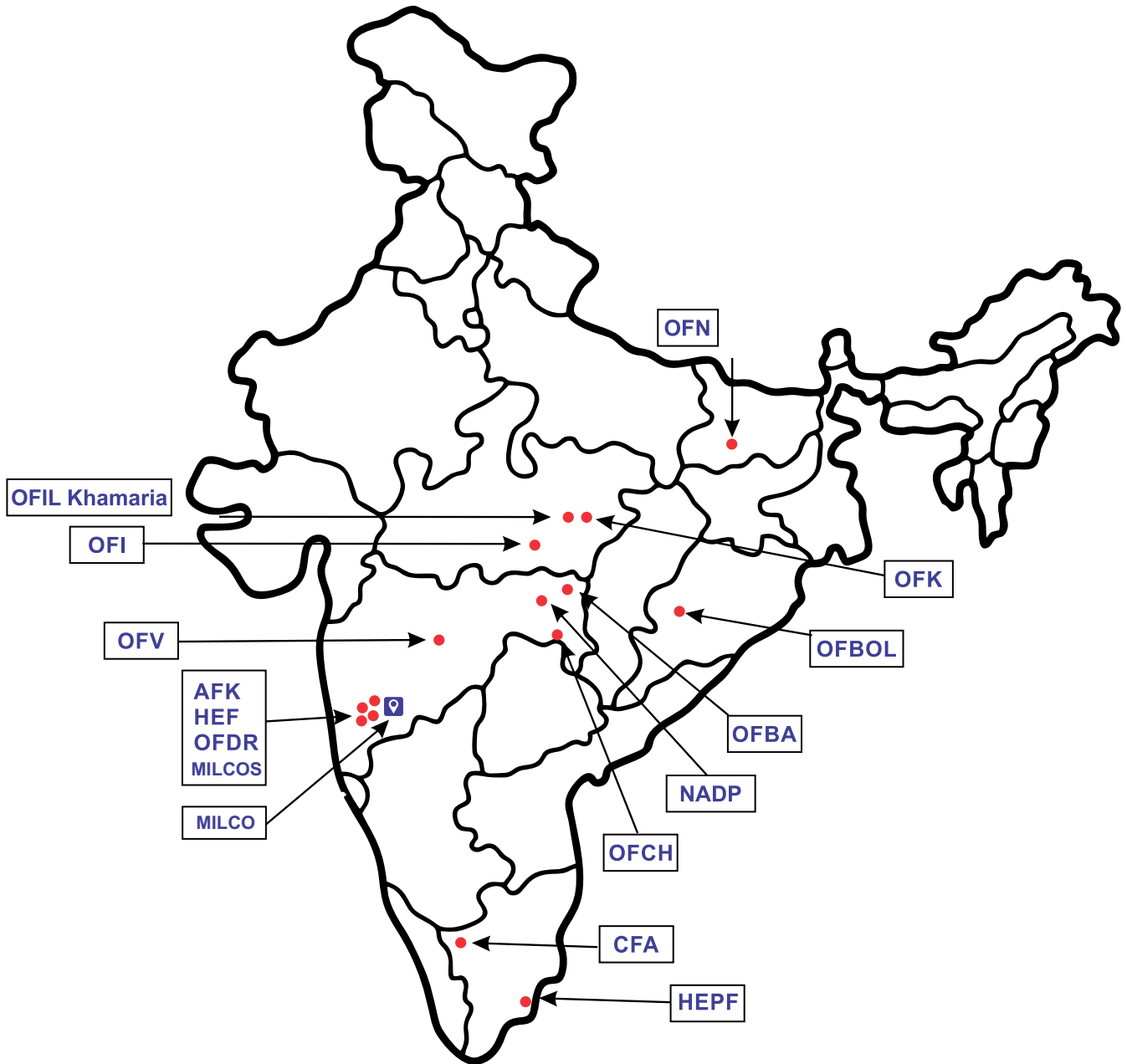
एमआईएल भारत के पुणे शहर में कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ, देश भर में स्थित अपनी 12 अत्याधुनिक निर्माण इकाइयों में लगभग 21,822 के कुशल कार्यबल के साथ कार्यरत है। इन निर्माणियों ने 150 से अधिक वर्षों से इनिशियेटरी कंपोजिशन, प्रोपेलेंट और हाई एक्सप्लोसिव के इन-हाउस निर्माण के साथ छोटे, मध्यम एवं उच्च कैलिबर के गोला-बारूद, मोर्टार, रॉकेट, हैंड ग्रेनेड आदि के उत्पादन के लिए एकीकृत आधार साबित किया है। हमारा प्राथमिक उद्देश्य सशस्त्र बलों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण युद्धक्षेत्र एम्युनिशन से लैस कर प्रतिस्पर्धी बढ़त प्रदान करना है।

हमारे विदेशी ग्राहकों में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया में स्थित देश शामिल हैं। भारत और विदेशों में अपने ग्राहकों से हमें जो संरक्षण मिलता है, वह हमारे उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता में उनके विश्वास को दर्शाता है। हम सशस्त्र बलों के पीछे की एक मजबूत शक्ति हैं।

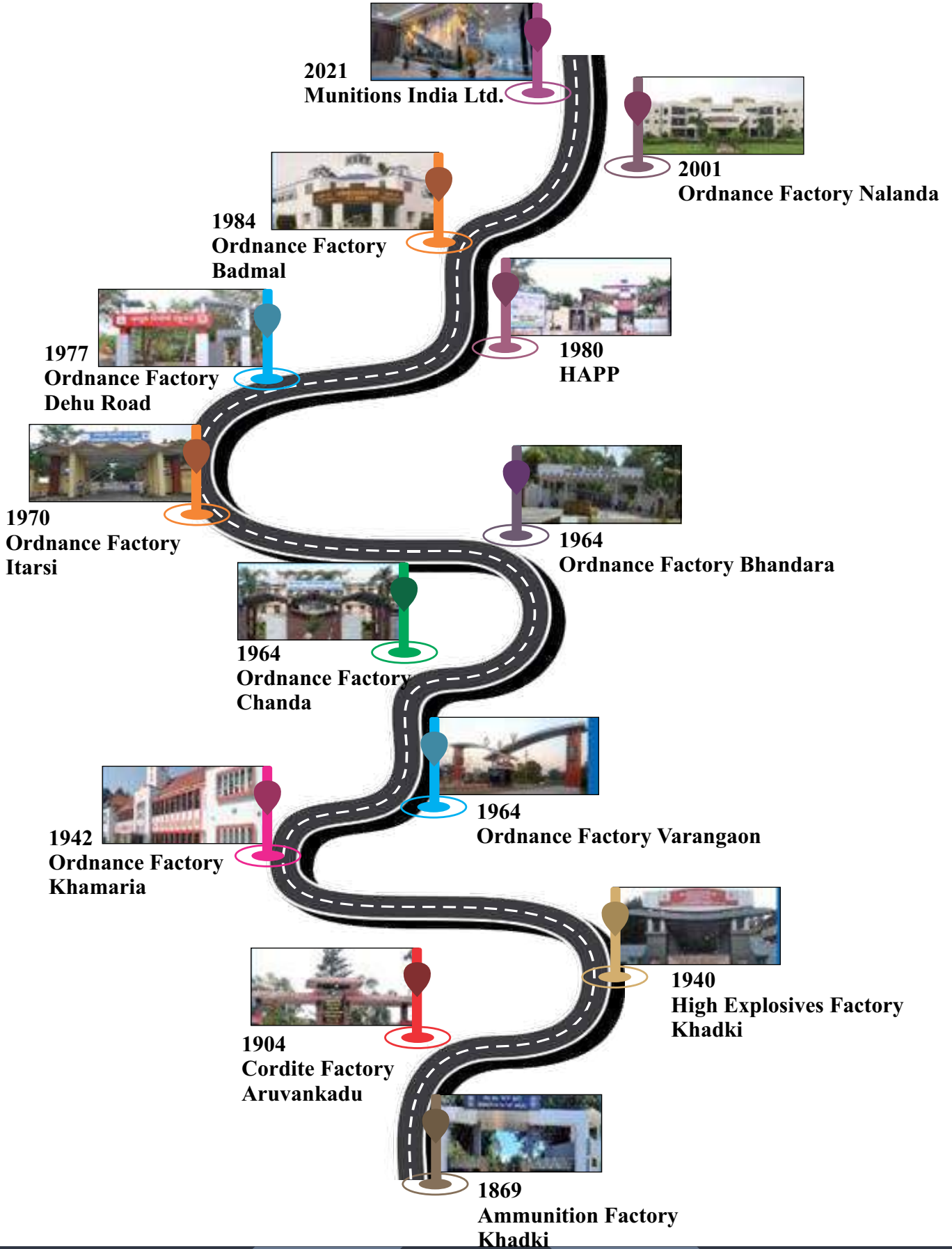
एमआईएल अपनी 12 निर्माण इकाइयों के साथ निम्नलिखित उपलब्ध कराती है:

- * बहु-प्रौद्योगिकी क्षमताओं के साथ एक व्यापक एवं बहुमुखी उत्पादन आधार
- * अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाएं
- * कुशल एवं पेशेवर रूप से योग्य जनशक्ति और प्रबंधकीय कार्मिकों का एक बड़ा समूह
- * गुणवत्ता मानकों का सख्त पालन (सभी इकाइयां आईएसओ-9000 प्रमाणित हैं)
- * आवश्यकता के आधार पर शोधन और संशोधन करने के लिए मूल और अनुकूली अनुसंधान एवं विकास
- * औद्योगिक प्रशिक्षण एवं परीक्षण के लिए एक मजबूत आधार

एम आई एल फुटप्रिंट्स उत्पादन और गैर उत्पादन इकाइयां

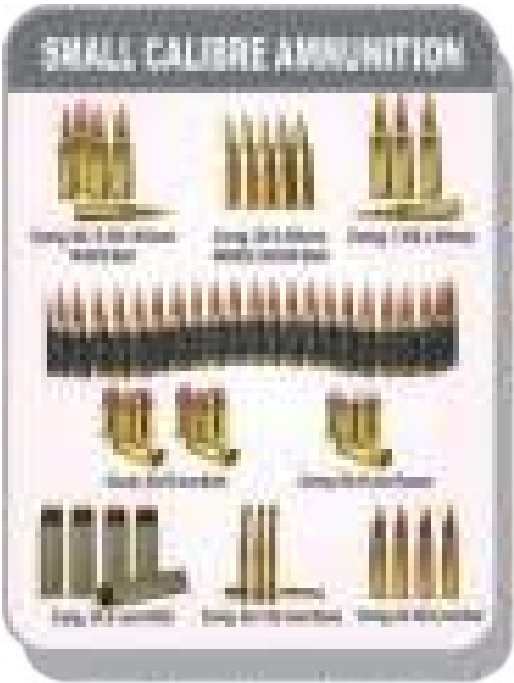


एम आई एल यात्रा



उत्पाद प्रोफाइल

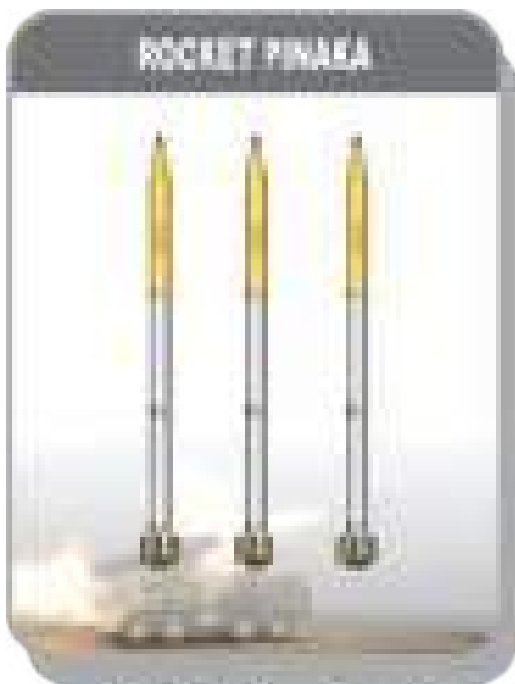
एमआईएल के उत्पाद पोर्ट फोलियो में गोला-बारूद, विस्फोटक, पायरोतकनीक और अन्य रक्षा संबंधी उत्पाद शामिल हैं । म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड अपने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए जाना जाता है जो भारतीय सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और निर्यात के सख्त मानकों तथा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं ।



उत्पाद प्रोफाइल



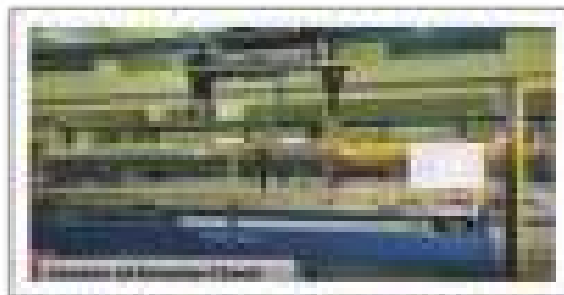
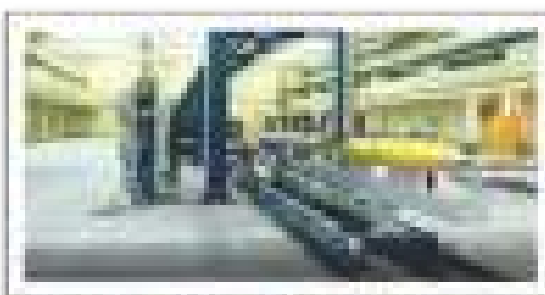
उत्पाद प्रोफाइल



आधुनिकीकरण

पिनाका

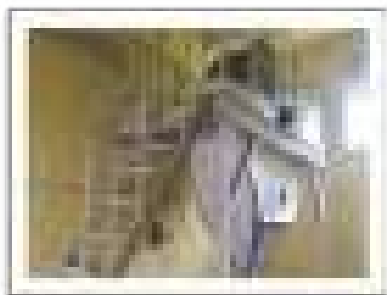
मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका की उत्पादन क्षमता एमआईएल निर्माणियों में रुपये 572 करोड़ के निवेश के साथ प्रति वर्ष 1000 से 2500 रॉकेट तक बढ़ाया गया। एचईपीएफ त्रिची, आयुध निर्माणी चांदा, आयुध निर्माणी देहूरोड और आयुध निर्माणी इटारसी इस रॉकेट के उत्पादन में लगे हुए हैं।



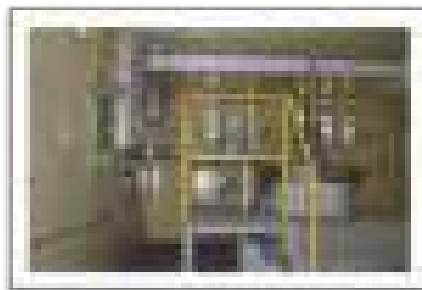
पिनाका रॉकेट एसेम्बली लाइन

ख) मैंगो परियोजना

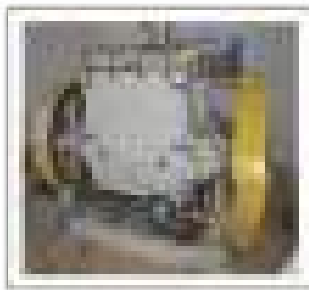
AMK-339 FSAPDS (MANGO) सेना की आवश्यकता के अनुसार, 125 मि.मी.FSAPDS गोला-बारूद के निर्माण की क्षमता, टैंक T-72 और T-90 के लिए मुख्य गोला-बारूद, रूस द्वारा दी गई तकनीक के अनुसार स्थापित किया जा रहा है।



Polishing Drum for SBP



Centrifuge



Kneading



Table Dryer



DPA Mixer.



Dry Curing Cabinet



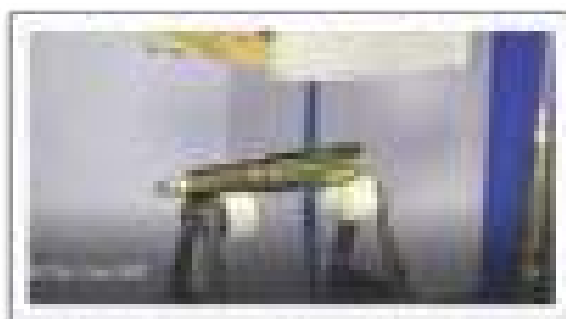
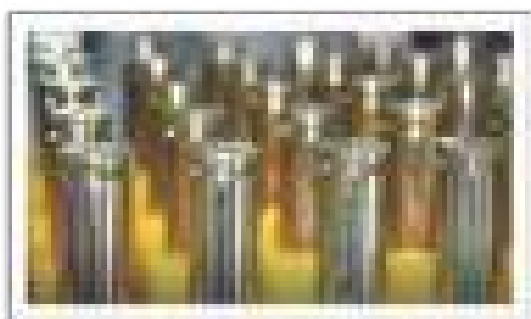
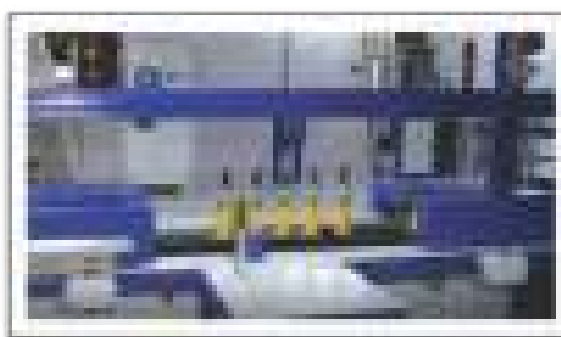
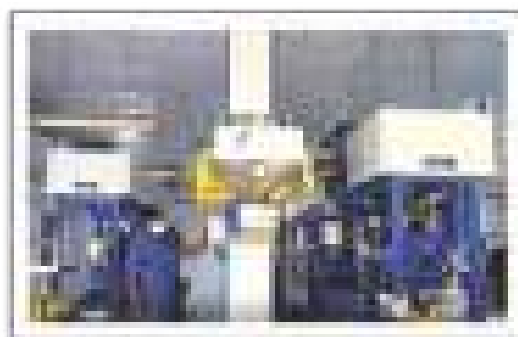
Sintering Process



MANGO Manufacturing Process

30 एमएम बीएमपी-॥ एम्युनिशन

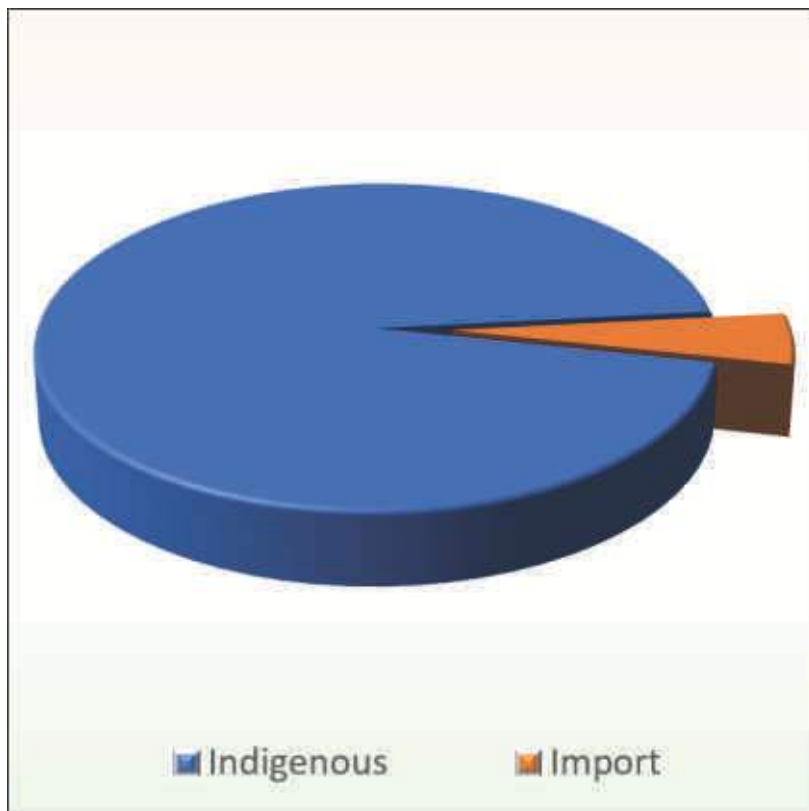
आयुध निर्माणी खमरिया ने स्वदेशी रूप से 30 एमएम बीएमपी-॥ गोला बारूद के निर्माण के लिए असेंबली लाइन तैयार की है। आयुध निर्माणी खमरिया द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर संयंत्र का निर्माण भारतीय उद्योग द्वारा किया गया था। यह नई तकनीक विकसित करने में आयुध निर्माणी खमरिया द्वारा भारतीय उद्योग की मदद में एक शानदार उदाहरण है।



प्रमुख उपलब्धियां

स्वदेशीकरण : “आत्मनिर्भर भारत”

वर्तमान स्वदेशीकरण सामग्री-95%



सफलतापूर्वक उत्पादों का विकास

- 40 एमएस एमआईएल-25 (वीओजी-25 के समकक्ष)
- 30 एमएस एमआईएल-17 (वीओजी-17 के समकक्ष)
- 500 किलो जीपी बॉम्ब
- उच्च मझल वेग के साथ कार्ट्रिज 7.62 X 39 (एके 203 के लिए उपयुक्त)
- 105 एमएम ब्लॉक एम्युनिशन
- मल्टी मोडल हैंड ग्रेनेड
- 81 एमएम अटल स्मोक ग्रेनेड
- 9 एमएम सबसोनिक एम्युनिशन
- .338 लापुआ मैग्रम एम्युनिशन
- 7.62 X 54 पीकेटी एम्युनिशन
- आर्टिलरी फ्यूज पीडीएम 557
- 76/62 पीकेटी एम्युनिशन
- यूबीजीएल एवं एमजीएल के लिए कम वेग वाले ग्रेनेड के वेरिएंट
- पिनाका डीपीआईसीएम, ईआर वेरिएंट

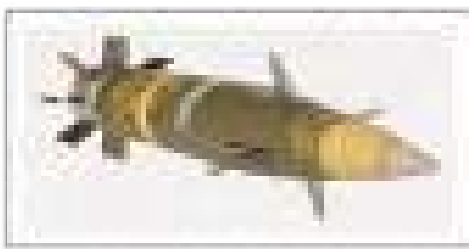


विकास के अंतर्गत उत्पाद

- * दोहरे उद्देश्य बेहतर पारंपरिक युद्ध सामग्री (डीपीआईसीएम) वारहेड
- * मल्टी इनफ्लुएंस ग्राउंड माइन (एमआईजीएम)
- * वरुण अस्त्र वारहेड
- * वायु सेना बमों के लिए हीट-751, एचईडीपी-502 और स्मोक-469 सी एम्युनिशन
- * 125 मिमी एफएसएपीडीएस गोला बारुद (प्रवेश की गहराई 550 मिमी)
- * वायुसेना बमों के लिए फ्यूज
- * गाइडेड एरियल बम
- * ड्रोन वितरित एम्युनिशन (होमिंग और मार्गदर्शन के साथ वितरण प्रणाली)

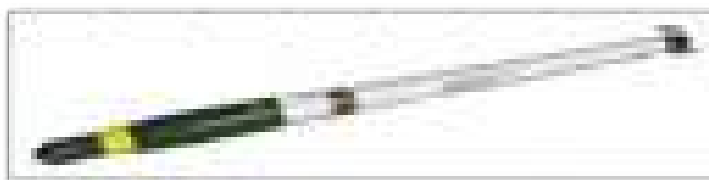
155 एमएम स्मार्ट एम्युनिशन

155 एमएम स्मार्ट गोला बारूद सटीक हमलों की अनुमति देकर और साथ ही साथ संपार्श्विक क्षति को कम करके आर्टिलरी गन की क्षमता बढ़ाने में सक्षम बनाता है।



वायु सेना के लिए 70 एमएम रॉकेट:-

70 एमएम रॉकेट मुख्य रूप से हवा से जमीन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये रॉकेट एंटी-कर्मियों, हवा से जमीन पर दमन और रोशनी का प्रदर्शन कर सकते हैं।



70 एमएम रॉकेट के प्रमुख कंपोनेंट हैं:-

नए उत्पाद के विकास पर एकेडेमिया के साथ एमआईएल द्वारा की गई बातचीत।

एमआईएल उत्पादन गतिविधियों के लिए विशिष्ट डोमेन विशेषज्ञ को भी नियुक्त कर रहा है। यदि आवश्यक हुआ तो स्वदेशीकरण गतिविधियों के लिए डोमेन विशेषज्ञ को नियुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा, एमआईएल विकास कार्यों के लिए विभिन्न शिक्षाविदों के साथ सहयोग कर रहा है।

उदाहरण

आईआईटी मद्रास की सहायता से स्मार्ट 155 एमएम एम्युनिशन (आईएसए-इंडियन स्मार्ट एम्युनिशन) और 30 एम्युनिशन का विकास।

आईआईटी कानपुर की सहयोग से उच्च ऊर्जा अणुओं का स्वदेशी विकास।

इसके अलावा, आईआईटी मद्रास द्वारा 07 अगस्त, 2023 से गोला बारूद प्रौद्योगिकी में एमआईएल के कर्मचारियों के लिए एम.टेक कार्यक्रम शुरू हुआ।

मुख्य समारोह

26 जनवरी, 2024 के अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा ध्वजारोहण





1 अक्टूबर 2023 को स्थापना दिवस समारोह के दौरान एमआईएल के कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण







विशिष्ट अतिथियों का एमआईएल एवं मुख्यालय में दौरा







म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
श्री रवि कान्तजी का विदाई समारोह





27 फरवरी 2024 को एमआईएल कॉर्पोरेट कार्यालय, पुणे में सदस्यों (कर्मचारी पक्ष) के साथ परामर्श तंत्र की बैठक

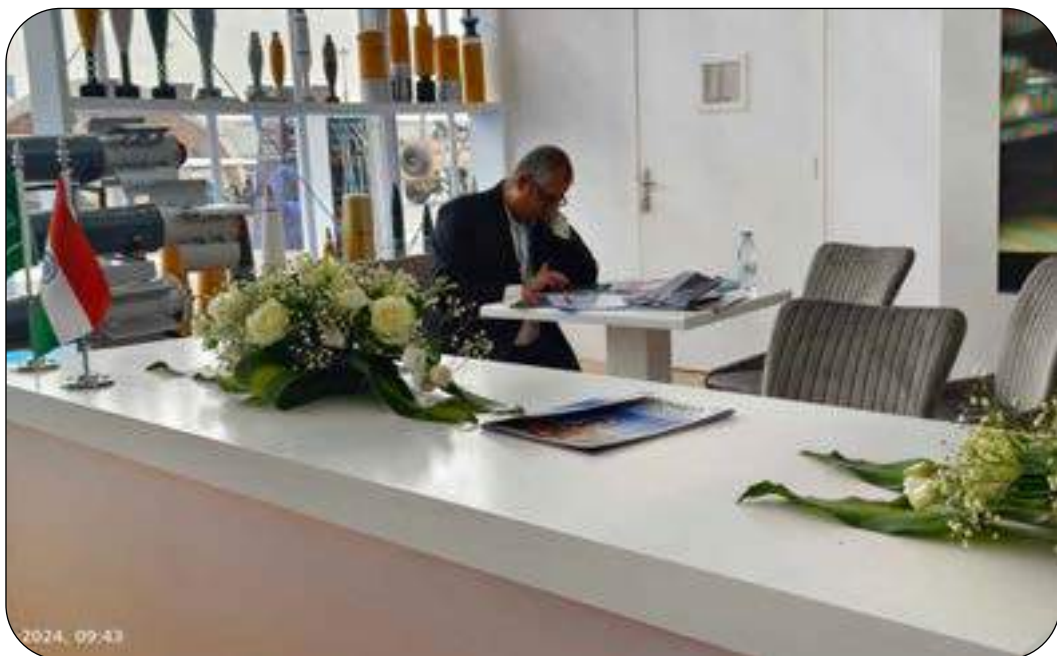




सऊदी अरब के रियाद में विश्व रक्षा शो 2024 के दौरान एमआईएल को निर्यात ऑर्डर मिला



विश्व रक्षा शो-2024 रियाद, सऊदी अरब में एमआईएल का स्टॉल



तृतीय वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की तीसरी वार्षिक आम बैठक गुरुवार, **26 सितंबर 2024** को **शाम 04:00 बजे** कॉर्पोरेट कार्यालय-द्वितीय तल, न्याति यूनिट्री, नगर रोड, येरवडा, पुणे- 411006 में आयोजित की जाएगी एवं नीचे उल्लिखित कामकाज को पूरा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया जाएगा -

सामान्य कामकाज

1. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक की रिपोर्ट, लाभ और हानि का लेखापरीक्षित विवरण और नकदी प्रवाह विवरण को पढ़ना, विचार करना और अपनाना। 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां तथा निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना।

“यह निश्चय किया गया कि 31 मार्च, 2024 तक की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, निदेशक की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को एतद्वारा पढ़ा गया, उन पर विचार किया गया और अपनाया गया।

विशेष कामकाज

2. लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त हो तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के उसे पारित करना:

“यह निश्चय किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा नियम, 2014, और कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के साथ उसके तहत बनाए गए नियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन या वर्तमान में लागू पुनः अधिनियमन सहित) के प्रावधान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड का ऑडिट करने के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, पुणे, लागत लेखाकार (फर्म रजिस्टर नंबर 000030) की नियुक्ति के लिए कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति दी जाती है।

आगे यह संकल्प लिया गया कि लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक रु. 1,77,000/- (एक लाख सतहत्तर हजार रुपये) (कर एवं बाहरी खर्च सहित) ऐसे शुल्क और ऐसे नियमों और शर्तों पर, जैसा कि प्रस्ताव के लिए अनुरोध में उल्लिखित है और जिस पर लागत लेखा परीक्षकों द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है, को कंपनी के सदस्यों द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है।

3. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शाखा लेखा परीक्षा शुल्क में वृद्धि।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त हो तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के उसे पारित करना:

“यह निश्चय किया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शाखा लेखापरीक्षा का लेखापरीक्षा शुल्क नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होगा ;

क्र.सं.	इकाई का नाम और पता	संक्षेपाक्षर	ऑडिट शुल्क (₹)
1	आयुध निर्माणी चांदा, चंद्रपुर	ओएफसीएच	2,50,000/-
2	आयुध निर्माणी खमरिया, जबलपुर	ओएफके	2,50,000/-
3	आयुध निर्माणी बडमाल, बोलंगीर	ओएफबीएल	2,50,000/-
4	आयुध निर्माणी भंडारा	ओएफबीए	2,00,000/-
5	आयुध निर्माणी वरणगांव	ओएफवी	2,00,000/-
6	आयुध निर्माणी इटारसी	ओएफआई	2,00,000/-
7	आयुध निर्माणी नालंदा	ओएफएन	2,00,000/-
8	कॉर्डाइट निर्माणी अरुवनकाडु	सीएफए	2,00,000/-
9	एचईपीएफ, तिरुचिरापल्ली	एचईपीएफ	2,00,000/-
10	राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबाझरी, नागपुर	एनएडीपी	1,75,000/-
11	आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, खमरिया, जबलपुर	ओएफआईएल खमरिया	1,75,000/-

4. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कर लेखा परीक्षक की नियुक्ति और कर लेखा परीक्षा शुल्क को मंजूरी

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त हो तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के उसे पारित करना :

“यह निश्चय किया गया कि केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षक (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीएजी द्वारा नियुक्त) को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एमआईएल कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए कर लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

आगे यह संकल्प लिया गया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर ऑडिट का पारिश्रमिक 7,50,000/- रुपये (सात लाख पचास हजार रुपये मात्र) होगा, जिसमें कर और जेब से होने वाले खर्च शामिल नहीं होंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

(ई. जे. पॉल)
कंपनी सचिव
एम.नं.एफसीएस-4521

स्थान: पुणे
दिनांक: 19/09/2024

टिप्पणी :

1. बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने का हकदार सदस्य, स्वयं के स्थान पर उपस्थित होने और मतदान करने के लिए किसी प्रॉक्सी को नियुक्त करने का हकदार है और उस प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
2. सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगामी दूसरी वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं।
3. वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दूसरी वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के प्रयोजनार्थ गिना जाएगा।
4. बैठक के दौरान सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
finance@munitionsindia.in. पर प्रश्न पहले से भी दिए जा सकते हैं।
5. वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रवेश हेतु लिंक बैठक से दो दिन पहले साझा किया जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार व्याख्यात्मक वक्तव्य :

2. पत्र संख्या CC/051/2024-25, दिनांक 29/05/2024 के माध्यम से, सीएमए फर्म धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, पुणे ने उसी दर अर्थात रु. 1,77,000/- (एक लाख सतहत्तर हजार रुपये) (कर और जेब से खर्च सहित) पर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखा परीक्षा कराने के लिए सहमति पत्र प्रस्तुत किया है।

सीएमए फर्म धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स एमआईएल की पहली लागत लेखा परीक्षक है और इसने वित्त वर्ष 2022-23 का पहला लागत लेखा परीक्षा सफलतापूर्वक पूरा किया है। वित्त वर्ष 2023-24 का दूसरा लागत लेखा परीक्षा भी उनके द्वारा किया जा रहा है। प्रारंभिक वर्षों में व्यक्ति की निरंतरता और स्थिरता बनाए रखने के लिए, लागत लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स की नियुक्ति का विस्तार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित है।

कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम 2014 के नियम 6 के उप-नियम (1) के अनुसार, 'नियम 3 में निर्दिष्ट कंपनियों की श्रेणी और नियम 4 में निर्धारित सीमाएँ, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर, एक लागत लेखा परीक्षक नियुक्त करेंगी'। इसलिए, एमआईएल को 27 सितंबर 2024 से पहले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखा परीक्षक नियुक्त करना होगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों का ऑडिट करने के लिए सीएमए फर्म धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, पुणे को कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है। पारिश्रमिक 1,77,000/- (एक लाख सतहत्तर हजार रुपये) (कर और जेब से बाहर के खर्च सहित) होगा। इसके अलावा, उद्धृत मूल्य को कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदित/अनुमोदित किया जाएगा।

निदेशक मंडल ने 05 अगस्त, 2023 को आयोजित अपनी 02/2024-25 बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया था।

“यह निश्चय किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा नियम, 2014, और कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के साथ उसके तहत बनाए गए नियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन या वर्तमान में लागू पुनः अधिनियमन सहित) के प्रावधान के अनुसार, और कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, मेसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, पुणे, लागत लेखाकार (फर्म रजिस्टर नंबर- 000030),

को कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड का ऑडिट करने के लिए उनके कार्यकाल को बढ़ाया जा रहा है।

आगे यह संकल्प लिया गया कि लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक रु. 1,77,000/- (एक लाख सतहत्तर हजार रुपये) (कर और जेब से बाहर के खर्च सहित) ऐसे शुल्क और ऐसे नियमों और शर्तों पर, जैसा कि प्रस्ताव के लिए अनुरोध में उल्लिखित है और लागत लेखा परीक्षक द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है, को अंतिम रूप दिया गया है जो कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन/ अनुसमर्थन के अधीन है।

आगे यह संकल्प लिया गया कि कंपनी के कंपनी सचिव श्री ई.जे. पॉल को इस संबंध में सभी ऐसे कार्य, कर्म और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो पूर्वोक्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या प्रासंगिक हो सकते हैं।”

किसी भी निदेशक को इस प्रस्ताव में रुचि नहीं है।

- सीएजी के पत्र संख्या/सीए.वी/सीओवाई/केंद्र सरकार, एमआईएल(13)/627, दिनांक 18/09/2023 के अनुसार, सीएजी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत वैधानिक लेखापरीक्षा और शाखा लेखापरीक्षक की नियुक्ति की है। सीएजी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वैधानिक लेखापरीक्षा और शाखा लेखापरीक्षक की कुल लेखापरीक्षा फीस भी दी है। इसका विवरण नीचे संलग्न है-

Sl. No.	Firm Name	PSU Code / Unit Code	Station	Audit Details	Fees per annum in Rs (As intimated by the PSU)
STATUTORY AUDITOR					
1	S P C M & ASSOCIATES (WR0483) C.T.S No. 6616, Plot No.491 5th Floor, Center Point, Mitra Mandal Chowk, Parvati, PUNE PUNE - 411009,MAHARASHTRA	MIL STAR (1)	PUNE	CENTRAL AUDITOR INCLUDING HQ. AMUNITION FACTORY KHADKI, REGIONAL CONTROLLERATE OF SAFETY, KHADKI, HIGH EXPLOSIVE FACTORY KHADKI, ORDNANCE FACTORY DEHU ROAD	1000000
BRANCH AUDITOR					
2	N A S A & ASSOCIATES (CR2884) 593 EAST NIWARGANJ NEAR PANDEY CHOWK JABALPUR JABALPUR JABALPUR - 482002,MADHYA PRADESH	MIL ORDFACINSLE (1)	JABALPUR	ORDNANCE FACTORY, KHAMARIA, ORDNANCE FACTORY ITARASI ORDNANCE FACTORY INSTITUTE OF LEARNING, KHAMARIA, JABALPUR	300000

3	RAJ & SUDHA (SR1056) NO 26, KALKI BUILDING, 8 TH CROSS MAIN ROAD, THILLAINAGAR TRICHY TRICHY - 620018,TAMIL NADU	MIL HIENPRO (1)	TRICHY	HIGH ENERGY PROJECTILE FACTORY, TIRUCHIRAPALLI CORDITE FACTORY, ARUVANKADU	200000
4	SARDA SONI ASSOCIATES LLP (WR0674) 3rd Floor , Chartered Square Samrat Ashok Chowk , Saraipeeth Opp Padole Corner NAGPUR NAGPUR - 440009,MAHARASHTRA	MIL ORDFACBHA (1)	NAGPUR	ORDNANCE FACTORY, BHANDARA, ORDNANCE FACTORY CHANDRAPUR NATIONAL ACADEMY OF DEFENCE PRODUCTION, AMRAHATI	300000
5	N AGARWALA & ASSOCIATES (SP0116) 4, BIMAL HOTA LANE BUDHARAJA SAMBALPUR SAMBALPUR SAMBALPUR - 768004,ODISHA	MIL ORDFACBOL (1)	SAMBALPUR	ORDNANCE FACTORY, BOLANGIR	100000
6	CHANAKYA ASHOK & CO (ER0657) 409, HEM PLAZA, FRASER ROAD NEAR PATNA CENTRAL PATNA PATNA PATNA - 800001,BIHAR	MIL ORDFACNAL (1)	PATNA	ORDNANCE FACTORY, NALANDA	100000
7	M G A & ASSOCIATES (BO1769) GAT NO 316/1/2 PLOT NO.30 SUDHAKAR NAGAR OPP UJWA AUTO MANYARKHEDE MIDC JALGAON JALGAON - 425003,MAHARASHTRA	MIL ORDFACVAR (1)	JALGAON	ORDNANCE FACTORY, VARANGAON	100000

26/09/2023 को आयोजित बीएम संख्या 04/2023-24 के कार्यसूची संख्या 5 के अनुसार, बोर्ड ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार शाखा और वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क में वृद्धि की है -

क्र.सं.	इकाई का नाम और पता	संक्षेपाक्षर	ऑडिट शुल्क (₹)
1	गोला बारुद निर्माणी खड़की, पुणे	एएफके	2,50,000/-
2	आयुध निर्माणी चांदा, चंद्रपुर	ओएफसीएच	2,50,000/-
3	आयुध निर्माणी खमरिया, जबलपुर	ओएफके	2,50,000/-
4	आयुध निर्माणी बडमाल, बोलंगीर	ओएफबीएल	2,50,000/-
5	म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय, पुणे	एमआईएल कंपनी	2,00,000/-
6	अति विस्फोटक निर्माणी, खड़की, पुणे	एचईएफ	2,00,000/-
7	आयुध निर्माणी देहूरोड, पुणे	ओएफडीआर	2,00,000/-
8	आयुध निर्माणी भंडारा	ओएफबीए	2,00,000/-
9	आयुध निर्माणी वरणगांव	ओएफवी	2,00,000/-
10	आयुध निर्माणी इटारसी	ओएफआई	2,00,000/-
11	आयुध निर्माणी नालंदा	ओएफएन	2,00,000/-
12	कॉर्डाइट निर्माणी अरुवनकाडु	सीएफए	2,00,000/-
13	एचईपीएफ, तिरुचिरापल्ली	एचईपीएफ	2,00,000/-

क्र.सं.	इकाई का नाम और पता	संक्षेपाक्षर	ऑडिट शुल्क (₹)
14	संरक्षा नियंत्रणालय, खड़की, पुणे	मिल कॉस	1,75,000/-
15	राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबाझरी, नागपुर	एनएडीपी	1,75,000/-
16	आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, जबलपुर	ओएफआईएल खमरिया	1,75,000/-

26/09/2023 को आयोजित बीएम संख्या 04/2023-24 के एजेंडा संख्या 7 के अनुसार, बोर्ड ने एमआईएल (समेकन में) के केंद्रीय लेखा परीक्षा का लेखा परीक्षा शुल्क 5,00,000/- रुपये (पांच लाख रुपये) से बढ़ाकर 10,00,000/- रुपये (दस लाख रुपये) कर दिया है।

दिनांक 22/11/2023 के ई-मेल के माध्यम से, वित्त प्रभाग ने पहले ही सीएजी को वैधानिक लेखा परीक्षा और शाखा लेखा परीक्षा के लेखा परीक्षा शुल्क में वृद्धि के बारे में सूचित कर दिया है।

दिनांक 06/12/2023 के ई-मेल के माध्यम से, CAG ने सूचित किया कि 'पिछली मेल के संदर्भ में, शुल्क हमारे रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। नियुक्ति पत्र संख्या/सीएवी/सीओवाई/केंद्रीय सरकार, एमआईएल (13)/627 दिनांक 18/09/2023 और संख्या/सीएवी/सीओवाई/केंद्रीय सरकार, एमआईएल (13)/1935 दिनांक : 03/11/2023 को केवल उसी सीमा तक संशोधित माना जा सकता है।'

सीएजी के पत्र संख्या/सीए.वी/सीओवाई/केंद्रीय सरकार, एमआईएल (13)/1935, दिनांक: 03/11/2023, सीएजी ने संशोधित लेखा परीक्षा शुल्क के साथ सीए फर्म एसपीसीएम एंड एसोसिएट्स (डब्ल्यूआर0483), पुणे के स्थान पर सीए फर्म बोरकर एंड मजुमदार (बीओ0007), मुंबई को मुख्यालय सहित केंद्रीय लेखा परीक्षक और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एमआईएल की 4 इकाइयों के लिए शाखा लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया।

STATUTORY AUDITOR				
I	BORKAR & MUZUMDAR (BO0007) 21/168, ANAND NAGAR OM CHS, ANAND NAGAR LANE, VAKOLA, SANTACRUZ EAST, MUMBAI MUMBAI - 400055, MAHARASHTRA	MIL ST AR (1)	PUNE	CENTRAL AUDITOR INCLUDING HQ. AMUNITION FACTORY KHADKI, REGIONAL CONTROLLERATE OF SAFETY, KHADKI, HIGH EXPLOSIVE FACTORY KHADKI, ORDINANCE FACTORY DEHU ROAD 2025000

वैधानिक लेखा परीक्षा सीए फर्म, बोरकर और मजुमदार (बीओ0007), मुंबई को एमआईएल इकाइयों के ऑडिट की जिम्मेदारी दी गई है। गोला बारूद निर्माणी, खड़की पुणे, अति विस्फोटक निर्माणी खड़की पुणे, आयुध निर्माणी देहूरोड पुणे, संरक्षा नियंत्रणालय खड़की पुणे, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय, पुणे और सभी एमआईएल इकाइयों का समेकन। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, उपरोक्त इकाइयों के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षा शुल्क इस प्रकार थे -

क्र.सं.	इकाई का नाम और पता	संक्षेपाक्षर	ऑडिट शुल्क (₹)
1	गोला बारूद निर्माणी खड़की, पुणे	एएफके	2,50,000/-
2	म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय, पुणे	एमआईएल कंपनी	2,00,000/-
3	अति विस्फोटक निर्माणी, खड़की, पुणे	एचईएफ	2,00,000/-
4	आयुध निर्माणी देहूरोड, पुणे	ओएफडीआर	2,00,000/-
5	संरक्षा नियंत्रणालय, खड़की, पुणे	मिल सीओएस	1,75,000/-
6	केंद्रीय लेखा परीक्षा (समेकन के लिए)		10,00,000/-
कुल			20,25,000/-

यही राशि सीएजी को भी बताई गई थी और इसका उल्लेख भी किया गया है। सीएजी पत्र संख्या/सीए.वी/ सीओवाई/ केन्द्रीय सरकार, एमआईएल (13)/1935, दिनांक 03/11/2023 इसका मतलब यह है कि सीएजी ने एमआईएल की सूचना के अनुसार ऑडिटर के लिए फीस तय कर दी है। हालांकि, सीएजी ने एमआईएल की सूचना के अनुसार शेष शाखा ऑडिटर्स की बढ़ी हुई ऑडिट फीस का उल्लेख नहीं किया है।

उपरोक्त के मद्देनजर, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षा और शाखा लेखा परीक्षा के लिए उसी बढ़ी हुई लेखा परीक्षा शुल्क पर विचार करने का प्रस्ताव है जैसा कि 26/09/2023 को आयोजित बीएम संख्या 04/2023-24 में अनुमोदित किया गया था।

निदेशक मंडल ने 05 अगस्त, 2024 को आयोजित अपनी 02/2024-25 बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया था।

“यह निश्चय किया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा और शाखा लेखापरीक्षा का लेखापरीक्षा शुल्क नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होगा ;

क्र.सं.	इकाई का नाम और पता	संक्षेपाक्षर	ऑडिट शुल्क (₹)
1	गोला बारूद निर्माणी खड़की, पुणे	एएफके	2,50,000/-
2	आयुध निर्माणी चांदा, चंद्रपुर	ओएफसीएच	2,50,000/-
3	आयुध निर्माणी खमरिया, जबलपुर	ओएफके	2,50,000/-
4	आयुध निर्माणी बडमाल, बोलंगीर	ओएफबीएल	2,50,000/-
5	म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय, पुणे	एमआईएल कंपनी	2,00,000/-
6	अति विस्फोटक निर्माणी, खड़की, पुणे	एचईएफ	2,00,000/-
7	आयुध निर्माणी देहूरोड, पुणे	ओएफडीआर	2,00,000/-
8	आयुध निर्माणी भंडारा	ओएफबीए	2,00,000/-
9	आयुध निर्माणी वरणगांव	ओएफवी	2,00,000/-
10	आयुध निर्माणी इटारसी	ओएफआई	2,00,000/-
11	आयुध निर्माणी नालंदा	ओएफएन	2,00,000/-

क्र.सं.	इकाई का नाम और पता	संक्षेपाक्षर	ऑडिट शुल्क (₹)
12	कॉर्डाइट निर्माणी अरुवनकाडु	सीएफए	2,00,000/-
13	एचईपीएफ, तिरुचिरापल्ली	एचईपीएफ	2,00,000/-
14	संरक्षा नियंत्रणालय, खड़की, पुणे	मिल कॉस	1,75,000/-
15	राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबाझरी, नागपुर	एनएडीपी	1,75,000/-
16	आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, जबलपुर	ओएफआईएल खमरिया	1,75,000/-
17	केंद्रीय लेखा परीक्षा (समेकन के लिए)		10,00,000/-

आगे यह संकल्प लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शाखा लेखा परीक्षा शुल्क में वृद्धि कंपनी के अनुमोदन/अनुसमर्थन के अधीन है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के सदस्यों द्वारा इसे अनुमोदित / अनुसमर्थित करने का प्रस्ताव है।

किसी भी निदेशक को इस प्रस्ताव में रुचि नहीं है।

- सीएजी के पत्र संख्या/सीए.वी/सीओवाई/केन्द्रीय सरकार, एमआईएल(13)/1935, दिनांक 03/11/2023 के अनुसार, सीएजी ने सीए फर्म “बोरकर एंड मजुमदार” को एमआईएल मुख्यालय के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक और 4 इकाइयों के शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों को सांविधिक लेखा परीक्षा के दौरान शाखा स्तर और कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर चार संबंधित इकाइयों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में गहन भागीदारी करनी होती है। इसलिए यह प्रस्ताव है कि केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक को एमआईएल के कर लेखा परीक्षक के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है, ताकि कर लेखा परीक्षा प्रक्रिया को सांविधिक लेखा परीक्षा के साथ-साथ कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निष्पादित किया जा सके।

केंद्रीय लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 28.05.2024 के प्रस्ताव पत्र के अनुसार कर लेखा परीक्षा का दायरा निम्नानुसार है,

“फॉर्म 3 सीडी में आवश्यक विभिन्न पहलुओं के विषय खंड के तहत उचित रिपोर्टिंग और निर्धारित नियत तारीख के भीतर आयकर पोर्टल पर इसे भरना और अपलोड करना, जो वर्तमान में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के लिए समग्र रूप से मूल्यांकन वर्ष 24-25 के लिए 30 सितंबर 2024 है”

मार्गदर्शन नोट के प्रासंगिक अंश निम्नलिखित हैं :

आयकर अधिनियम, 1961, निर्धारण वर्ष 2023-24 की धारा 44AB के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के पैरा 9.37 के अनुसार, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, किसी करदाता के मुख्य कार्यालय और शाखा कार्यालयों के लेखापरीक्षा को एक कर लेखापरीक्षा कार्य माना जाएगा। हालाँकि, किसी भी शाखा का कर लेखापरीक्षा किया जाता है, इसे सीमा पर विचार करने के लिए एक अलग कर लेखापरीक्षा माना जाएगा।

आयकर अधिनियम, 1961, निर्धारण वर्ष 2023-24 की धारा 44एबी के अंतर्गत कर लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के पैरा 17.6 के अनुसार, यह संभव है कि किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसके व्यवसाय या पेशे के खातों की किसी अन्य कानून के अंतर्गत लेखा परीक्षा की गई हो, जिसकी विभिन्न स्थानों पर शाखाएं हैं, शाखा खातों की लेखा परीक्षा संबंधित कानून के अंतर्गत शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई हो। यदि धारा 44एबी के अंतर्गत लेखा परीक्षा भी उन्हीं शाखा लेखा परीक्षकों या अन्य चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की जाती है, तो उन्हें प्रबंधन को या धारा 44एबी के अंतर्गत मुख्य कार्यालय के लिए नियुक्त प्रमुख कर लेखा परीक्षक को फॉर्म संख्या 3सीए में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। इस संबंध में एसए 600, दूसरे लेखा परीक्षक के कार्य का उपयोग करना की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें इस संबंध में प्रक्रियाओं के साथ-साथ शाखा लेखा परीक्षक के कार्य के उपयोग के संबंध में प्रमुख कर लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी पर चर्चा की गई है। प्रधान कर लेखा परीक्षक को पंजीकृत कार्यालय/मुख्य कार्यालय और शाखा खातों पर अपनी समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए और फॉर्म संख्या 3 सीए के पैराग्राफ 3 में अपने अवलोकन के रूप में अपनी कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट में रिपोर्ट करना चाहिए :

‘मैंने / हमने मेरे / हमारे द्वारा लेखापरीक्षित नहीं की गई शाखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षित लेखा विवरणों तथा प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त लेखापरीक्षकों से प्राप्त विवरणों पर विचार किया है।’

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, केंद्रीय लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्ताव पत्र के माध्यम से प्रस्तावित शुल्क वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को कर लेखा परीक्षा के लिए भुगतान किए गए कुल शुल्क से कम है, जो कि 13,10,000/- रुपये (तेरह लाख और दस हजार रुपये) (करों और बाहरी खर्चों को छोड़कर) था, जिसमें प्रत्येक एमआईएल इकाइयों के लिए 60,000/- रुपये और समेकन के लिए 3,50,000/- रुपये थे।

उपरोक्त को देखते हुए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एमआईएल कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए कर लेखा परीक्षक के रूप में वैधानिक लेखा परीक्षक (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीएजी द्वारा नियुक्त) की नियुक्ति को मंजूरी देने का प्रस्ताव है तथा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर ऑडिट का पारिश्रमिक 7,50,000/- रुपये (सात लाख पचास हजार रुपये मात्र) होगा, जिसमें कर और स्वयं से किए गए खर्च शामिल नहीं होंगे।

निदेशक मंडल ने 05 अगस्त, 2024 को आयोजित अपनी 02/2024-25 बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया था।

“यह निश्चय किया गया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एमआईएल कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए कर लेखा परीक्षक के रूप में वैधानिक लेखा परीक्षक (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीएजी द्वारा नियुक्त) को तैनात करना।

आगे यह संकल्प लिया गया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर ऑडिट का पारिश्रमिक 7,50,000/- रुपये (सात लाख पचास हजार रुपये मात्र) होगा, जिसमें कर और स्वयं से किए गए खर्च शामिल नहीं होंगे।

आगे यह संकल्प लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कर लेखा परीक्षक और कर लेखा परीक्षा शुल्क की नियुक्ति कंपनी के अनुमोदन/अनुसमर्थन के अधीन है।



Accurate. Lethal. Reliable.

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के सदस्यों द्वारा इसे अनुमोदित करने का प्रस्ताव है।

किसी भी निदेशक को इस प्रस्ताव में रुचि नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के लिए

(ई.जे. पॉल)
कंपनी सचिव
एम. सं. एफसीएस - 4521



निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में ,
शेयर होल्डर्स
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आपकी कंपनी के लेखापरीक्षित खातों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 558.78 करोड़ का लाभ (कर के पश्चात) दर्ज किया है।

1. मुख्य अंश :

- क) पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में 55% से अधिक की वृद्धि हुई है और रुपये 1697 करोड़ मूल्य के उत्पादों का निर्यात हुआ है।
- ख) फ़्यूज़ पीडीएम 557-155 मिमी गोला बारूद की पहली निर्यात खेप सफलतापूर्वक भेजी गई।
- ग) एमआईएल ने 125 मिमी अभ्यास गोला बारूद के उपयोगकर्ता परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है जिसके बाद विषयक गोला बारूद के लिए सेना से बीपीसी प्रदान की गई है।
- घ) एचईपीएफ ने 125 मिमी एएमके 339 गोला बारूद के शॉट का सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण किया।
- ड.) उपयोगकर्ता द्वारा पिनाका डीपीआईसीएम का उच्च ऊंचाई परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
- च) बालासुर में पिनाका निर्देशित परीक्षण फरवरी के पहले सप्ताह में पूरा हुआ। पोखरण में अगले चरण का परीक्षण अप्रैल में पूरा होगा।
- छ) असंवेदनशील युद्ध सामग्री (आईएम) भरन सहित रॉकेट आरजीबी 60 का पहला लॉट सफलतापूर्वक प्रुफ में पारित हो गया।
- ज) आयुध निर्माणी, भंडारा (म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की एक इकाई) ने सीजी हथियार प्रणाली के लिए स्मोक गोला बारूद के लिए स्वदेशी प्रोपेलेंट का निर्माण किया है।
- झ) आयुध निर्माणी, भंडारा और गोला बारूद निर्माणी, खड़की, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की इकाइयों ने आवश्यक विस्फोटकों और महत्वपूर्ण पायरो आयुध प्रणाली की आपूर्ति करके इसरो के चंद्रयान -3 मिशन और एलवीएम 3 लॉन्च वाहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- त्र) एमआईएल ने 21 जुलाई 2023 को एफके पुणे में सेना के विभिन्न लाइन निदेशालयों और खरीद विंगों के साथ एक सम्मेलन का आयोजन किया।



Accurate. Lethal. Reliable.

- ट) एमआईएल की इकाई, गोला बारुद निर्माणी खडकी को गुणवत्ता उत्कृष्टता के लिए इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ।
- ठ) एमआईएल की इकाई, राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी को बर्कशायर कॉर्पोरेट अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ।

उत्पादन इकाइयाँ:

- गोला बारुद फैक्टरी खड़की
- कॉर्डाइट फैक्टरी अरुवनकाडु
- हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी, तिरुचिरापल्ली
- हाई एक्सप्लोसिव फैक्टरी खड़की
- आयुध निर्माणी भंडारा
- आयुध निर्माणी बोलंगीर
- आयुध निर्माणी चांदा, चंद्रपुर
- आयुध निर्माणी देहूरोड
- आयुध निर्माणी इटारसी
- आयुध निर्माणी खमरिया
- आयुध निर्माणी नालंदा
- आयुध निर्माणी वरणगांव

गैर उत्पादन इकाइयाँ:

- राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबाझरी
- आयुध निर्माणियां शिक्षण संस्थान, खमरिया
- एमआईएल, संरक्षा नियंत्रणालय, पुणे

2. वित्तीय समीक्षा :

2.1 वित्तीय परिणामों का सारांश

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों और वित्तीय वर्ष 2022-23 में निष्पादन का सारांश नीचे दिया गया है :

करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
कुल आय	7534.62	4951.62
एईबीआईडीटीए	935.94	271.93
वित्तीय व्यय	2.16	शून्य
मूल्यहास एवं ऋण परिशोधन	183.19	170.04
कर पूर्व लाभ/(हानि)	750.60	101.89
कर आदि के लिए प्रावधान	191.81	28.54
कर के पश्चात लाभ/(हानि)	558.78	73.35
कर पूर्व लाभ/(हानि)	95.04	21.69
तुलनपत्र में लाया गया अधिशेष	653.82	95.04

2.2 लाभांश :

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) के अनुसार, वित्त मंत्रालयने अपने पत्र सं. एफ. संख्या 4/27/2019-डीआईपीएम-द्वितीय-ए(ई), दिनांक:13.06.2023 द्वारा यह सूचित किया गया है किसी सीपीएसई में पूंजी प्रबंधन और लाभांश की संवीक्षा के लिए समिति (सीएमसीडीसी) ने एमआईएल को वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के लिए लाभांश भुगतान से छूट दी है।

2.3 विकास :

कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में भी कारोबार बढ़ाकर, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में ग्राहक आधार का विस्तार करके और नए उत्पादों को प्रस्तुत कर लाभ बरकरार रखा है, जिससे उत्पाद आधार में वृद्धि हुई है।

2.4 निवल मूल्य :

31 मार्च, 2023-24 को कंपनी की कुल संपत्ति 8619.40 करोड़ है (पिछले वर्ष यह 7480.62 करोड़ थी)।

2.5 विदेशी मुद्रा (आय और व्यय)

आय यूएसडी, यूरो के रूप में है
व्यय यूएसडी, यूरो, एसईके में है

अवधि	आय	व्यय
2022-23	₹1696.87 करोड़	₹796.09 करोड़
17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए	₹45.54 करोड़	₹642.96 करोड़

3. वार्षिक रिटर्न:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के प्रावधानों के तहत आवश्यकता नुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी का वार्षिक रिटर्न वेबसाइट <https://munitionsindia.in/Downloads/Manual and Policies / Annual Return 2023-24> पर प्रदर्शित किया गया है।

4. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के अनुसार एतद द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि-

- 4.1 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक खातों को तैयार करते समय, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।
- 4.2 ऐसी लेखांकन नीतियों का हमेशा चयन किया जाता है एवं उसे लागू किया जाता है तथा निर्णय एवं अनुमान लगाए जाते हैं जो उचित और विवेकपूर्ण होते हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति या उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ या नुकसान का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके ।
- 4.3 कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त निगरानी की जाती है।

4.4. वार्षिक लेखा जोखा का विवरण संचालित संस्थान के आधार पर तैयार किया गया है।

4.5 सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की गई हैं एवं उनमें और सुधार किया जा रहा है।

5. कंपनी की गतिविधियाँ:

5.1 उत्पादन:

लगभग 21822 कुल कर्मचारियों के साथ देश भर में स्थित कंपनी अपनी 12 अत्याधुनिक विनिर्माण इकाइयों में विभिन्न प्रकार के गोला बारूद और विस्फोटक का उत्पादन करती है। यह सेना, नौसेना, वायु सेना, अर्ध-सैन्य बलों और निर्यात के लिए गोला बारूद और विस्फोटकों के उत्पादन, परीक्षण, अनुसंधान और विकास और विपणन में भारत का सबसे बड़ा निर्माता और मार्केट लीडर है। कंपनी के पास 200 से अधिक वर्षों के लिए इनिशिएटिव कंपोजिशन, प्रोपेलेंट्स एवं उच्च विस्फोटक के इनहाउस निर्माण के साथ छोटे, मध्यम और उच्च कैलिबर के गोला बारूद, मोर्टार, रॉकेट, हैंड ग्रेनेड आदि के उत्पादन के लिए सिद्ध एकीकृत आधार है। कंपनी गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करती है। कंपनी की सभी इकाइयाँ आईएसओ 9001 प्रमाणित हैं।

उत्पादन और गैर-उत्पादन इकाइयों का विवरण:

उत्पादन इकाइयाँ



गोला बारूद निर्माणी खड़की (एएफके)

पुणे शहर में स्थित गोला बारूद निर्माणी खड़की 16 दिसंबर 1869 को ब्रिटिश सरकार की एक छोटी सशस्त्र विनिर्माण इकाई के रूप में अस्तित्व में आयी। गन पाउडर का उपयोग कर गोला बारूद कारतूस का नियमित उत्पादन 1872 में शुरू हुआ। कार्डाइट प्रोपेलेंट का प्रयोग करते हुए (नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइट्रोग्लिसरीन पेस्ट से बने) 1886 में कार्टिज 0.303" का निर्माण किया गया। 1914 में एएफके में विनिर्माण सुविधाओं का विस्तार हुआ और विभिन्न प्रकार के प्राथमिक विस्फोटक जैसे मरक्युरी फलमिनेट, लेड एजाइड, लेड स्टाइफनेट और कैप्स, डेटोनेटर, परक्यूशन फ्यूज भरना तथा एशिया और अफ्रीका में युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एएफके में विभिन्न पायरो तकनीक स्टोर आरंभ किए गए थे। यह निर्माणी विभिन्न सशस्त्र बलों और पुलिस बलों द्वारा उपयोग किए जा रहे विभिन्न प्रकार के छोटे हथियारों के गोल-बारूद के निर्माण में अग्रणी है।



कॉर्डाइट फैक्टरी अरुवनकाडु

कॉर्डाइट फैक्टरी अरुवनकाडु नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में तमिलनाडु में स्थित है जिसकी स्थापना वर्ष 1904 में हुई थी। सीएफए के पास प्रोपेलेंट निर्माण के लिए उपयुक्त जलवायु, भौगोलिक स्थिति, पानी की आपूर्ति के लिए अपना जलाशय और सुरक्षा के लिए मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के आवश्यक लाभ थे, जो कि लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सीएफए 105 मि.मी., 120 मि.मी., 130 मि.मी., 155 मि.मी., नौसैनिक गोला-बारूद और छोटे हथियारों के लिए प्रोपेलेंट सहित विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद के लिए गुणवत्ता वाले प्रोपेलेंट के निर्माण में अग्रणी है। 155 मि.मी., गोला बारूद के लिए बायो मॉड्यूलर चार्ज के लिए ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट का नवीनतम जोड़ सीएफए की एक महान उपलब्धि है।



अति विस्फोटक निर्माणी खड़की

अति विस्फोटक निर्माणी खड़की को पूर्व द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1935-40 में उच्च विस्फोटकों (टीएनटी और सीई) और गोला बारूद निर्माणी खड़की के लिए आवश्यक पहलकर्ताओं के निर्माण के लिए एक अलग इकाई के रूप में नियोजित किया गया था। इसकी आधारशिला 11 जनवरी, 1940 को मुळा नदी के पश्चिमी तट पर एक ऐसे स्थान पर रखी गई थी, जहां 1817 में बहादुर मराठों और ब्रिटिश सेना के बीच "खड़की का युद्ध" लड़ा गया था। एचईएफ में प्रमुख उत्पादन 1942-44 के दौरान शुरू हुआ था। अपनी स्थापना के पश्चात यह हमारे देश की रक्षा तैयारियों में एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। एचईएफ उच्च ऊर्जा सामग्री, टीएनटी, तरल प्रोपेलेंट का उत्पादन करती है।



**हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी
तिरुचिरापल्ली**

हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी (पूर्व में हैवी एलॉय पेनीट्रेटर प्रोजेक्ट (HAPP), एक प्रमुख उत्पादन इकाई है जो विभिन्न कैलिबर के फिन स्टैबिलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग एंड डिस्कार्डिंग सैबोट (FSAPDS) एंटी टैंक काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल का निर्माण करती है। यह देश में FSAPDS शॉट्स बनाने वाली एकमात्र इकाई है। 1980 के दशक की शुरुआत में DRDO ने FSAPDS गोला-बारूद के लिए इस एकीकृत विनिर्माण सुविधा की स्थापना की। यह गोला बारूद दुश्मन के लिए एक दुःस्वप्न है और तीव्र गति ऊर्जा से दुश्मनों के युद्ध टैंक को अस्थिर करने की क्षमता रखती है। गति ऊर्जा प्रोजेक्टाइल के अलावा, एचईपीएफ विभिन्न टंगस्टन मिश्र धातु आधारित घटकों के निर्माण में भी लगी हुई है। यह निर्माणी ग्रामीण परिवेश में स्थित है और तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 21 कि.मी. और हवाई अड्डे से 17 कि.मी. दूर है।



आयुध निर्माणी भंडारा

आयुध निर्माणी भंडारा महाराष्ट्र राज्य के जिला भंडारा में कोलकाता -मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर भंडारा टाउनशिप के पश्चिम में 18 किलोमीटर और नागपुर शहर से 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह फैक्टरी विस्फोटक एवं रसायन ग्रुप ऑफ फैक्टरीज में अग्रणी है। इसे सभी प्रोपेलेंट निर्माणियों की जननी माना जाता है क्योंकि यह बड़ी संख्या में प्रोपेलेंट का उत्पादक है। इसमें एसिड से लेकर उच्च विस्फोटक और उच्चतम गुणवत्ता मानकों वाले विभिन्न प्रोपेलेंट तक के बहु-आयामी उत्पाद मैट्रिक्स हैं। इसकी सुसज्जित प्रयोगशालाओं में परीक्षण सुविधाओं को एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त है।



आयुध निर्माणी बड़माल, बोलंगीर

आयुध निर्माणी बड़माल, बोलंगीर की स्थापना उड़ीसा राज्य में मेसर्स डे और जिमर्मन, यूएसए, मेसर्स जोसेफ मीस्नर, जर्मनी, मेसर्स हाको, स्विटजरलैंड और मेसर्स किनटेक्स, बुल्गारिया से अत्याधुनिक तकनीक के साथ की गई थी। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 29 अक्टूबर 1984 को इस निर्माणी की आधारशिला रखी थी। मध्यम और भारी कैलिबर गोला बारूद के निर्माण के लिए समर्पित एक विशाल गोला-बारूद की निर्माणी स्थापित करने की दृष्टि से उड़ीसा के केबीके बेल्टन के इस पिछड़े क्षेत्र सुर्खियों में ला दिया है। परियोजना को मंजूरी 1989 में मिली थी। फैक्टरी उड़ीसा के बोलंगीर जिले में 12,200 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें ऐतिहासिक गंधमर्दन रेंज की पहाड़ियों को शामिल किया गया है और महानदी नदी प्रणाली की दो सहायक नदियां लैंथ और तेल से घिरी हुई है। यह निर्माणी यंत्रीकृत बलों, आर्टिलरी और सेना के इंजीनियर रेजीमेंट द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद का उत्पादन करती है।



आयुध निर्माणी चांदा

आयुध निर्माणी चांदा परियोजना को वर्ष 1964 में स्वीकृत किया गया था और प्रारंभिक उत्पादन 1970 में शुरू हुआ था। निर्माणी को मध्यम और उच्च कैलिबर गोला बारूद निर्माण इकाई के रूप में डिजाइन किया गया था जिसमें उत्पादन विस्फोटक और गैर-विस्फोटक घटक जैसे कि इनीशियेटर, प्राइमर, कैप, फ्यूज, पेपर घटक और पैकेज के लिए आवश्यक सहायक थे। आयुध निर्माणी चांदा दक्षिण में नागपुर से 135 कि.मी. और उत्तर में चंद्रपुर से 28 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।



आयुध निर्माणी देहरोड

सेनाओं ने संकेत दिया था कि भविष्य में रात्रि युद्ध की संभावना अधिक होगी और इस तरह, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में बहुत आवश्यक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत में रात्रि युद्ध के लिए विभिन्न पायरोटेकनिक गोला बारूद का उत्पादन स्थापित किया जाना था। रक्षा मंत्रालय की उत्पादन और आपूर्ति समिति की बैठक के दौरान इस नए निर्माणियों की स्थापना की आवश्यकता पर विचार किया गया था और जनवरी 1977 में सरकार द्वारा परियोजना को मंजूरी दी गई थी। यह निर्माणी विभिन्न प्रकार के पायरोटेकनिक बनाने वाले गोला-बारूद के विनिर्माण में लगी हुई है। इस तरह के गोला-बारूद का उत्पादन करने वाली यह देश की एकमात्र निर्माणी है। चूंकि यहां उपयोग की जाने वाली सामग्रियां बहुत संवेदनशील हैं और इनमें उच्च ऊर्जा सामग्री है, इसलिए उत्पादन प्रक्रियाओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।



आयुध निर्माणी इटारसी

रासायनिक आयुध निर्माणियों में 1969-70 में उपलब्ध क्षमताओं के माध्यम से उच्च क्षमता वाले गोला-बारूद के लिए प्रोपेलेंट की आवश्यकताओं की समीक्षा करने के बाद, एक नये प्रोपेलेंट निर्माणी की आवश्यकता पर विचार किया गया और आयुध निर्माणी इटारसी की स्थापना की गई। आयुध निर्माणी इटारसी तीनों सेनाओं के लिए विभिन्न प्रकार के रॉकेट और मिसाइलों के लिए डबल और ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट और कास्ट और बॉन्डेड प्रोपेलेंट का निर्माण करता है। संरक्षा एवं मानव संसाधन विकास निर्माणी की बुनियादी और महत्वपूर्ण सरोकार है। अनुसंधान एवं विकास इसके प्रयास के क्षेत्र हैं।



आयुध निर्माणी खमरिया

आयुध निर्माणी खमरिया की स्थापना वर्ष 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सहयोगी बलों के लिए गोला-बारूद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्वी समूह परियोजनाओं में से एक के रूप में की गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात, विभिन्न सेवाओं और अर्धसैनिक बलों की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्माणी की उत्पाद श्रृंखला का विविधीकरण किया गया। 1962 में चीनी युद्ध और 1965 और 1971 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान, सेना, वायु सेना और नौसेना की नई मांगों को पूरा करने के लिए निर्माणी का और विस्तार किया गया। वर्तमान में यह देश की सबसे बड़ी गोला-बारूद की निर्माणी है। निर्माणी की वर्तमान उत्पादन गतिविधि तीनों सेवाओं और अर्धसैनिक बलों के लिए हार्डवेयर कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग, एक्सप्लोसिव फिलिंग और एम्युनिशन असेंबली का एक संयोजन है।



आयुध निर्माणी नालंदा

आयुध निर्माणी नालंदा, देश में गोला-बारूद निर्माण निर्माणियों में एक नई परियोजना है। यह बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है और नवीनतम प्रौद्योगिकी प्रोपेलेंट के निर्माण में लगी हुई है। लगभग 3000 एकड़ के विशाल क्षेत्र के साथ 155 मिमी आर्टिलरी गन के लिए द्वि-मॉड्यूलर प्रोपेलेंट के प्रणोदक निर्माण के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक की स्थापना के लिए परियोजना को 29.11.2001 को मंजूरी दी गई थी।



आयुध निर्माणी वरणांग

आयुध निर्माणी वरणांग की स्थापना 1964 में चीनी आक्रमण के तुरंत बाद मुख्य रूप से 0.303 कार्ट्रिज के स्थान पर 7.62 मि.मी. एम्युनिशन के निर्माण के लिए की गई थी, जो तब तक भारतीय सेना के प्राथमिक एम्युनिशन का काम करता था। निर्माणी में उत्पादन 1965 में अमेरिकी सहायता के तहत प्राप्त संयंत्र और मशीनों के साथ शुरू हुआ। डीआरडीओ द्वारा भारतीय राष्ट्रीय लघु शस्त्र प्रणाली (INSAS) के विकास के पश्चात, आयुध निर्माणी, वरणांग ने अपने गोला-बारूद के निर्माण के लिए उत्पादन लाइन स्थापित की। वर्तमान में यह निर्माणी सशस्त्र और पुलिस बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के छोटे हथियारों के गोला-बारूद के उत्पादन में लगा हुआ है।

गैर उत्पादन इकाइयां



राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी

राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है, जिसका अधिदेश भारतीय आयुध निर्माणी सेवा (आईओएफएस) और भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा (आईओएफएस) के अधिकारियों को इंडक्शन और इन-सर्विस प्रशिक्षण दोनों प्रदान करना है। आईओएफएस के नए प्रवेशकों और सेवारत अधिकारियों को संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 1978 में आयुध निर्माणी स्टाफ कॉलेज (ओएफएससी) के रूप में स्थापित; इसे वर्ष 2003 में राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी (एनएडीपी) के रूप में नामकरण किया गया। 'विद्या अमृतम' (ज्ञान शाश्वत) के आदर्श वाक्य के साथ, अकादमी 'सीखने के माध्यम से उत्कृष्टता' के दर्शन के लिए प्रतिबद्ध है। संगठन की तेजी से बदलती जरूरतों को पूरा करने और अपने अधिकारियों को पर्याप्त तकनीकी-प्रबंधकीय कौशल से लैस करने के लिए अकादमी पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई है।



आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, खमरिया

आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, खमरिया को 1 अप्रैल, 1996 को क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, खमरिया (RTI, KH) के रूप में स्थापित किया गया था और इसे बाद में समूह ख और ग कर्मचारियों के संबंध में विकासात्मक गतिविधियों को प्रशिक्षण देने के लिए OFILKH, जबलपुर के नाम से परिवर्तित किया गया। इस संस्थान के पास रसायन और विस्फोटक के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने की विशेषज्ञता है। उपरोक्त के अलावा, इस संस्थान द्वारा नए भर्ती किए गए चार्जमैन (केमिस्ट) के लिए रसायनों, विस्फोटकों, गोला-बारूद के घटकों, विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद और संबंधित सुरक्षा पहलुओं आदि के निर्माण पर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है।



म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड-संरक्षा नियंत्रणालय

विस्फोटक उत्पादन में संरक्षा सर्वोपरि है और इसमें कोई ढिलाई स्वीकार्य नहीं है । तदनुसार, संबंधित मामलों की निगरानी के लिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड - संरक्षा नियंत्रणालय की स्थापना की गई थी :

- * विस्फोटक सुरक्षा
- * विद्युत सुरक्षा
- * औद्योगिक सुरक्षा
- * पर्यावरण संबंधी सुरक्षा
- * विस्फोटक एवं खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन

5.2 प्रमुख उत्पाद :

- i. स्मॉल कैलिबर एम्युनिशन
- ii. मीडियम कैलिबर एम्युनिशन
- iii. लार्ज कैलिबर एम्युनिशन
- iv. ग्रेनेड
- v. एरियल बॉम्ब
- vi. मोर्टार बॉम्ब
- vii. नेवल एम्युनिशन
- viii. रॉकेट पिनाका
- ix. विस्फोटक एवं प्रोपेलेंट
- x. स्मोक एवं पायरोटेकनिक

5.3 मान्यता और प्रमाणन:

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के पास निम्नलिखित प्रमाणपत्र हैं :

प्रमाणन	संस्करण	इकाइयां
गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस)	ISO 9001:2015	एमआईएल की सभी इकाइयां
पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)	ISO 14001:2015	एमआईएल की सभी इकाइयां
व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस)	ISO 145001:2018	एमआईएल की सभी इकाइयां
ऊर्जा और प्रबंधन प्रणाली	ISO 50001:2018	एमआईएल की सभी इकाइयां
परीक्षण और प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्या बोर्ड (एनएबीएल)	ISO/IEC/17025	एमआईएल की सभी इकाइयां
ऊर्जा और प्रबंधन प्रणाली	ISO 50001:2018	एमआईएल की सभी इकाइयां
एरोस्पेस क्यूएमएस	AS9100D	एएफके पुणे ओएफडीआर, ओएफआई,ओएफबीए

06. स्वदेशीकरण:

एमआईएल मेक इन इंडिया पहल को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। एमआईएल द्वारा आयात किए जा रहे कच्चे माल/घटकों/उप-असेंबली को 'आत्मनिर्भर भारत' की प्राप्ति के लिए सृजन पोर्टल और आई डेक्स जैसे स्वदेशी विकल्प विकसित करने के लिए विभिन्न पोर्टलों में सूचीबद्ध किया गया है।

वर्तमान में, एमआईएल उत्पादों के लिए स्वदेशीकरण सामग्री लगभग 95% है और हमारा प्रयास अगले दो से तीन वर्षों में इसे और बढ़ाने का है। स्वदेशीकरण के लिए सृजन पोर्टल पर कुल 190 सामग्रियों को प्रकाशित किया गया है, जिनमें 51 पीआईएल, 123 गैर पीआईएल और 16 पी एंड एम सामग्री शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 तक 47 वस्तुओं (08 पीआईएल सामग्री और 39 गैर पीआईएल सामग्री) का सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 645 करोड़ रुपये का आयात निषेध हुआ है।

07. निर्यात:

7.1 स्मूनिशंस इंडिया लिमिटेड की निर्यात रणनीति

- क) एमआईएल ने निम्नलिखित कार्रवाइयों के साथ एक उत्साही निर्यात संवर्धन रणनीति बनाने की योजना बनाई है।
- चिन्हित लक्षित देशों में उत्साही विपणन द्वारा भूगोल का विस्तार।
 - विभिन्न देशों की हथियार सूची का विश्लेषण करके उत्पाद-देश मैट्रिक्स तैयार करना
 - निर्यात योग्य उत्पाद आधार का विस्तार
 - ऑफसेट अवसरों की निरंतर निगरानी करना
 - गोला-बारूद के घटकों, विस्फोटकों और गोला-बारूद की उप-असेंबली की अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने की संभावनाएं तलाशना।
 - संभावित ग्राहकों के लिए एमआईएल उत्पादों और उत्पादन क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एरो इंडिया-2023, नेवडेक्स-2023, डीएसईआई-2023, विश्व रक्षा शो - सऊदी अरब आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता।
 - एक्सपोर्ट लीड्स में भाग लेने के लिए डीए से नियमित संपर्क करना।
 - ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार गोला-बारूद का संपूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए नए उत्पादों का विकास करना।

ख) उपलब्धियां:

- अक्टूबर, 2021 में अपने गठन के पश्चात एमआईएल को 9,141 करोड़ के निर्यात ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।
- एमआईएल को 2023-24 में निम्नलिखित नए देशों से निर्यात ऑर्डर मिले :
- एमआईएल को 2023-24 में निम्नलिखित नए उत्पादों के निर्यात के लिए ऑर्डर मिले : 120 मिमी एचई, 125 मिमी एचई, आरडीएक्स-टीएनटी।

7.2 निर्यात के लिए प्रमुख उत्पाद

- क. स्मॉल आर्म्स एम्युनिशन (5.56 मिमी, 7.62 मिमी, 9 मिमी, 14.5 मिमी)
- ख. ग्रेनेड (30 मिमी एमआईएल-17, 40 मिमी एमआईएल-25, 40 X 46 मिमी)
- ग. मोर्टार (81 मिमी एवं 120 मिमी)
- घ. टैंक एम्युनिशन : 125 मिमी एचई
- ड. आर्टिलरी एम्युनिशन : 155 मिमी, 130 मिमी, 105 मिमी
- च. प्रोपेलेंट और विस्फोटक (आरडीएक्स, टीएनटी, बॉलपाउडर, नाइट्रोगुआनिडाइन)

7.3 चालू वित्त वर्ष और अगले दो वित्त वर्ष के दौरान निर्यात की संभावना :

वर्ष	2024-25	2025-26	2026-27
निर्यात मूल्य (₹)	2,000 CR	2,500 CR	3,000 CR

08. एमआईएल संगठन में एक एकीकृत और केंद्रीकृत ऑन-प्रिमाइसेसई आरपी सिस्टम का कार्यान्वयन:

एमआईएल एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, वर्तमान में अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं, प्रणालियों और परिचालन तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए एमआईएल के अंतर्गत सभी इकाइयों में ईआरपी समाधान लागू करने की प्रक्रिया में है। इस परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए पहचाने गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 'एंटरप्राइज़-वाइड रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी)' पैकेज को अपनाना है।

ईआरपी एकीकरण और सुव्यवस्थित करना :

भविष्य की ईआरपी प्रणाली सभी प्रक्रियाओं को एक एकीकृत, पूरी तरह से एकीकृत प्लेटफॉर्म में निर्बाध रूप से एकीकृत करेगी। यह एकीकरण मानकीकरण, कुशल सूचना प्रवाह और हितधारकों के बीच बेहतर सहयोग सुनिश्चित करता है जिससे उत्पादकता और निर्णय लेने में वृद्धि होगी।

शासन और निर्णय लेना :

एक प्रभावी ईआरपी समाधान एमआईएल को तुरंत सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। वास्तविक समय डेटा उपलब्धता और विश्लेषण बेहतर प्रशासन और रणनीतिक योजना को सक्षम बनाता है। सभी विभागों के स्टैकहोल्डर प्रासंगिक जानकारी तक पहुंच सकते हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।

वैधानिक अनुपालन :

एमआईएल का ईआरपी पैकेज लेखांकन, कराधान और लेखापरीक्षा में अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करेगा। सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग, करगणना और ऑडिट ट्रेल्स आवश्यक हैं। वैधानिक दायित्वों को पूरा करके, एमआईएल कानूनी पालन और वित्तीय अखंडता सुनिश्चित करता है।

संक्षेप में, एमआईएल दक्षता, अनुपालन और सूचित निर्णय लेने के लिए आईपीआर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने का यह अवसर ले रहा है। इस परिवर्तन को अपनाकर, एमआईएल सार्वजनिक सेवाओं के उभरते परिदृश्य में सफलता के लिए खुद को स्थापित कर सकता है।

09. मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति:

आईपीआर पर राष्ट्रीय नीति के अनुरूप रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (डीपीएसयू), रक्षा प्रतिष्ठानों और उनके रचनात्मक/नवोन्मेषी अधिकारियों को आईपीआर व्यवस्था के लिए प्रोत्साहित करने और सहायता करने के लिए रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग (MoD, DDP) ने अप्रैल 2018 के महीने में IP संस्कृति को बढ़ावा देने और रक्षा उत्पादन क्षेत्र में बौद्धिक संपदा के निर्माण को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति की शुरुआत की है।

रक्षा क्षेत्र में यथार्थवादी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, कंपनी इन-हाउस आरएंडडी प्रयासों द्वारा अधिक से अधिक पेटेंट उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है एवं सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग के लिए भारतीय रक्षा उद्योगों द्वारा इसका समय पर व्यावसायीकरण सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ रही है।

एमआईएल ने सभी इकाइयों में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए आईपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की है। प्रशिक्षण के दौरान विकसित ज्ञान आधार ने कर्मचारियों के बीच संगठन के भीतर नवीन विचारों आईपी को ग्रहण करने के लिए जागरूकता उत्पन्न की है।

एमआईएल ने विक्रेताओं को उनके परिसर में वर्चुअल/प्रत्यक्ष मोड के माध्यम से आईपीआर से संबंधित गतिविधियों पर व्यापक प्रशिक्षण आयोजित कर वेंडर्स को भी सुविधा प्रदान की है।

अब तक एमआईएल ने कुल 340 आईपीआर दाखिल किए हैं। जिनमें से 11 पेटेंट सहित एमआईएल को 73 आईपीआर प्रदान किए गए।

10. मानव संसाधन विकास :

10.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण:

भारत सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया गया।

10.2 प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास:

कंपनी ने 'गोला बारूद प्रौद्योगिकी में वेब-सक्षम एम.टेक' आयोजित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी के 10 (दस) कर्मियों को पहले बैच के लिए नामांकित और प्रायोजित किया गया जो अगस्त 2022 में शुरू हुआ और अगस्त 2023 में पूरा हुआ।

कंपनी के प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी (एनएडीपी) ने प्रबंधन के क्षेत्र में अपना करियर बनाने/आगे बढ़ाने के इच्छुक अधिकारी सहित छात्रों के लिए रक्षा उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ 2 साल का पूर्ण आवासीय कार्यक्रम 'पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (बिजनेस मैनेजमेंट)' आयोजित करने के लिए एआईसीटीई की मंजूरी प्राप्त हुई है।

प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास में कंपनी का योगदान

- i) अपने कर्मचारियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ विभिन्न ट्रेडों में व्यापार प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए कंपनी की विभिन्न निर्माणियों / इकाइयों में इन-हाउस मानव संसाधन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- ii) आयुध निर्माणियां शिक्षण संस्थान, खमरिया (OFILKH) डिजिटल लर्निंग कोर्स शुरू करने के लिए एनआईईएल आईटी से संबद्धता प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।
- iii) अनुरक्षण, संरक्षा, आईपीआर, अग्निशमन, प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में कंपनी के कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- iv) आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस (कंपनी के कर्मचारियों के अलावा) को केमिकल (एओसीपी), मैकेनिकल (मशीनिस्ट, टर्नर, फिटर, वेल्डर आदि), इलेक्ट्रिकल (इलेक्ट्रीशियन), सिविल (प्लंबर, मेसन आदि) के ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

मानव संसाधन को प्रेरित करने और उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए नई पुरस्कार और इनाम प्रणाली शुरू की गई है।

10.3 औद्योगिक संबंध:

औद्योगिक संबंध स्वस्थ, सौहार्द्रपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बने रहे।

औद्योगिक संबंध / औद्योगिक सद्भाव के लिए निगमित कार्यालय स्तर पर परामर्शी तंत्र का गठन किया गया है। इस मंच के माध्यम से कम्पनी के विकास एवं वृद्धि में योगदान हेतु कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

11. रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।

12. राजभाषा कार्यान्वयन:

इस अवधि के दौरान कंपनी में राजभाषा अधिनियम, उसके नियम और राजभाषा विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में सरकार द्वारा जारी आदेश लागू किए गए। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के वार्षिक कार्यक्रम को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों और कंपनी में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकें आयोजित की गईं।

13. ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवशोषण, आदि के संरक्षण पर रिपोर्ट

13.1 ऊर्जा संरक्षण-

13.1.1 सरकार की हरित विकास नीति को ध्यान में रखते हुए। भारत सरकार और रक्षा उत्पादन विभागद्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने निम्नानुसार छह सूत्री कार्य योजनाएँ तैयार की हैं:

- i. नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करें।
- ii. उपकरणों और प्रक्रिया में ऊर्जा दक्षता में सुधार;
- iii. घाटे और बर्बादी में कटौती करें और विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करें;
- iv. हरित भवनों की ओर बढ़ें।
- v. विद्युत गतिशीलता में परिवर्तन को बढ़ावा देना, और
- vi. मजबूत संस्थागत तंत्र का निर्माण और क्षमता निर्माण के लिए सक्षम वातावरण, और सभी एमआईएल इकाइयों में ऊर्जा दक्षता पहलों को मापना, मूल्यांकन करना, निगरानी करना, रिपोर्टिंग करना और पुरस्कृत करना।

इन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में की गई प्रमुख पहल निम्ना दी गई हैं :

- i) पारंपरिक पंखों को बीएलडीसी पंखों से बदलना। MILCO में BLDC पंखे के 90% रेट्रोफिट पर विचार करने वाली एक व्यापक परियोजना को मंजूरी दी गई है और मार्च 2025 तक सभी MIL इकाइयों को स्थापित करने के लिए सूचित किया गया है।
- ii) पारंपरिक लाइटों को ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटों से बदलने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।
- iii) एलईडी लैंप के साथ स्ट्रीट सोडियम वाष्प लैंप का 100% प्रतिस्थापन और स्ट्रीट लाइट के लिए एस्ट्रो नॉमिकल टाइमर नियंत्रण स्विच की स्थापना ताकि सूर्योदय पर रोशनी स्वचालित रूप से बंद हो सके।
- iv) मार्च 2025 तक स्थापित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को अनुबंधित भार क्षमता के 65% से बढ़ाकर 92% करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे महाराष्ट्र समूह के निर्माणियों में एसपीपी के स्थापना के लिए एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएनएल) के साथ बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। काम 2025 तक पूरा हो जाएगा। वर्ष 2026-27 तक, सभी एमआईएल इकाइयां भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सौर/नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से अनुबंध मांग का 50% से अधिक अर्जित कर लेगी।
- v) पावर फैक्टर में सुधार के लिए निर्माणियों और इस्टेट के अंदर सभी सबस्टेशनों और उत्पादन शॉप पर एपीएफसी पैनल की स्थापना।
- vi) रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स को ऊर्जा कुशल स्कू कंप्रेसर्स से बदलने के लिए (जब भी प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है) नीति अपनाई गई है।
- vii) रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स के स्थान पर ऊर्जा कुशल स्कू कंप्रेसर लगाने की नीति अपनाई गई है।
- viii) कूलिंग टॉवरफैन ब्लेड्स को एफआरपी ब्लेड्स से बदलना।
- ix) प्रतिस्थापन का समय आने पर उच्च एचपी मोटर्स के लिए स्टार-डेल्टा स्टार्टर्स को वीएफडी/सॉफ्ट स्टार्टर्स से बदलने की नीति अपनाई गई है।
- x) ऊर्जा कुशल IE3 मोटर्स के लिए नीति अपनाई गई है और विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए खरीद के तहत सभी संयंत्र और मशीनरी के लिए और भविष्य की खरीद के लिए तकनीकी विशिष्टताओं में शामिल किया गया है।
- xi) जहां भी सुविधाएं उपलब्ध हों, वहां पाइप प्राकृतिक गैस द्वारा फर्नेस ईंधन तेल का प्रतिस्थापन।
- xii) ईंधन की खपत बचाने के लिए बॉयलर घरों में सौर जल तापन प्रणाली की स्थापना।

- xiii) एमआईएल की सभी इकाइयों में निवषा ग्रेड एनर्जी ऑडिट (आईजीईए) पूरा हो चुका है और सिफारिशें कार्यान्वयन के अधीन हैं।
- xiv) सभी एमआईएल इकाइयों को 40 ईवी चार्जिंग स्टेशन की मंजूरी दी गई है।

13.2 प्रौद्योगिकी अवशोषण:

13.2.1 उत्पादन के दौरान स्वदेशी प्रौद्योगिकी का समावेश:

पिनाका रॉकेट के दो संस्करण अर्थात DPICM और उन्नत रेंज MK-I, जिसके लिए DRDO से TOT लिया गया था, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। साथ ही, गाइडेड पिनाका रॉकेट का विकास उन्नत चरण में है। 12.5 मिमी एफएसएपीडीएस अभ्यास गोला बारूद का उत्पादन जिसके लिए डीआरडीओ से टीओटी लिया गया था, सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया है। बीएमसीएस का उत्पादन डीआरडीओ (एचईएमआरएल) के सहयोग से स्वदेशी रूप से स्थापित किया गया है।

आयुध निर्माणी भंडारा के इन-हाउस प्रयासों के माध्यम से नाइट्रोसेल्यूलोज प्लांट-II (एनसी-II) और नाइट्रोसेल्यूलोज प्लांट-III (एनसी-III) का ऑटोमेशन सफलतापूर्वक कर लिया गया है।

13.2.2 उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ प्राप्त हुए:

प्रौद्योगिकी अवशोषण के माध्यम से उत्पाद की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उत्पाद की लागत भी काफी कम हो गई है। आयुध निर्माणी, चांदा में पिनाका परियोजना से प्राप्त लाभ हैं:-

- i. विस्फोटक के घनत्व में सुधार।
- ii. सुधार के लिए रिटर्न में कमी (आरएफआर)
- iii. उत्पादन के घंटों में कमी
- iv. उत्पादकता में वृद्धि।

आयुध निर्माणी नालंदा ने गतिशील परीक्षणों के दौरान उप-शून्य तापमान (-30 डिग्री सेल्सियस) में बीएमसीएस एम 92 की विस्तारित परिचालन सीमा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। यह अत्यधिक ठंडे पर्यावरणीय परिस्थितियों में स्वदेशी बीएमसीएस की तैनाती की सुविधा प्रदान करेगा और बीएमसीएस (एक्स-ओएफएन) को अन्य विदेशी प्रतिस्पर्धियों के अंतरराष्ट्रीय मानक के बराबर साबित करेगा।

आयुध निर्माणी, भंडारा में, नाइट्रोसेल्यूलोज संयंत्र के स्वचालन के बाद निम्नलिखित लाभ अर्जित किए गए हैं :

- (क) ऑपरेशन के दौरान मैन्युअल हस्तक्षेप में कमी।
- (ख) नाइट्रेशन के बाद बिजली गुल होने की स्थिति में घोल के जमा होने के कारण सर्कुलेशन लाइन वाल्व में कोई चोर्किंग नहीं।
- (ग) एनसी और एसिड की बर्बादी नहीं।
- (घ) खतरनाक कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों के जोखिम में कमी।

13.2.3 उत्पादन के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी का अवशोषण:

- I. **एचईपीएफ में 3VBM17 राउंड (AMK 339- मैंगो गोला बारूद का उत्पादन**
रूस से टीओटी के तहत रूसी उपकरण और सामग्रियों का उपयोग करके एचईपीएफ (एएमके 339-मैंगो गोला बारूद) में 3 वीबीएम 17 राउंड का स्वदेशी निर्माण वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक आईएम चरण स्थापित होने की उम्मीद है।
- II. **आयुध निर्माणी भंडारा में 125 मिमी एफएसएपीडीएस (मैंगो प्रोजेक्ट) के लिए सिंगल और डबल बेस प्रोपेलेंट प्लांट की स्थापना**
आयुध निर्माणी भंडारा में 125 मिमी एफएसएपीडीएस (मैंगो प्रोजेक्ट) के लिए सिंगल और डबल बेस प्रोपेलेंट प्लांट का निर्माण और कमीशनिंग चल रहा है।
- III. **आयुध निर्माणी भंडारा में 125 मिमी एफएसएपीडीएस (मैंगो प्रोजेक्ट) के लिए पाइरोक्सिलीन शीट प्लांट की स्थापना**
आयुध निर्माणी भंडारा में 125 मिमी एफएसएपीडीएस (मैंगो प्रोजेक्ट) के लिए पाइरोक्सिलीन शीट प्लांट का निर्माण और कमीशनिंग चल रहा है।
- iv. **नए सिंगल बेस प्रोपेलेंट प्लांट की स्थापना**
आयुध निर्माणी भंडारा में नए सिंगल बेस प्रोपेलेंट प्लांट की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।
- v. **आयुध निर्माणी, नालंदा में ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट और एनसी-एनजी मिक्सिंग प्लांट की स्थापना**
आयुध निर्माणी नालंदा में ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट और एनसी-एनजी मिक्सिंग प्लांट की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।
- vi. **एचईएफ, खड़की, पुणे में टीएनटी संयंत्र की स्थापना और कमीशनिंग के लिए** मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली को ठेका दिया गया है।
- vii. **एमआईएल के लिए ईआरपी (एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग) के कार्यान्वयन के लिए ठेका** मैसर्स आईबीएम को दिया गया है।

13.2.4 अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा अनुसंधान और विकास पर किया गया कुल व्यय ₹ 73.00 करोड़ है।

13.2.5 कंपनी ने लागत में कमी और व्यय के अनुकूलन के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है:

- i. **ठेका मजदूर और सेवाएं:**
ठेका श्रमिकों को काम पर रखने के लिए किए गए खर्च को कम करने के निरंतर प्रयास किए गए हैं। कंपनी की सभी इकाइयों ने ठेका मजदूरों की आवश्यकता का विस्तार से अध्ययन किया है और उसे 10% से अधिक कम किया है।

ii. मौजूदा अपरिहार्य अस्वीकृति (यूएआर) में कमी :

सभी प्रमुख स्टोर्स के यूएआर में कमी के लिए कंपनी की प्रत्येक उत्पादन इकाइयों द्वारा ठोस कार्रवाई की गई है और इसके परिणामस्वरूप प्रमुख स्टोर्स के यूएआर को 10% से नीचे लाया गया है। सभी उत्पादन इकाइयों ने अस्वीकृति को कम करने के लिए प्रक्रिया में सुधार किया है और मशीन रखरखाव गतिविधियों की आवृत्ति को अनुकूलित किया है, जिससे अंततः यूएआर में कमी आएगी।

iii. पानी की खपत में कमी :

कंपनी ने पानी की खपत को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे वर्षा जल संचयन, जल निकायों की डी-सिल्टिंग और बहाली, बोर के पानी की स्थापना और इस्टेट और निर्माणियों में री-साइकिल्ड पानी का पुनः उपयोग आदि।

iv. ऊर्जा संरक्षण और सौर ऊर्जा का उपयोग:

कंपनी की सभी इकाइयों ने लोड संतुलन सहित ऊर्जा कुशल उपकरणों और फिटिंग का उपयोग किया है और बिजली व्यय को कम करने के लिए सौर ऊर्जा जैसी गैर-पारंपरिक ऊर्जा के उपयोग का सहारा लिया है। कार्यालयों, उत्पादन इकाइयों और प्रत्येक इकाई की संपत्ति में ऊर्जा कुशल लाइट फिटिंग, एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली की बचत हुई है।

अधिकांश इकाइयों में बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में, यह 28 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है जो कंपनी की कुल बिजली आवश्यकता का लगभग 40% है।

v. खर्च कम करने के लिए जहां भी संभव हो प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जाए :

बैठकें, विक्रेता बैठकें, ग्राहक बैठकें आदि आयोजित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सभी खरीद मामलों को अधिकारियों/कर्मचारियों के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके संसाधित किया जा रहा है। इसके अलावा, इकाइयों और कॉर्पोरेट कार्यालय के बीच संचार के लिए ईमेल सेवाओं का उपयोग किया गया है जो त्वरित संचार देता है और कागज और मुद्रण की लागत को भी कम करता है।

14. सतर्कता मामले:

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) के पास मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की अध्यक्षता में एक सुस्थापित सतर्कता विभाग है। संयुक्त महाप्रबंधक (उप सीवीओ) और सहायक स्टाफ /जांच पड़ताल अधिकारियों को एमआईएल कॉर्पोरेट कार्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यालय में तैनात किया गया है। यूनिट स्तर की गतिविधियों के समन्वय और निगरानी के लिए, ग्रुप ए श्रेणी के यूनिट स्तर के सतर्कता अधिकारियों को नामित किया गया है और वे संबंधित एमआईएल इकाइयों के सतर्कता विभागों का नेतृत्व कर रहे हैं।

सतर्कता एक अभिन्न प्रबंधकीय कार्य है। सतर्कता विभाग द्वारा की जानेवाली प्रमुख सतर्कता गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

सतर्कता गतिविधियाँ:

सतर्कता विभाग म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) में निवारक, सहभागी और दंडात्मक सतर्कता बरतने के लिए उचित कार्रवाई करता है। यह सभी वाणिज्यिक खरीद कार्यों, भर्ती, आउटसोर्सिंग गतिविधियों आदिसहित विभिन्न गतिविधियों में पारदर्शिता, अखंडता, निष्पक्षता, जवाब देही को बढ़ावा देता है।

सतर्कता विभाग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए शिकायतों की जांच/स्पॉट जांच/सीटीई प्रकार की परीक्षा के आधार पर उचित उपाय/प्रणालीगत सुधार सुझाता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि संगठन के सभी कार्यों में सत्यनिष्ठा बनी रहे।

- i) सीटीई प्रकार की परीक्षा:
निवारक सतर्कता के एकभाग के रूप में, निर्धारित प्रक्रियाओं और वैधानिक मानदंडों/विनियमों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए खरीद/सेवा अनुबंध/परामर्शी अनुबंध/उप अनुबंध/आउटसोर्सिंग आदेशों की सीटीई प्रकार की गहन जांच की जाती है।

01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान सतर्कता विभागद्वारा विभिन्न एमआईएल इकाइयों में 07 ऐसी सीटीई प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की गईं और प्रणालीगत सुधार का सुझाव दिया गया।

- ii) शिकायतें :
01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान, सतर्कता विभाग को 43 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें 07 जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआई) शिकायतें शामिल हैं। इन 43 शिकायतों में से 28 शिकायतों की जांच पूरी हो चुकी है और उनका उचित निपटारा किया जा चुका है और शेष 15 शिकायत की जांच जारी है।

- iii) स्पॉट जांच / औचक जांच:
सतर्कता विभाग द्वारा औचक/स्पॉट जांच भी की जा रही है। 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान, एमआईएल की 04 इकाइयों में औचक/स्पॉट जांच की गई और प्रणालीगत सुधार के लिए सुझाव/सुधारात्मक उपायों की सिफारिश की गई।

- iv). लेखा परीक्षा तथा सीएजी रिपोर्ट की जांच:
एमआईएल की सीएजी रिपोर्ट और विभिन्न इकाइयों की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट की जांच की गई है।

- v). अधिकारियों की वार्षिक संपत्ति रिटर्न (एपीआर) की जांच:
01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान, सतर्कता विभाग द्वारा आईओएफएस अधिकारियों के एपीआर की जांच की गई।

- vi). निवारक सतर्कता:
निवारक सतर्कता के लिए एक पहल के रूप में प्रबंधन को खरीद के क्षेत्र में प्रणालीगत सुधार का सुझाव दिया गया था और इसे प्रबंधन द्वारा स्वीकार कर लिया गया और परिपत्रों के माध्यम से प्रचार किया गया।

एमआईएल की सभी इकाइयों में सेंसिटिव पोस्ट की पहचान और जॉब रोटेशन के लिए नई नीति बनाई गई। तदनुसार, एमआईएल समूह की निर्माणियों / इकाइयों में संवेदनशील पद/क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों की रोटेशनल में स्थानांतरण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है।

यूनिट स्तर के सतर्कता अधिकारियों के नामांकन के लिए भी नए दिशा निर्देश तैयार किए गए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह:

सतर्कता जागरूकता सप्ताह भ्रष्टाचार के खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने में आयोग के उपकरणों में से एक है।

की गई गतिविधियाँ : निवारक सतर्कता सह आंतरिक हाउसकीपिंग गतिविधियों पर अभियान चलाया गया।

4. तकनीकी पहल: इस अभियान अवधि के दौरान वेबसाइट अपडेशन, ऑनलाइन सेवाएं, ईप्लेट फॉर्म की सुरक्षा, दिशानिर्देशों/परिपत्रों का अपडेशन, शिकायतों जैसे गतिविधियों का निपटान किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह गतिविधियाँ:

सतर्कता जागरूकता सप्ताह (VAW 2023) पूरे संगठन में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2023 तक देशभर के विभिन्न भौगोलिक स्थानों में फैली एमआईएल की सभी इकाइयों में 'भ्रष्टाचार को ना कहें राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें' विषय पर आयोजित किया गया था।

सभी इकाई प्रमुखों ने कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। कर्मचारियों के बीच सतर्कता जागरूकता फैलाने के लिए यूनिट स्तर के प्रमुखों/सतर्कता अधिकारियों द्वारा मुख्य भाषण/वार्ता दी गई।

निदेशक/मानव संसाधन ने एमआईएल कॉर्पोरेट कार्यालय के सभी अधिकारियों को सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा दिलाई।



सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के पालन के एकभाग के रूप में निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

- क) सतर्कता जागरूकता बढ़ाने के लिए एमआईएल कर्मचारियों के बीच हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में सतर्कता संबंधी विषयों पर नारे, पोस्टर और निबंध, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विजेताओं को उचित पुरस्कार भी वितरित किये गये।



- ख) सभी इकाइयों द्वारा पैम्पलेट, बैनर प्रदर्शित/वितरित किये गये।
- ग) कॉर्डाइट फैक्टरी अरुवनकाडु द्वारा आयोजित मिनी रैली, जिसमें स्कूली छात्र सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी विषय पर बैनर और तख्तियां लेकर शामिल थे।



- घ. संगठन के बाहर भी वाद-विवाद, निबंधलेखन, ई-प्रतिज्ञा के माध्यम से सतर्कता जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की गईं। एमआईएल इकाइयों द्वारा 19 स्कूलों में अर्थात बड़माल, इटारसी, देहुरोड, सीएफअरुवंकाडु, नालंदा, एचईपीएफ त्रिरुचिरापल्ली, आयुध निर्माणी खमरिया में सतर्कता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं।
- इ. आयुध निर्माणी इटारसी यूनिट द्वारा सतर्कता जागरूकता के लिए ग्रामसभा का आयोजन किया गया।



- च. श्री महेश चंद्र, आईआरएसएस और सीवीओ/एमडीएल और एमआईएल द्वारा एमआईएल के समूह 'क' एवं 'ख' अधिकारियों के लिए दि. 05.09.2023 को 'पीआईडीपीआई' पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था।
- छ. 31.10.2023 को श्री रंजीत राज, संयुक्त महाप्रबंधक / सतर्कता द्वारा आयुध निर्माणी, देहू रोड के समूह 'क' अधिकारियों के लिए एक व्याख्यान आयोजित किया गया था तथा यूनिट स्तर की एचआर और सतर्कता टीम द्वारा निवारक सतर्कता उपायों के विषय पर एमआईएल कर्मचारियों के लिए इन-हाउस संवेदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।



- ज. एमआईएल की विभिन्न इकाइयों द्वारा विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई।
- झ. परिपत्रों/दिशानिर्देशों/मैनुअलों को अद्यतन करने का कार्य किया गया है।
- त्र) शिकायत निपटान के लिए आईटी का लाभ उठाना: म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड की ऑनलाइन वेबसाइट हाल ही में एनआईसी से उचित ऑडिटिंग के बाद विकसित और होस्ट की गई थी। शिकायत कर्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के लिए वेबसाइट में अलग सेलेंक/टैब उपलब्ध कराया गया है
- ट. क्षमता निर्माण:
म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) के तत्वावधान में दो शिक्षण केंद्र हैं। समूह - 'क' अधिकारियों को राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी अंबाझरी, नागपुर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं तथा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग खमरिया, जबलपुर समूह 'ख' एवं 'ग' अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। इन प्रशिक्षण संस्थानों में अभियान अवधि के दौरान टीओटी (प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण) कैम्पसूल के लिए खरीद, नैतिकता और शासन, संगठन की प्रणालियों और प्रक्रियाओं, साइबर स्वच्छता और सुरक्षा और आईओ/पीओ प्रशिक्षण पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इसके अलावा कुछ अधिकारियों को आयोग द्वारा नामित संस्थानों में टीओटी प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। इसके अलावा, एमआईएल की सभी इकाइयों में इन-हाउस प्रशिक्षण अनुभाग हैं, जहां प्रशिक्षित अधिकारियों (टीओटी) ने अन्य सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है।

ठ. पीआईडीपीआई जागरूकता :

- जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) संकल्प 2004 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अनुभागों के प्रमुख स्थानों पर पीआईडीपीआई पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) की विभिन्न इकाइयों में हिंदी, अंग्रेजी और अन्य स्थानीय भाषाओं में अर्थात् मराठी और तमिल भाषा में कुल 531 पीआईडीपीआई पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे।
- जिंगल- सीवीसी ने टेलीफोन एक्सचेंज में कॉलरट्यून के रूप में इस्तेमाल होने वाला जिंगल जारी किया।
वीडियो - एनिमेटेड पात्रों के साथ इन-हाउस विकसित वीडियो के साथ-साथ सीवीसी द्वारा जारी वीडियो का उपयोग एमआईएल समूह की सभी इकाइयों में पीआईडीपीआई प्रावधानों के प्रसार के लिए किया जाता है।

15. निदेशक मंडल एवं बोर्ड की बैठकें:

कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति की जाती है और उनका पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। अतः कंपनी के पास निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक पर कोई नीति नहीं है, जिसमें धारा 178 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदान की गई योग्यता, सकारात्मक दृष्टिकोण, निदेशक की स्वतंत्रता और अन्यमामलों के निर्धारण के मानदंड शामिल हैं।

आज की तारीख में, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड में श्री देवाशीष बनर्जी, निदेशक/मानव संसाधन के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार के साथ, श्री प्रकाश अग्रवाल, निदेशक/वित्त एवं सीएफओ के रूप में निदेशक/ऑपरेशन के अतिरिक्त प्रभार के साथ तथा श्री अनुराग बाजपेयी, अतिरिक्त सचिव सरकार के रूप में हैं। नामित निदेशक के रूप में श्री सुशांत कुमार राउत, निदेशक/ऑपरेशन दि. 30.06.2023 को सेवानिवृत्त हुए हैं तथा श्री रवि कान्त, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दि.29.02.2024 को सेवानिवृत्त हुए हैं। श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव, संयुक्त सचिव (एलएस), नामांकित निदेशक दि. 08.12.2023 से नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 18.05.2023, 29.05.2023, 28.06.2023, 26.09.2023, 01.11.2023, 20.12.2023, 29.12.2023, 16.01.2024 और 28.02.2024 को 09 बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक

नाम	पदनाम	2023-24 (रुपये में)	2022-23 (रुपये में)
श्री रवि कांत	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (29/02/2024 तक)	41,12,036	46,13,712
श्री देवाशीष बैनर्जी	निदेशक/मानव संसाधन एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	45,20,765	46,49,872
श्री सुशांत कुमार राउत	निदेशक / ऑपरेशन (30/06/2023 तक)	11,74,960	46,29,904
श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक /वित्त एवं सीएफओ एवं निदेशक / ऑपरेशन (अतिरिक्त प्रभार)	45,61,235	40,32,414
श्री ई.जे.पॉल	कंपनी सचिव	10,20,000	7,36,667

16. लेखा परीक्षक:

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने मेसर्स बोरकर और मुजुमदार, 21/168, आनंदनगर ओएमसीएचएस, आनंद नगर लेन, वाकोला, सांताक्रूज ईस्ट, मुंबई- 400055, महाराष्ट्र को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वैधानिक लेखापरीक्षक और 06 अन्य फर्मों को शाखा लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

लेचरर परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के खातों का ऑडिट किया है। आवश्यक अनुलग्नक और रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित खाते इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

17. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :

आरटीआई आवेदनों को प्राप्त करने एवं उस पर कार्रवाई करने के लिए कंपनी में आरटीआई मशीनरी मौजूद है। म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन की दिशा में कंपनी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई है।

1. अपीलीय प्राधिकारी
श्री अविनाश तरहावदकर
2. मुख्य लोक सूचना अधिकारी
श्री शहीर फारुकी

18. सतर्क तंत्र:

बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस को अमल में लाने के लिए कंपनी व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार कर रही है। इस नीति का उद्देश्य धोखाधड़ी का पता लगाने एवं रोकथाम के लिए एक प्रणाली प्रदान करना है, किसी भी धोखाधड़ी का पता लगने या संदेह होने की सूचना देना और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों के निष्पक्ष व्यवहार करना है।

19. लेखा-परीक्षा समिति:

लेखा-परीक्षा समिति समिति का गठन किया गया है। 31 मार्च, 2024 को लेखा-परीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	पदनाम	लेखा परिक्षक समिती में पद
अभी नियुक्ति होनी बाकी है	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
अभी नियुक्ति होनी बाकी है	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
अभी नियुक्ति होनी बाकी है	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
श्री देबाशीष बनर्जी	निदेशक/मानव संसाधन	सदस्य
श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक/ वित्त एवं सीएफओ	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, दो लेखा-परीक्षा समिति की बैठकें दि. 27/10/2023 और दि. 26/02/2024 को आयोजित की गई।

20. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट:

प्रपत्र सं. एमआर-3, सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इसके साथ अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है।

21. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ:

अपनी रिपोर्ट में वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई राय के अस्वीकरण पर निदेशक मंडल द्वारा स्पष्टीकरण :

सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर एक योग्य राय प्रदान की है और कंपनी के निदेशक मंडल केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों के संदर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहेंगे :

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
1.1	पूर्व अवधि समायोजन हम वित्तीय विवरण के नोटसंख्या 31 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। जिसमें वर्ष के दौरान असमाधानित पुरानी शेष राशि की कुल राशि 250.05 करोड़ रुपये है, जिसे विभिन्न असमाधान देनदारियों से वापस लिखा गया है तथा यूनिट्स रिटर्न द्वारा रिपोर्ट की गई सीमा तक कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान असंशोधित संपत्तियों (पीपीई शेष सहित) से 88.52 करोड़ रुपये माफ कर दिए गए हैं। राइट-ऑफ और राइट-बैक मदों का शुद्ध प्रभाव रु. 161.53 करोड़ रुपये का खुलासा वित्तीय विवरणों में असाधारण मद के तहत किया गया है क्योंकि ये राशियाँ पिछले वर्षों से संबंधित लेनदेन से संबंधित हैं और गैर-आवर्ती हैं। कुछ इकाइयों ने वित्तीय विवरण में असाधारण वस्तुओं के तहत पीपीई से संबंधित इन राइट-बैक और राइट-ऑफ का खुलासा नहीं किया है और यह अन्य आय का हिस्सा है। उपर्युक्त के अनुसार बट्टे खाते में डाले गए और वापस लिखे गए शेष, शुद्धता के संबंध में पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य की अनुपलब्धता के कारण 31 मार्च, 2023 को शेषराशि की विश्वसनीयता के संबंध में पिछले लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई योग्यता का हिस्सा थे। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय विवरणों में शेषराशि पर राय का अस्वीकरण दिया था,	सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस)ने अपनी दिनांक 29.07.2020 की बैठक में आयुध निर्माणी बोर्ड (रक्षा मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय) को 41 इकाइयों के साथ 07 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) में बदलने की मंजूरी दी थी। कैबिनेट समिति के उक्त निर्णय के अनुपालन में, सरकार ने 17.08.2021 को कंपनी पहचान संख्या 29190PN2021G01203505 के साथ अन्य कंपनियों के साथ म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड को शामिल किया है। उक्त निर्णय के अनुसार, निम्नलिखित 12 उत्पादन और 3 गैर-उत्पादन इकाइयों को 01.10.2021 से संचालन / प्रबंधन करने के लिए एमआईएल को हस्तांतरित किया गया था: 1. गोला बारूद फैक्टरी, खड़की 2. कॉर्डाइट फैक्टरी अरुवनकाडु 3. हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी तिरुचिरापल्ली 4. हाई एक्सप्लोसिव फैक्टरी खड़की 5. आयुध निर्माणी भंडारा 6. आयुध निर्माणी बोलंगीर 7. आयुध निर्माणी चांदा, चंद्रपुर 8. आयुध निर्माणी देहूरोड 9. आयुध निर्माणी इटारसी 10. आयुध निर्माणी खमरिया 11. आयुध निर्माणी नालंदा 12. आयुध निर्माणी वरणगांव 13. राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, नागपुर 14. एमआईएल, संरक्षा नियंत्रणालय, पुणे 15. आयुध निर्माणियां शिक्षण संस्थान, खमरिया

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
	इसलिए तुलनात्मक शुरुआती आंकड़े दिए गए थे। कंपनी ने बरकरार रखी गई कमाई के प्रारंभिक शेष को समायोजित करके ऐसी पूर्व अवधि की वस्तुओं के लिए पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों का पूर्वव्यापी पुनर्कथन नहीं किया है, जो कि इंडस्ट्रीज AS-8 के अनुसार नहीं है क्योंकि ये हमारे विचार में भौतिक वस्तुएं हैं। (एचओ, एचईएफ, ओएफडीआर, एएफके, ओएफके, ओएफबीए, ओएफसीएच, ओएफएन, ओएफवी, एचईपीएफ, ओएफबीएल के मामले में देखा गया)।	भौतिक हैंडओवर/अधिग्रहण के साथ-साथ सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण का लेखांकन समय लेनेवाला और जटिल मामला था जिसमें बहुत समय लगता था। इसके अलावा, इन इकाइयों से संबंधित सभी चल रहे अनुबंधों / समझौतों / दायित्वों का हस्तांतरण प्रशासनिक रूप से बहुत बोझिल गतिविधि थी। जैसा कि कंपनी का गठन पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड से व्यापार पुनर्गठन पर किया गया था, जो सीधे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में था, वैसे ही कंपनी भी है। सामग्री की चूक/मदों की गलत बयानी को इंडस्ट्रीज एस 1 में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: वस्तुओं की चूक या गलत विवरण महत्वपूर्ण हैं यदि वे व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, उपयोगकर्ताओं द्वारा वित्तीय विवरणों के आधार पर किए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। भौतिकता आस-पास की परिस्थितियों में आंकी गई चूक या गलत बयानी के आकार और प्रकृति पर निर्भर करती है। वस्तु का आकार या प्रकृति, या दोनों का संयोजन, निर्धारण कारक हो सकता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई चूक या गलत विवरण उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है, और इसलिए महत्वपूर्ण है, उन उपयोगकर्ताओं की विशेषताओं पर विचार करने की आवश्यकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए फ्रेमवर्क के पैराग्राफ 25 में कहा गया है कि 'उपयोगकर्ताओं को व्यवसाय और आर्थिक गतिविधियों और लेखांकन का उचित ज्ञान और उचित परिश्रम के साथ जानकारी का अध्ययन करने की इच्छा है। अतः मूल्यांकन में इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसी विशेषताओं वाले उपयोगकर्ताओं से आर्थिक निर्णय लेने में कैसे उचित रूपसे प्रभावित होने की उम्मीद की जा सकती है। विरासती अचल संपत्तियां/प्राप्य/देय राशियां लगातार जांच के दायरे में हैं जिन्हें पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड से स्थानांतरित किया गया है। सौंपने और लेने की प्रक्रिया बोझिल थी और इस में कई संपत्तियां/देनदारियां शामिल थीं और यह पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा कंपनी को उपलब्ध कराए गए खातों/रिकॉर्डों की किताबों पर आधारित थी।

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
		चूँकि पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड के सभी रिकॉर्ड और संपत्तियाँ दशकों के संचालन की अवधि में बनाई/संचित की गई थीं, इसलिए ऐसी त्रुटियों को सुधारना एक वर्ष का मामला नहीं है। इसलिए त्रुटियों का पता लगाने के सभी प्रयास हर साल तब तक किए जा रहे हैं जब तक कि खातों को अंतिम रूप देने के लिए समय नहीं मिल जाता है और समय-समय पर खातों की पुस्तकों को साफ किया जाता है। यदि प्रति वर्ष बैलेंस शीट को पिछली तारीख से दोबारा जारी किया जाता है तो यह जटिल स्थिति पैदा करेगा जहां पिछली अवधि के लिए कई बैलेंस शीट बनाई जाएंगी। अतः पिछले वर्ष में पहले से ही बहाल किए गए खातों की पुस्तकों को हर साल दोबारा दर्ज करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। IndAS 8 के अनुसार यदि व्यावहारिक कठिनाई है तो प्रबंधन चालू वित्तीय वर्ष में पूर्व अवधि की त्रुटियों का हिसाब दे सकता है। इंडस्ट्रीज़ एएस 8 का पैरा 45 निम्नानुसार प्रदान करता है: जब वर्तमान अवधि की शुरुआत में, सभी पूर्व अवधियों पर किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव को निर्धारित करना अव्यावहारिक हो, तो इकाई व्यावहारिक रूप से प्रारंभिक तिथि से त्रुटिको सही करने के लिए तुलनात्मक जानकारी को दोबारा बताएगी। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन ने वर्ष के दौरान पहचानी गई त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया है: 1. पूर्व अवधि की सभी पहचानी गई त्रुटियों को लाभ और हानि के विवरण में आवश्यक प्रविष्टियाँ करके वर्तमान अवधि में ठीक किया जाएगा। 2. सभी अज्ञात पूर्व अवधि की बकाया शेषराशि को 3 साल पूरा होने अर्थात अक्टूबर 2024 के बाद माफ कर दिया जाएगा।

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
		जैसा कि ऊपर बताया गया है, व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए प्रबंधन ने Ind AS 8 के अनुसार उचित निर्णय लिया।
1.2	व्यापार प्राप्य का शेष प्रबंधन के पास आवधिक आधार पर व्यापार प्राप्य शेष के समाधान के लिए कोई प्रणाली नहीं है। ये शेषराशि संबंधितपक्षों से पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। इसके अलावा, लेखांकन प्रणाली सामान्य खाता शेष के साथ विधिवत मिलान करते हुए ग्राहक से अग्रिम सहित व्यापार प्राप्य शेष की चालान-वार सूची प्रदान नहीं करती है। जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 8 में बताया गया है कि व्यापार प्राप्य और शेष पुष्टिकरण से प्राप्तियों/बकाया की बिल-वार रिकॉर्डिंग की अनुपस्थिति में, उम्र बढ़ने के विश्लेषण से संबंधित उचित आधार को सत्यापित नहीं किया जा सकता है। आगे यह देखा गया कि कंपनी ने इंडस्ट्रीज एएस 109 के अनुसार व्यापार प्राप्तियों पर कोई ईसीएल प्रावधान सुनिश्चित नहीं किया है या बनाया नहीं है। इस तरह के शेष की पुष्टि, समाधान, आयु के अनुसार विश्लेषण के लिए आधार और ईसीएल के लिए प्रावधान की गैर-गणना के लंबित रहने तक, वित्तीय विवरणों पर परिणामी समायोजन के प्रभाव, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, हम 31 मार्च, 2024 तक इन शेषों की पूर्णता, सटीकता और अस्तित्व पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। एचओ, एचईएफ, ओएफडीआर, एएफके, ओएफके, ओएफआई, ओएफआईएल, ओएफबीए, ओएफसीएच, एनएडीपी, ओएफएन, ओएफवी, के मामले में देखा गया)। इस मामले को पिछले ऑडिटर ने भी वर्ष 2022-23 के लिए 13 अक्टूबर, 2023 को जारी अपनी ऑडिट राय में योग्य ठहराया था।	I. आवधिक समाधान: प्राप्य व्यापार संतुलन आम तौर पर अन्य डीपीएसयू, अन्य रक्षा विभागों और सरकारी एजेंसियों से होता है। एमआईएल ने ऐसी प्राप्य शेषराशि का समाधान करने के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयास किया है, हालांकि अन्य पक्षों ने समय पर पुष्टि प्रदान नहीं की। एहतियाती कदम के रूप में एमआईएल की सभी इकाइयों ने ऐसे मेल के साथ संलग्न विस्तृत सामान्य खाता-बही के साथ सभी पक्षों को ई-मेल भेजा है और कहा है कि यदि पार्टियों की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता है तो ई-मेल में प्रदान की गई शेष राशि को माना जाएगा। उन मेलों में अंतिम और केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षकों को भी चिन्हित किया गया था। चूंकि बकाया सरकारी संस्थाओं का है, इसलिए चूक की कोई उम्मीद नहीं है। II. बिल-वार बकाया: टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बिल-वार लेनदेन को रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सभी यूनिट स्तर पर इसका पालन किया जाता है। हालांकि, किसी भी बिक्री लेनदेन के संबंध में प्राप्त भुगतान के लिए एमआईएल में किए गए लेनदेन हमेशा क्रेडिट पर या अग्रिम भुगतान पर नहीं होते हैं, यह उपरोक्त का एक संयोजन है और कई बार समूह में आता है। इसलिए ऐसे जटिल लेनदेन को टैली में दर्ज नहीं किया जा सका और बिल के हिसाब से बकाया का पता लगाना मुश्किल था। अगले वित्त वर्ष में इसी प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा। हालांकि, सभी इकाई स्तर पर एक अलग डेटा पैक तैयार किया जा रहा है जो व्यापार प्राप्य की उम्र बढ़ने को दर्शाता है। III. ईसीएल का प्रावधान: अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल), जैसा कि नाम से पता चलता है, ईसीएल को उस नुकसान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे कंपनी अपने देनदारों को क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के कारण वहन करने की

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
		उम्मीद करती है। एमआईएल के मामले में व्यापार प्राप्य शेष का अधिकांश हिस्सा केवल सरकार या सरकारी एजेंसियों का है, इसलिए ईसीएल का प्रावधान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
1.3	व्यापार देय शेष प्रबंधन के पास आवधिक आधार पर व्यापार देय शेष के समाधान के लिए कोई प्रणाली नहीं है। ये शेष राशि संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। इसके अलावा, लेखांकन प्रणाली सामान्य खाता शेष के साथ विधिवत मिलान करते हुए आपूर्तिकर्ता को अग्रिम सहित व्यापार देय शेष की चालान-वार सूची प्रदान नहीं करती है। व्यापार देय के भुगतान/ बकाया की बिलवार रिकॉर्डिंग और शेषराशि की पुष्टि के अभाव में, लेनदारों की उम्र बढ़ने का उचित आधार जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 18 में बताया गया है, को सत्यापित नहीं किया जा सकता है। इस तरह की पुष्टि, समाधान और उम्र के अनुसार विश्लेषण के आधार पर, वित्तीय विवरणों पर परिणामी समायोजन का प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हम 31 मार्च, 2024 तक इन शेषों की पूर्णता, सटीकता और अस्तित्व पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। एचओ, एचईएफ, ओएफडीआर, एएफके, ओएफके, ओएफआई, ओएफआईएल, ओएफबीए, ओएफसीएच, एनएडीपी, ओएफएन, ओएफवी, के मामले में देखा गया)। इस मामले को पिछले लेखा-परीक्षकों ने भी वर्ष 2022-23 के लिए 13 अक्टूबर, 2023 को जारी अपनी ऑडिट राय में योग्य ठहराया था। 31 मार्च, 2024 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ('एमएसएमई') विक्रेताओं को देयराशि से संबंधित	I. आवधिक समाधान: देय व्यापार शेष आम तौर पर अन्य डीपीएसयू और ट्रेडों का होता है। एमआईएल ने ऐसे देय शेष के समाधान के लिए विभिन्न तरीकों की कोशिश की है, हालांकि पार्टियों की सीमाओं के कारण हम सभी पार्टियों से शेषराशि की पुष्टि प्राप्त करने में असमर्थ रहे। एहतियाती कदम के रूप में एमआईएल की सभी इकाइयों ने ऐसे मेल के साथ संलग्न विस्तृत सामान्य खाता-बही के साथ सभी पक्षोंको ई-मेल भेजा है और कहा है कि यदि पार्टियों की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता है तो ई-मेल में दी गई शेष राशि को अंतिम माना जाएगा और उन मेलों में केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षकों को भी चिन्हित किया गया था। II. बिल-वार बकाया: टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बिल-वार लेनदेन को रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सभी यूनिट स्तर पर इसका पालन किया जाता है। हालाँकि, इस प्रक्रिया को और मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा, सभी इकाई स्तर पर एक अलग डेटा पैक भी तैयार किया जा रहा है जो देय व्यापार की अवधि को दर्शाता है। III. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई): एमएसएमई अधिनियम के अनुसार एमएसएमई अधिनियम के तहत सूक्ष्म या लघु के रूप में पंजीकृत पार्टियों को आरबीआई दर से 3 गुना की दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा। एमएसएमई के संबंध में डेटा भौतिक प्रतिलिपि में एमआईएल के पास उपलब्ध है जो ऑडिट के अधीन है, हालांकि, हम इसके डिजिटली करण की प्रक्रिया में हैं। डेटा के आकार और सटीकता के कारण इकाइयों ने निर्णय लिया है कि ऐसे रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने की गतिविधि अगले वित्तीय वर्ष से की जाएगी। आम तौर पर भुगतान समय पर किया जाता है, सिवाय इसके कि जब आपूर्तिकर्ता के कारण कोई चूक होती

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
	पार्टी-वार विवरण के अभाव में और एमएसएमई विक्रेताओं की पहचान करने में कंपनी की असमर्थता के कारण, हम एमएसएमई को अति देय राशि की सटीकता तथा 31 मार्च, 2024 तक एमएसएमई को बकाया अंतिम शेष राशि को सत्यापित करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, एमएसएमई को देय अति देय राशि पर ब्याज के प्रावधान को 31 मार्च, 2024 तक वित्तीय विवरणों में 2 इकाइयों को छोड़कर मान्यता नहीं दी गई है और इसलिए हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं। कंपनी ने बंद की गई कंपनियों की पहचान नहीं की है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत आवश्यक वित्तीय विवरणों में इसका खुलासा नहीं किया गया है।	है, इसलिए ब्याज, यदि कोई छूट जाता है, तो वह महत्वपूर्ण राशि नहीं होगी। IV. बंद की गई कंपनियाँ: कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, बंद की गई कंपनियों के संबंध में खुलासा खातों के नोट्स के भाग के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। राजस्व और व्यय पक्ष में ज्यादातर सरकारी संस्थाएं हैं। इसके अलावा, भुगतान करते समय पैन और जीएसटी नंबर की वैधता की भी जांच की जाती है, इसलिए यह अत्यधिक संभावना नहीं है कि एक लेनदार जो पहले स्थान पर एक कंपनी है और एक खारिज की गई कंपनी भी है। प्रबंधन भविष्य में इस तथ्य का दस्तावेजीकरण करने की कार्रवाई करेगा।
1.4	सरकार से प्राप्य: जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 10 में बताया गया है कि सरकार से बकाया प्राप्तियां हैं जिसके लिए ऐसे शेष की पुष्टि ऐसे दावे को समर्थित करनेवाला उपयोग प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण, हम कंपनी के वित्तीय विवरणों पर इन शेषों की सटीकता और संभावित समायोजन के प्रभाव, यदि कोई हो, का पता लगाने में असमर्थ हैं। एचओ, एचईएफ, ओएफडीआर, एएफके, ओएफके, ओएफआईएल, ओएफसीएच के मामले में देखा गया)।	सरकार से प्राप्य में 1 अक्टूबर 2021 से पहले की विभिन्न देनदारियां शामिल हैं जो पूर्ववर्ती ओएफबी की पुस्तकों में दर्ज नहीं हैं, जो अब एमआईएल और इस की इकाइयों द्वारा वहन की जाती हैं। इन राशियों का दावा भारत सरकार से किया जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 में भारत सरकार ने एमआईएल द्वारा दावा की गई राशि की प्रतिपूर्ति की है। भारत सरकार पहले से कोई पुष्टि नहीं करती। एमआईएल ने एमआईएल द्वारा दावा की गई राशि को सरकार से प्राप्य के रूप में रखा है, इस तथ्य के कारण किये राशि 1 अक्टूबर 2021 से पहले की अवधि से संबंधित है। इसके अलावा, सहायक दस्तावेजों के साथ इन राशियों का दायित्व-वार विवरण संबंधित इकाइयों में उपलब्ध है और उपयोग के बाद, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पुष्टि के साथ इकाइयों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं।
1.5	सरकारी अधिकारियों के साथ संतुलन यूनिट लेखा परीक्षकों और प्रधान कार्यालय की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर, सरकारी अधिकारियों के	सामान्य लेखांकन नीति के हिस्से के रूप में, एमआईएल सभी खरीद को रसीद वाउचर (आरवी) तैयार होने की तारीख पर रिकॉर्ड करता है, न कि चालन की तारीख पर। इसे देखते हुए आईटीसी का दावा करने में देरी हो रही है क्योंकि गुणवत्ता

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
	सरकारी अधिकारियों के साथ शेषराशि, खातों की पुस्तकों के अनुसार जीएसटी आईटीसी, 31 मार्च, 2024 तक संबंधित इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखाई देनेवाली शेष राशि के साथ सामंजस्य के अधीन है। इसलिए, पूर्णता और 31 मार्च, 2024 को इसकी सटीकता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। एचओ, एचईएफ, ओएफडीआर, एएफके, ओएफके, ओएफआई, ओएफआईएल, ओएफसीएच, एनएडीपी, के मामले में देखा गया)। इस मामले को पिछले ऑडिटर्स ने भी वर्ष 2022-23 के लिए 13 अक्टूबर, 2023 को जारी अपनी ऑडिट राय में योग्य ठहराया था।	इसे देखते हुए आईटीसी का दावा करने में देरी हो रही है क्योंकि गुणवत्ता परीक्षण की आवश्यकताओं में काफी समय लग सकता है। वर्ष के दौरान लिए गए ऋण का एक-एक करके मिलान संबंधित इकाई के पास उपलब्ध है। जीएसटी पोर्टल के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर और टैली में इनपुट टैक्स लेजर का मिलान समग्रता से किया गया। सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करते हुए प्रबंधन वित्त वर्ष 2024-25 में इस प्रक्रिया को और मजबूत करेगा।
1.6	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्रगति पर पूंजीगत कार्य और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति और उन पर मूल्यहास कुछ इकाइयों में संपत्तियों के भौतिक सत्यापन पर उचित रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। इकाइयों की लेखा पुस्तकों की तुलना में अचल संपत्ति रजिस्टर के अनुसार रिकॉर्ड/शेषराशि में अंतर देखा गया। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर विसंगतियां हैं, जिसके आधार पर इकाइयों ने संपत्ति के नुकसान को दर्ज करके वित्तीय विवरण में नुकसान दर्ज किया है। हालाँकि, सत्यापन के लिए संपत्ति-वार विसंगतियाँ और ऐसे नुकसान की गणना का आधार प्रदान नहीं किया गया था। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार संपत्ति के जीवन पर विचार करके परिसंपत्ति वर्ग 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' के मामले में मूल्यहास का प्रावधान किया है। हालाँकि, चूँकि ये परिसंपत्तियाँ नई नहीं हैं और कंपनी के निगमन से पहले बनाई/अधिगृहीत की गई थीं, इसलिए इन परिसंपत्तियों का तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर परिसंपत्तियों के शेष अनुमानित जीवन से अधिक मूल्यहास किया जाना चाहिए था। इस प्रकार,	I. अचल संपत्तिका भौतिक सत्यापन : सभी इकाइयों में एक समिति का गठन किया गया और अचल संपत्ति का सत्यापन किया गया और संबंधित इकाइयों के सभी लेखा परीक्षकों को समिति की रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर प्रदान की गई। भौतिक सत्यापन के दौरान जो भी विसंगतियां देखी गई, उन्हें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान खातों की पुस्तकों में सुधार, संशोधित और दर्ज किया गया है। II. मूल्यहास : इकाई द्वारा रखी गई अधिकांश संपत्ति निगमीकरण से पहले की है और इन्हें बुकवैल्यू पर ले लिया गया है और संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यहास लगाया जाता है। III. विकास की लागत: एमआईएल की नीति के अनुसार, वर्ष के दौरान इकाइयों द्वारा खर्च की गई कोई भी विकास लागत वर्ष के अंत में संबंधित श्रम, सामग्री और अन्य व्यय शीर्षों को जमा करके 'विकास के तहत अमूर्त संपत्ति' में स्थानांतरित कर दी जाती है। प्रविष्टियों को प्रत्येक इकाई स्तर पर मिलान में पारित किया जाता है और इकाइयों पर व्यय वार ब्रेकअप उपलब्ध होता है। विवरण और प्रविष्टियाँ इकाई स्तर पर वैधानिक लेखा परीक्षकों को दिखाई गई।

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
	कंपनी द्वारा अपनाया गया लेखांकन व्यवहार इंडस्ट्रीज एएस-16 में निर्धारित व्यवहार के अनुरूप नहीं है। परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अनुमानित अवशिष्ट मूल्य के विवरण के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं। विकास लागत को विकास के तहत अमूर्त संपत्तियों के रूप में मान्यता देने के लिए, कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था जो सबूत दे कि व्यावसायिक उत्पादन या उपयोग शुरू होने से पहले उत्पादों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों या सेवाओं और भविष्य में पर्याप्त आर्थिक लाभ उत्पन्न करने के लिए इन लागतों की परिणामी क्षमता पूंजीकृत लागत नई या काफी हद तक बेहतर सामग्री, उपकरणों के उत्पादन के लिए एक योजना या डिजाइन के लिए अनुसंधान निष्कर्षों या अन्य ज्ञान के अनुप्रयोग से जुड़ी प्रक्रिया लागत का हिस्सा है। इसलिए, हम उस राशि की सटीकता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं जो इंडस्ट्रीज एएस-38 के अनुसार विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में दर्ज होनेयोग्य है और वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। इस मामले को पिछले लेखा परीक्षकों ने भी वर्ष 2022-23 के लिए 13 अक्टूबर, 2023 को जारी अपनी ऑडिट राय में योग्य ठहराया था।	एक बार परियोजनाएं पूरी हो जाने के बाद, सफल परियोजनाओं को 'अमूर्त संपत्ति' के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और पूंजीकरण की तारीख से परिशोधन शुरू हो जाता है। विफल परियोजनाओं के लिए, परियोजना की लागत को पी एंड एल विवरण के माध्यम से बड़े खाते में डाल दिया जाता है।
1.7	इन्वेंटरी: इकाइयों ने कच्चे माल की सूची का मूल्यांकन लागत से कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) के बजाय लागत पर किया है, जो इंडस्ट्रीज एएस-2 के अनुसार नहीं है। इसके अलावा, कुछ इकाइयों में, अर्ध-तैयार माल (तैयार घटक) का मूल्यांकन लागत से कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के बजाय लागत पर किया जाता है। जैसा कि कुछ इकाइयों के लेखा परीक्षक द्वारा कहा गया है, यह देखा गया कि इन्वेंट्री मूल्यांकन पर एनआरवी पर विचार करनेवाली धीमी	I. इन्वेंटरी मूल्यांकन : इन्वेंटरी सत्यापन समितियों का गठन करके इकाई स्तर पर इन्वेंट्री का पूर्ण (100%) भौतिक सत्यापन किया गया है। भौतिक सत्यापन पर पहचाने गए अंतरों को लेखा पुस्तकों में उचित रूप से निपटाया गया है। एमआईएल ने एक नीतिगत निर्णय लिया है किसी भी कच्चे माल का मूल्यांकन भारित औसत लागत पर किया जाएगा क्योंकि उत्पादों की तकनीकी जटिलता के कारण लागत में कमी की संभावना दुर्लभ है।

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
	और गैर-गतिशील इन्वेंट्री के लेखांकन प्रभाव का आकलन प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया था और इसका उपयोग उपयोग में सामान्य इन्वेंट्री पर किया गया था। लागत की गणना करते समय, कुछ इकाइयों में इन्वेंट्री की लागत निकालते समय बिक्री और प्रशासनिक व्यय जैसे गैर-उत्पादन ओवरहेड्स को भी शामिल किया जाता है, जो इंडस्ट्रीज एएस -2 के अनुसार नहीं है। इन्वेंट्री की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में विसंगतियां थीं, जहां कई वस्तुएं अधिशेष या कमी पाई गईं और कुछ मामलों में, इन्वेंट्री की गुणवत्ता में गिरावट देखी गई। इसलिए, हम वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं। इस मामले को पिछले लेखा परीक्षकों ने भी वर्ष 2022-23 के लिए 13 अक्टूबर, 2023 को जारी अपनी ऑडिट राय में योग्य ठहराया था।	यूनिटों द्वारा ऐसी सूची के सत्यापन के समय प्रगतिरत कार्यों और तैयार माल के लिए प्रत्येक इकाई स्तर पर एनआरवी किया गया है। एनआरवी प्रभाव को यूनिट स्तर पर और संबंधित यूनिटों की वित्तीय तैयारी के समय टैली प्रणाली में दर्ज किया गया है। इस प्रक्रिया को और मजबूत किया जाएगा।
1.8	कंपनी अधिनियम, 2013 का गैर अनुपालन जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कुछ आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन के संबंध में वित्तीय विवरण के नोट संख्या 36 (बी) (ii) में बताया गया है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त नहीं किया है और ऑडिट कमेटी गठित की लेकिन यह अधिनियम की धारा 177 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप नहीं है। स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, कंपनीने गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के खंड VII का अनुपालन नहीं किया है। कंपनीने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड में एक महिला	कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसमें भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी है। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यात्मक, स्वतंत्र, महिला निदेशक की नियुक्ति रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने 03/11/2022 को ऑडिट समिति का गठन किया है जो कंपनी के मामलों में सक्रिय रूप से शामिल है।

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
	निदेशक रखने की आवश्यकता का भी पालन नहीं किया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल का कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठन नहीं किया गया था। इस मामले को पिछले ऑडिटर्स ने भी वर्ष 2022-23 के लिए 13 अक्टूबर, 2023 को जारी अपनी ऑडिट राय में योग्य ठहराया था।	

22. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ :

- 22.1 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) के साथ पठित कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार, कंपनी के पास कम से कम 2 स्वतंत्र निदेशक होने आवश्यक हैं। हालाँकि, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। इस प्रकार, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में नहीं है।
- 22.2 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(1) के साथ पठित कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार, कंपनी को बोर्ड में एक महिला निदेशक का होना आवश्यक है। हालाँकि, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी।
- 22.3 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ नहीं किया गया था।

जवाब : म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसका 100% स्वामित्व भारत सरकार के पास है। कंपनी, इसलिए, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की नियुक्ति रक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की अपने निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है। हम स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए रक्षा मंत्रालय को पहले ही कई बार सूचित कर चुके हैं।

- 22.4 स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के खंड VII का अनुपालन नहीं किया है।

जवाब : म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसका 100% स्वामित्व भारत सरकार के पास है। इसलिए, कंपनी, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की नियुक्ति रक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की अपने निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है। हम स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए रक्षा मंत्रालय को पहले ही कई बार सूचित कर चुके हैं।

इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, कंपनी गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के खंड VII का अनुपालन करेगी।

23. जोखिम प्रबंधन नीति:

निदेशक मंडल समय-समय पर व्यवसाय के आंतरिक और बाहरी जोखिमों की समीक्षा करता है ताकि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। इसकी आंतरिक कमजोरियों और विभिन्न बाहरी खतरों की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रिपोर्ट रखी जाती है।

24. निगमित सामाजिक उत्तर दायित्व:

कृपया अनुबंध-III देखें

25. महिला कल्याण :

क) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत खुलासा। महिला कर्मचारियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के समाधान के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (रोक थाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत सभी निर्माणियों / इकाइयों में आंतरिक शिकायत समितियां (आईसीसी) कार्य कर रही हैं। आंतरिक शिकायत समितियों के सदस्यों के संपर्कों और आईसीसी में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी सभी संबंधित लोगों के व्यापक प्रचार के लिए एमआईएल वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त एवं निपटाई गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों का सारांश निम्नलिखित है :

प्राप्त शिकायतों की संख्या	- 01
निस्तारित शिकायतों की संख्या	- 01

ख) जागरूकता प्रशिक्षण-आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों के साथ-साथ महिला कर्मचारियों को पीओएसएच अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के बारे में जागरूक करने के लिए एमआईएल के अंतर्गत निर्माणियों / इकाइयों में 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा' पर एक प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है।

ग) महिला स्वास्थ्य- सभी निर्माणियों/इकाइयों को सरकारी नियमों के अनुसार महिलाओं एवं बालिकाओं को मासिक धर्म स्वच्छता हेतु निःशुल्क सेनेटरी पैड वितरण के संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया है।

घ) महिला कल्याण के लिए सीएसआर योजनाएं

- एमआईएल की एक इकाई, आयुध निर्माणी नालंदा द्वारा बिहार के नागडीह गांव की गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए चिकित्सा शिविरों का आयोजन एवं पोषण आहार के वितरण की व्यवस्था की गई है।
- एमआईएल की एक इकाई आयुध निर्माणी इटारसी द्वारा ग्राम सुखतवा, इटारसी (एमपी) की गर्भवती महिलाओं (छह महीने के लिए) के लिए पोषण आहार के वितरण की व्यवस्था की गई है।
- एमआईएल की एक इकाई, आयुध निर्माणी नालंदा द्वारा राजगीर, बिहार की स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण अनुपूरक प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है।

- iv. एमआईएल की एक इकाई आयुध निर्माणी बडमाल द्वारा फाप्सी, रेंगाली, कुइकेड़ा, गंधपत्रपाली, नारीकाटा गांवों, बोलांगीर, ओडिशा के प्राथमिक विद्यालयों की बालिकाओं के लिए शौचालय सुविधा, वाटर कूलर, वाटर प्यूरीफायर और वाटर बूथ के निर्माण का प्रावधान कार्यान्वित किया जा रहा है।
- v. म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की एक इकाई आयुध निर्माणी खमरिया, जबलपुर (मध्यप्रदेश), द्वारा ग्राम मटामार, घाना के प्राथमिक विद्यालय में (पूरा) और ग्राम तिंदनी और रिठोरी (प्रगतिपर) में संलग्न शौचालय (जल निकासी जल टैंक, जल आपूर्ति, निकास पंखा और वॉश बेसिन के साथ विभाजन दीवार) के साथ बालिका मूत्रालय का निर्माण किया जा रहा है।
- ड.) महिला दिवस का आयोजन - म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड एमआईएल के अंतर्गत सभी निर्माणियों/इकाइयों में महिला दिवस मनाया गया। जिसके अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों, प्रेरकों के भाषण, निर्माणी की महिला कर्मचारियों के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था की गई।
- च) क्रेच का प्रावधान - कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए 06 निर्माणियों में क्रेच सुविधा उपलब्ध कराई गई है और शेष 06 निर्माणियों ने निर्माणी परिसर में क्रेच सुविधा के लिए पहल की है।
- छ) महिला कल्याण के लिए सहायता-म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड कई महिला कल्याण गतिविधियों के संचालन के लिए महिला कल्याण समिति को यथा संभव सहायता देती है जैसे - केजी और प्राइमरी स्कूल चलाना, महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के लिए सांस्कृतिक, खेल गतिविधियों का आयोजन करना, जरूरत मंद महिलाओं और लड़कियों को पौष्टिक भोजन, किताबें, स्कूल स्टेशनरी, यूनिफार्म का वितरण करना, लड़कियों के लिए आत्म-सुरक्षा प्रशिक्षण का संचालन आदि।
26. **कॉर्पोरेट प्रशासन:**
कंपनी अपने कामकाज में पारदर्शिता, अखंडता और जवाब देही सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का लगातार प्रयास करती है। इन प्रयासों पर प्रकाश डालनेवाली कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है। (अनुलग्नकख)
27. **सावधि जमा:**
कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(31), 73 और 74 के तहत जनता से जमा आमंत्रित नहीं किया है।
28. **कर्मचारियों का विवरण:**
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) और 5(3) के तहत आवश्यक कर्मचारियों की श्रेणी में आनेवाला कोई भी कर्मचारी नहीं था।
29. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीद पर डाटा:**
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से खरीद पर निम्नलिखित डाटा नीचे संलग्न है :

(रूपये करोड़ में)

विवरण	उपलब्धियां
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एमएसएमई फर्मों से खरीद की उपलब्धि	907.61

30. आभार :

बोर्ड कंपनी के बिजनेस पार्ट नर्स को म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड में उनके समर्थन और विश्वास के लिए धन्यवाद देता है और भविष्य में भी इस पारस्परिक सहायक संबंध को बनाए रखने और बनाने के लिए तत्पर है। बोर्ड कंपनी के संचालन में भारत सरकार, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए भी आभारी है। निदेशक सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों, बैंकों, संरक्षकों और कंपनी के ग्राहकों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। बोर्ड म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के उत्साही और समर्पित कार्य के लिए अपनी गहरी सराहना दर्ज करता है। रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान कंपनी के सुचारु कामकाज के लिए उनका उत्कृष्ट टीम प्रयास अमूल्य था।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(देशाधीन बनर्जी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक/मानव संसाधन
डीआईएन नंबर 09283921

स्थान: पुणे

दिनांक: 19/08/2024

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट (अनुलग्नक- I)

भारत सरकार का एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन पर वर्तमान दिशानिर्देशों का पालन करता है।

कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे दी गई है -

1. कॉर्पोरेट प्रशासन संहिता पर कंपनी का दर्शन:

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड अपने सभी हितधारकों के हितों की रक्षा, प्रचार और सुरक्षा के लिए उचित पारदर्शी प्रणालियों एवं अभ्यास द्वारा समर्थित अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है।

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड देश और विदेश में विस्फोटक और गोला-बारूद के निर्माण के लिए एक प्रतिस्पर्धी, ग्राहक-अनुकूल एवं विकासोन्मुख संगठन के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अपने सभी ग्राहकों को पारदर्शी तरीके से ग्राहक अनुकूल सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

2. निदेशक मंडल:

2.1 बोर्ड की संरचना:

एमआईएल के निदेशक मंडल में पांच सदस्य शामिल हैं, जिनमें से चार कार्यात्मक निदेशक हैं और एक सरकारी है। भारत सरकार के नामित निदेशक बोर्ड में अनुभव, ज्ञान और कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला लेकर आते हैं।

31 मार्च 2024 को बोर्ड की संरचना इस प्रकार है-

कार्यकारी निदेशक

श्री देबाशीष बनर्जी - निदेशक/मानव संसाधन के साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
श्री प्रकाश अग्रवाल - निदेशक/वित्त एवं सीएफओ के साथ निदेशक/संचालन का अतिरिक्त प्रभार

गैर - कार्यकारी निदेशक

श्री अनुराग बाजपेयी - सरकारी नामांकित निदेशक

2.2 बोर्ड और समितियों के संबंध में अन्य प्रावधान

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक का विवरण।

- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नौबोर्ड बैठकें क्रमशः 18.05.2023, 29.05.2023, 28.06.2023, 26.09.2023, 01.11.2023, 20.12.2023, 29.12.2023, 16.01.2024 एवं 28.02.2024 को आयोजित की गईं।
- बोर्ड के पास कंपनी के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी तक पूरी पहुंच है, जिससे निदेशक मंडल को सूचित और कुशल निर्णय लेने में सहायता मिलती है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशकों द्वारा आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या, अंतिम वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति,

अन्य निदेशक पद (सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में) और निदेशकों द्वारा आयोजित समिति सदस्यता की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है: -

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	बोर्ड बैठक		अंतिम वा. आ. बैठक में उपस्थिति	31/03/2024 तक अन्य निदेशकों की संख्या	31/03/2024 तक अन्य समिति सदस्यताओं की संख्या	
			कार्यकाल के दौरान आयोजित	में भाग लिया			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
1	श्री रवि कान्त	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	9	9	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	श्री देवाशीष बैनर्जी	निदेशक/मा.सं.	9	9	हां	0	6	0
3	श्री सुशांता कुमार राउत	निदेशक/ऑपरेशन	3	2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक/वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी	9	9	हां	1	0	5
5	श्री अनुराग बाजपेयी	सरकारी नामित निदेशक	4	1	नहीं	2	0	1
6	श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव	सरकारी नामित निदेशक	5	1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

iv) बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है।

नये निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल

श्री अनुराग बाजपेयी, अतिरिक्त सचिव ने 08 दिसंबर, 2023 को एमआईएल में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप पदभार ग्रहण किया।

श्री अनुराग बाजपेयी भारतीय वन सेवा के 1994 बैच के हैं। वह अर्थशास्त्र, वित्तीय प्रबंधन और जनसंचार में स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), रोम में एक प्रोजेक्ट पर 3 महीने तक काम किया है। उन्होंने 32 देशों की यात्रा की है और नीति नियोजन और प्रशासन में अनुभव प्राप्त किया है।

भारत सरकार में श्री अनुराग बाजपेयी ने कानूनी ढांचे के भीतर वानि की मंजूरी की प्रक्रिया में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत की पहली पवन ऊर्जा नीति तैयार की। कौशल विकास, शिक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास और महिला सशक्तिकरण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने क्रमशः पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में सहायक वन महानिरीक्षक, उप सचिव तथा निदेशक के रूप में कार्य किया।

अपने मूल कैडर अर्थात मणिपुर में, उन्होंने प्रभागीय वन अधिकारी से लेकर विभिन्न वरिष्ठ पदों पर काम किया है और प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया है। उन्होंने वन एवं पर्यावरण विभाग और कपड़ा, वाणिज्य और उद्योग विभाग में कार्य किया। सरकार में रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में शामिल होने से पहले आप वन विभाग में

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक थे तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा मणिपुर में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में (एमईईटीएसी) पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के आर्थिक सशक्तिकरण मिशन के सीईओ थे ।

2.3 आचार संहिता

कंपनी ने कंपनी के मिशन और उद्देश्यों के अनुरूप बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता पर एक नीति तैयार की है । इसका उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है।

3. निदेशक मंडल की समितियाँ:

3.1 बोर्ड द्वारा गठित समितियाँ इस प्रकार हैं:-

- लेखा परीक्षा समिति
- नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
- निवेश सह उधार समिति
- पूंजीगत व्यय के लिए निदेशकों की समिति
- नई नीतियों, एमओयू, नीतियों में बदलाव और एमओयू के अनुमोदन पर निर्णय लेने के लिए निदेशकों की समिति।

3.1.1 लेखा परीक्षा समिति

i) 31 मार्च, 2024 को लेखा परीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिती में पद
1	-	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	-	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3	-	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4	श्री देबाशीष बनर्जी	निदेशक/मानव संसाधन	सदस्य
5	श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक/ वित्त एवं मु.वि.अधि.	सदस्य

तीन स्वतंत्र निदेशकों के पद खाली हैं । वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, दो लेखापरीक्षा समिति की बैठकें 27/10/2023 और 26/02/2024 को आयोजित की गई ।

ii) लेखा परीक्षण समिति की भूमिका कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश 2010 के अध्याय 4.2 में निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करना है ।

3.1.2 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

i) 31 मार्च, 2024 तक नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना इस प्रकार है -

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिती में पद
1	-	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	-	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3	श्री देबाशीष बैनर्जी	निदेशक / मा.सं.	सदस्य
4	श्री अनुराग बाजपेयी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

दो स्वतंत्र निदेशकों के पद खाली हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकें आयोजित नहीं की गई।

ii) नामांकन और पारिश्रमिक समिति की भूमिका वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित नीति तैयार करना है और निर्धारित सीमा के भीतर अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के बीच इसके वितरण के लिए वार्षिक बोनस / परिवर्तनीय वेतन पूल और नीति भी तय करेगी।

3.1.3 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

i) 31 मार्च, 2024 तक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना इस प्रकार है-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिती में पद
1	श्री देबाशीष बैनर्जी	निदेशक / मा.सं.	अध्यक्ष
2	श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक/वित्त एवं मु.वि.अधि.	सदस्य
3		स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

एक स्वतंत्र निदेशक का पद रिक्त है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 27/04/2023, 02/11/2023, 28/12/2023 और 26/02/2024 को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की 04 बैठकें आयोजित की गई।

ii) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की भूमिका है :-

- क) एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार करना एवं बोर्ड को इसकी अनुशंसा करना, जो कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों (अनुसूची तख्ख में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषय में) को इंगित करेगी।
- ख) ऊपर (1) में निर्दिष्ट गतिविधियों पर होने वाले व्यय की राशि की अनुशंसा करना एवं
- ग) समय-समय पर कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की निगरानी करना।

3.1.4 निवेश सह उधार समिति

i) 31 मार्च, 2024 को निवेश सह उधार समिति की संरचना इस प्रकार है :-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिती में पद
1	श्री देबाशीष बैनर्जी	निदेशक/मा.सं.	अध्यक्ष
2	श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक/ऑपरेशन	सदस्य
3	श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक/वित्त एवं मु.वि. अधि.	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उनहत्तर (69) निवेश सह उधार समिति की बैठकें आयोजित की गईं जिनकी तिथियां इस प्रकार हैं :-

10/04/2023, 28/04/2023, 28/04/2023, 08/05/2023, 12/05/2023, 16/05/2023, 23/05/2023, 26/05/2023, 29/05/2023, 05/06/2023, 07/06/2023, 23/06/2023, 26/06/2023, 27/06/2023, 28/06/2023, 28/06/2023, 30/06/2023, 07/07/2023, 10/07/2023, 17/07/2023, 21/07/2023, 24/07/2023, 28/07/2024, 31/07/2023, 02/08/2023, 04/08/2023, 14/08/2023, 21/08/2023, 22/08/2023, 25/08/2023, 01/09/2023, 07/09/2023, 14/09/2023, 20/09/2023, 22/09/2023, 27/09/2023, 30/09/2023, 06/10/2023, 09/10/2023, 20/10/2023, 26/10/2023, 31/10/2023, 02/11/2023, 06/11/2023, 30/11/2023, 07/12/2023, 11/01/2024, 19/01/2024, 25/01/2024, 30/01/2024, 02/02/2024, 07/02/2024, 12/02/2024, 15/02/2024, 20/02/2024, 21/02/2024, 22/02/2024, 23/02/2024, 01/03/2024, 05/03/2024, 11/03/2024, 18/03/2024, 19/03/2024, 20/03/2024, 22/03/2024, 27/03/2024, 28/03/2024, 30/03/2024.

ii) निवेश समिति की भूमिका एक वर्ष तक के अल्पकालिक अधिशेष निधि के निवेश के संबंध में निर्णय लेना है।

3.1.5 पूंजीगत व्यय के लिए निदेशकों की समिति

i) 31 मार्च, 2024 को पूंजीगत व्यय के लिए निदेशकों की समिति की संरचना इस प्रकार है -

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिती में पद
1	श्री देबाशीष बैनर्जी	निदेशक /मा.सं.	सदस्य
2	श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक /ऑपरेशन	सदस्य
3	श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक /वित्तन एवं मु.वि. अधि.	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय के लिए निदेशकों की तेईस समिति की बैठकें 12/04/2023, 03/05/2023, 07/06/2023, 21/06/2023, 28/06/2023, 15/07/2023, 21/07/2023, 30/08/2023, 08/09/2023, 22/09/2023, 27/09/2023, 05/10/2023, 20/10/2023, 25/10/2023, 06/10/2023, 01/01/2024, 01/01/2024, 10/01/2024, 25/01/2024, 28/02/2024, 29/02/2024, 14/03/2024, 21/09/2024 को आयोजित की गई।

- ii) पूंजीगत व्यय के लिए निदेशकों की समिति की भूमिका सार्वजनिक उद्यम विभाग/रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पैरामीटर तक 10 करोड़ रुपये से अधिक के प्लांट और मशीनरी और सिविल कार्यों के पूंजीगत व्यय को मंजूरी देना है।

3.1.6 नई नीतियों, एमओयू, नीतियों में बदलाव और एमओयू के अनुमोदन पर निर्णय लेने के लिए निदेशकों की समिति।

- i) 31 मार्च, 2024 तक नई नीतियों, एमओयू, नीतियों में बदलाव और एमओयू के अनुमोदन पर निर्णय लेने के लिए निदेशकों की समिति की संरचना इस प्रकार है-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिती में पद
1	श्री देबाशीष बैनर्जी	निदेशक / मा.सं.	सदस्य
2	श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक / ऑपरेशन	सदस्य
3	श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक / वित्तन एवं मु.वि. अधि.	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नई नीतियों, एमओयू, नीतियों में बदलाव और एमओयू की मंजूरी पर निर्णय लेने के लिए निदेशकों की बाईस समिति की बैठकें 18/04/2023, 13/06/2023, 22/08/2023, 08/09/2023, 18/09/2023, 21/09/2023, 13/10/2023, 02/11/2023, 02/11/2023, 20/11/2023, 23/11/2023, 30/11/2023, 20/12/2023, 02/01/2024, 05/01/2024, 16/01/2024, 03/01/2024, 31/01/2024, 20/02/2024, 28/02/2024, 28/02/2024 एवं 22/03/2024 को आयोजित की गई।

- ii) नई नीतियों, एमओयू, नीतियों में बदलाव और एमओयू की मंजूरी तय करने के लिए निदेशकों की समिति की भूमिका नई नीतियों, एमओयू, नीतियों में बदलाव और एमओयू को मंजूरी देना है।

4. वार्षिक आम बैठक:

सं.	वर्ष	स्थान	दिनांक एवं समय	क्या कोई विशेष प्रस्ताव पारित हुआ है
1	2021-22	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से	21/12/2022 पूर्वा 11.10	नहीं
2	2022-23	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से	20/12/2023 12.00 दोपहर	नहीं

5. प्रकटीकरण :-

- i) संबंधित पक्षों अर्थात् प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन के साथ कंपनी के हितों के विपरीत कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हुआ है।
- ii) कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट में शामिल करने के लिए सुझाई गई वस्तुओं को अपनाया है।
- iii) कंपनी के निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।
- iv) सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर किसी भी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना या सख्ती नहीं लगाई गई है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक अतिरिक्त खुलासे।

- i) व्यय की मदें खातों की पुस्तकों में डेबिट की गई, जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं हैं - शून्य
- ii) किए गए व्यय जो प्रकृति में व्यक्तिगत हैं और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हैं - शून्य
- iii) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल खर्चों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय 10% है।
- iv) गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने/न अपनाने की जानकारी नीचे दी गई है -

गैर-अनिवार्य आवश्यकताएँ

- i) **बोर्ड**
कंपनी का नेतृत्व एक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है। कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
- ii) **नामांकन और पारिश्रमिक समिति**
डीपीई के निर्देशों के अनुसार बोर्ड ऑफ़ म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित नीति तैयार करने और निर्धारित सीमा के भीतर वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल और इसके वितरण के लिए नीति तय करने के लिए अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों की एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।
- iii) **शेयरधारकों के अधिकार**
अभी तक शेयरधारकों को पिछले छह महीनों की महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश सहित अर्धवार्षिक वित्तीय प्रदर्शन भेजने की कोई व्यवस्था नहीं है।
- iv) **ऑडिट योग्यता** - ऑडिटर की रिपोर्ट संलग्न है।
- v) **बोर्ड सदस्य को प्रशिक्षण** - यह आवश्यकता पर आधारित है।
- vi) **व्हिसल ब्लोअर नीति**
कंपनी द्वारा व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की गई है, जिसमें धोखाधड़ी का पता लगाने, रोकथाम और रिपोर्टिंग के लिए एक व्हिसल ब्लोअर तंत्र स्थापित किया गया है। यह नीति किसी भी धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी पर लागू होती है जिसमें कर्मचारियों के साथ-साथ हितधारक, सलाहकार, विक्रेता, ऋणदाता, उधारकर्ता, ठेकेदार, कंपनी के साथ व्यापार करने वाली बाहरी एजेंसियां, ऐसी एजेंसियों के कर्मचारी और/या कंपनी के साथ व्यावसायिक संबंध रखने वाले कोई भी अन्य पक्ष शामिल हैं।

6. संचार के साधन:

कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठक और वेबसाइट के माध्यम से प्रकटीकरण के माध्यम से अपने शेयरधारकों के साथ संवाद करती है। कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रत्येक अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षित खाते, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल होगी, जो सदस्यों और इसके हकदार अन्य लोगों को वितरित की जाती है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (अनुलग्नक- II)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
फॉर्म सं. एम.आर.3

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी
(नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार)

सेवा में,

सदस्य गण,
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड,
द्वारा गोला बारूद निर्माणी, खडकी,
पुणे - 411003
महाराष्ट्र

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (U29190PN2021GOI203505) (इसके बाद 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी कहा जाएगा) का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट एक तरीके से आयोजित किया गया था जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

कंपनी की पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड के सत्यापन के आधार पर और सचिवीय ऑडिट के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम इसके द्वारा रिपोर्ट करते हैं। हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं, जो कि उचित तरीके से और उचित तरीके से लागू हैं। इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन :

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गए पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है, प्रावधानों के अनुसार :

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;
- प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम; (लागू नहीं)
- डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम ; (लागू नहीं)
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम ; (लागू नहीं)
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी पर लागू नहीं हैं, क्योंकि कंपनी के शेयर स्टॉक के साथ सूचीबद्ध नहीं हैं।

- क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 ;
ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992 ;

- ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2009;
- घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड(कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999
- ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;
- च) कंपनी अधिनियम एवं ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;
- छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2009; एवं
- झ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998;
- (vi) हमने निम्नलिखित कानूनों के अनुपालन की भी जांच की है जो विशेष रूप से कंपनी पर लागू होते हैं :

1	जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2	वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981
3	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016,
4	पेट्रोलियम अधिनियम, 1934
5	भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923
6	सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
7	परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम 2004
8	SOMET के लिए विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992
9	शस्त्र अधिनियम 1959 एवं शस्त्र नियम 2016
10	मध्यप्रदेश अधिनियम संख्या 11, 2018 के तहत राज्य उत्पाद शुल्क अधिनियम (स्पिरिट लाइसेंस), मध्यप्रदेश मोटर, स्पिरिट उपकार अधिनियम, 2018

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :

1. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा समय-समय पर संशोधित सचिवीय मानक। कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), 2015 के साथ किए गए लिस्टिंग समझौते (वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है :

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) के साथ पठित कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार, कंपनी को कम से कम 2 स्वतंत्र निदेशक रखने की आवश्यकता है, हालांकि कंपनी के पास नहीं है वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक। इस प्रकार, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में नहीं है।

2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(1) के साथ पठित कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार कंपनी को बोर्ड में एक महिला निदेशक का होना आवश्यक है। हालाँकि, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी।
3. स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के खंड VII का अनुपालन नहीं किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ नहीं किया गया था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ नहीं किया गया था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

बैठक और बैठकों में सार्थक भागीदारी के लिए बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई थी, कुछ जरूरी मामलों को छोड़कर, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और कार्यसूची की मदें पर पहले से अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बहुमत से निर्णय पारित किया गया जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को लिया गया और कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया गया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रियाएं थीं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के पास उपरोक्त संदर्भित कानूनों के नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर असर डालने वाली कोई बड़ी घटना नहीं थी।

नोट : इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो अनुबंध 'क' के रूप में संलग्न है तथा रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

स्थान : गाजियाबाद
दिनांक: 06.08.2024

ए.के. रस्तोगी एण्ड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव
ICSI Unique code No S2020UP724400

(ए.के. रस्तोगी)
प्रोपराइटर
एफसीएस सं. 1748
सीपी सं. 22973

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

सेवा में,
सदस्य गण,
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड,
द्वारा - गोला बारूद निर्माणी,
खडकी, पुणे - 411003 (महाराष्ट्र)

इस पत्र के साथ सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की यथार्थता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित ऑडिट प्रैक्टिस और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।
6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

स्थान : गाजियाबाद
दिनांक : 06.08.2024

ए.के. रस्तोगी एण्ड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव
ICSI Unique code No S2020UP724400

(ए.के. रस्तोगी)
प्रोपराइटर
एफसीएस सं. 1748
सीपी सं. 22973
UDIN F001748E00097495

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियाँ पर वार्षिक रिपोर्ट (अनुलग्नक- III)

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा -

म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड की सीएसआर नीति में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हैं।

- (i) भूख, गरीबी और कुपोषण को मिटाने के लिए, (''निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना'') और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान सहित) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
- (ii) शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल और आजीविका वृद्धि परियोजनाएं शामिल हैं।
- (iii) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना, वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय करना।
- (iv) पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित करना (केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में योगदान सहित) गंगा नदी के पुनर्जीवन के लिए।
- (v) राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा करना, जिसमें इमारतों और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों और कला के कार्यों की बहाली, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रचार और विकास शामिल है।
- (vi) सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्ध सैन्य बलों (सीपीएमएफ) के दिग्गजों और विधवाओं सहित उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय करना।
- (vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरा ओलंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण देना।
- (viii) प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य फंड में योगदान करने के लिए। सामाजिक आर्थिक विकास और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के राहत और कल्याण के लिए।
- (ix) (क) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा वित्त पोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटर या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान करना और

- (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग (डीईई), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), विभाग के तहत स्थापित सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त निकायों में योगदान करना। फार्मास्यूटिकल्स विभाग, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं अन्य निकाय, अर्थात् ब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान करने में लगे हुए हैं।
- (x) ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए।
- (xi) स्लम क्षेत्र विकास के लिए।
स्पष्टीकरण :- इस मद के प्रयोजनों के लिए, 'स्लम क्षेत्र' शब्द का अर्थ केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस समय लागू किसी भी कानून के तहत घोषित कोई भी क्षेत्र होगा।
- (xii) आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया गया
1	श्री देबाशीष बैनर्जी	निदेशक / मा.सं.	4	4
2	श्री एस. के. राउत	निदेशक / ऑपरेशन (27/06/2023 तक)	4	3
3	श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक/वित्त एवं सीएफओ (28/06/2023 से)	4	1
4	रिक्त	स्वतंत्र निदेशक	शून्य	शून्य

3	वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का कंपनी की वेबसाइट पर खुलासा किया गया है।	https://munitionsindia.in/About us/Corporate Social Responsibility https://munitionsindia.in/Downloads/Manual and Policies/Composition of CSR Committee https://munitionsindia.in/Downloads/Manual and Policies/CSR Activities 2023-24
4	यदि लागू हो तो नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेब-लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें।	लागू नहीं

5.(क)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	रु. 66.18 करोड़
(ख)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	रु. 132.36 लाख
(ग)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष ।	शून्य
(घ)	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो	शून्य
(ङ)	वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (ख+ग+घ)	रु. 132.36 लाख
6.(क)	वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिए सीएसआर परियोजनाओं (चल रही परियोजनाओं और चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य दोनों) पर खर्च की गई राशि	रु. 60.24 लाख
(ख)	प्रशासनिक अपरिव्यय में खर्च की गई राशि	शून्य
(ग)	प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो	शून्य
(घ)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (क + ख + ग)	रु. 60.24 लाख
(ङ)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि	

ड. वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर राशि खर्च की गई या खर्च नहीं की गई

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए खर्च की गई कुलराशि (रुपये में)	खर्च न की गई राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुलराशि ।		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूचीत VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि।		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधी का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
रु. 23.69	रु. 117.95 लाख	30/04/2024	शून्य	शून्य	शून्य

(च) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपये में)
1	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्धलाभ का दो प्रतिशत	132.36 लाख
2	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	23.69 लाख
3	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
4	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
5	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष.	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो		आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जानेवाली शेषराशि। (रुपये में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि	स्थानांतरण की तिथि		
1	2022-23	51.66 लाख	17.91 लाख	36.55 लाख	शून्य	शून्य	15.11 लाख	शून्य
2		शून्य						
3		शून्य						
	कुल	51.66 लाख	17.91 लाख	36.55 लाख	शून्य	शून्य	15.11 लाख	शून्य

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई या अर्जित की गई है : हां/नहीं

यदि हां, तो निर्मित/अर्जित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें – शून्य

वित्तीय वर्ष में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी परिसंपत्तियों से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

क्र.सं.	संपत्तियां संपत्ति का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरापता और स्थान सहित)	संपत्ति का पिनकोड	सृजन की तारीख	खर्च की गई सीएसआर की राशि	इकाई/प्राधिकरण/ का विवरण पंजीकृत स्वामी का लाभार्थी		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
	शून्य						

(सभी फ़ील्ड को राजस्व रिकॉर्ड में प्रदर्शित होने के रूप में लिया जाना चाहिए, फ़्लैट नंबर, मकान नंबर, नगर निगम कार्यालय / नगर निगम / ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और अचल संपत्ति के क्षेत्र के साथ-साथ सीमाएं भी निर्दिष्ट की जानी चाहिए)।

9. यदि कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत शुद्धलाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें।

देर से ऑडिट पूरा होने के कारण, वित्तीय वर्ष 2022-23 में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के संचालन के आसपास के स्थानीय क्षेत्र में सीएसआर व्यय की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था।

(देबाशीष बनर्जी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक/मानव संसाधन एवं अध्यक्ष सीएसआर
डीआईएन नंबर 09283921



प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1. कंपनी:

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो ऐतिहासिक शहर पुणे में स्थित है। एमआईएल, भारत का सबसे बड़ा निर्माता और बाजार नेता सेना, नौसेना, वायु सेना, अर्ध-सैन्य बलों और पुलिस बलों के लिए गोला-बारूद और विस्फोटकों की व्यापक रेंज के उत्पादन, परीक्षण अनुसंधान एवं विकास तथा विपणन में लगी हुई है।

एमआईएल का दृष्टिकोण सशस्त्र बलों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण युद्धक्षेत्र गोला-बारूद से लैस करके प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करना है। एमआईएल का मिशन आत्मनिर्भर भारत अभियान और गोला-बारूद क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल का एक प्रमुख संरक्षक बनना है। एमआईएल घरेलू बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने के साथ-साथ गोला-बारूद की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की इच्छा रखती है।

2. एमआईएल की शक्ति -

- * कुशल कार्यबल
- * 150 वर्षों से अधिक समय तक गोला-बारूद के निर्माण और बिक्री का अनुभव
- * विशाल विनिर्माण क्षमताएँ
- * वृद्धि क्षमता की उपलब्धता
- * घरेलू गोला-बारूद बाजार में नेतृत्व की स्थिति
- * स्थापित आपूर्तिकर्ता आधार
- * स्थापित उत्पाद रेंज
- * गोला बारूद उत्पादन के लिए व्यापक सुविधाएं
- * उच्च स्वदेशीकरण घटक

3. कमजोरी -

- * उच्च ओवरहेड्स
- * विरासत संबंधी मुद्दे

4. अवसर -

- * निर्यात के अवसर
- * निगमीकरण के बाद संयुक्त उद्यम बनाने एवं सह-उत्पादन समझौतों में प्रवेश करने की स्वतंत्रता और लचीलापन
- * निगमीकरण के बाद संचालन में अधिक स्वायत्तता
- * वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य / पर्यावरण
- * महत्वपूर्ण घटकों के लिए सुविधाओं की उपलब्धता
- * गोला-बारूद उत्पादन के लिए शुरु से अंत तक सुविधाएं बनाने के लिए नए प्रवेशकों के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है।

5. जोखिम / धमकी

- * भारतीय रक्षा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलना
- * घरेलू बाज़ार में प्रतिस्पर्धियों का उदय
- * विभिन्न घरेलू कंपनियों को वस्तुओं (जो पहले हमारे द्वारा आपूर्ति की गई थीं) के लिए आरएफपी जारी करना
- * प्रूफ रेंज के लिए डीआरडीओ / डीजीक्यूए पर पूर्ण निर्भरता

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता -

कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

7. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व :

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए चल रही परियोजनाओं पर 141.64 लाख रुपये का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्य,
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड,
पुणे, महाराष्ट्र

हमने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए 2010 के तहत आवश्यक म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (CIN: U29190PN2021GOI203505) (कंपनी) के लिए जैसा कि कंपनी के संबंध में किया जाना आवश्यक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ऊपर उल्लिखित कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है, सिवाय नीचे निर्दिष्ट मामले के लिए :

1. कंपनी ने बोर्ड की संरचना के संबंध में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 3.1.1 का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
2. कंपनी ने बोर्ड की संरचना के संबंध में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 3.1.2 का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि कार्यात्मक निदेशकों (सीएमडी सहित) की संख्या बोर्ड की वास्तविक क्षमता के 50% से अधिक है।
3. कंपनी ने लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है। हालांकि स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में कंपनी द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

हम आगे यह भी प्रमाणित करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है, न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

दिनांक: 06.08.2024

स्थान: गाजियाबाद

ए.के. रस्तोगी एवं एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

आईसीएसआई यूनिक कोड नंबर S2020UP724400

(ए.के. रस्तोगी)

प्रोपराइटर

एफसीएस संख्या 1748

सीपी नंबर: 22973

UDIN: F001748E000982772

व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता के लिए प्रमाणपत्र

सं. एमआईएल/एचआर/बीसी एंड ई

दिनांक : 16/04/2024

व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता के लिए प्रमाणपत्र

एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

(देबाशीष बनर्जी)

निदेशक / मा.सं.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार

वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

प्रतिकूल राय

1. हमने म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ('कंपनी', जिसमें पुणे, महाराष्ट्र में स्थित प्रधान कार्यालय और 15 इकाइयां शामिल हैं) के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक का बैलेंस शीट और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इच्छिटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण, और वित्तीय विवरणों के नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जिसे आगे 'वित्तीय विवरण' कहा जाएगा) शामिल है, जिसमें उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 11 इकाइयों के रिटर्न शामिल हैं, जो कंपनी के अन्य इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	शाखा का नाम	शाखा का स्थान
1	आयुध निर्माणी खमरिया (ओएफके)	खमरिया, जबलपुर, मध्य प्रदेश
2	कॉर्डाइट फैक्टरी अरुवनकाडु (सीएफए)	ऊटी, तमिलनाडु
3	हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी तिरुचिरापल्ली (एचईपीएफ)	तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु
4	आयुध निर्माणी भंडारा (ओएफबीए)	भंडारा, महाराष्ट्र
5	आयुध निर्माणी चांदा (ओएफसीएच)	चंद्रपुर, महाराष्ट्र
6	आयुध निर्माणी बड़माल (ओएफबीएल)	बड़माल, ओडिशा
7	आयुध निर्माणी इटारसी (ओएफआई)	इटारसी, मध्य प्रदेश
8	आयुध निर्माणी नालंदा (ओएफएन)	नालंदा, बिहार
9	आयुध निर्माणी वरणगांव (ओएफवी)	वरणगांव, महाराष्ट्र
10	आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, खमरिया (ओएफआईएल)	खमरिया, जबलपुर, मध्य प्रदेश
11	राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबाझरी (एनएडीपी)	नागपुर, महाराष्ट्र

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के प्रतिकूल राय के आधार खंड में वर्णित मामलों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, संशोधित ('इंडस्ट्रिज एएस') और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुरूप, 31 मार्च 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, इसके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इच्छिटी में बदलाव की स्थिति और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

प्रतिकूल राय के लिए आधार

3. हम इस रिपोर्ट से जुड़े अनुलग्नक ए में वर्णित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिनके मात्रात्मक और गुणात्मक प्रभाव, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, हमारे विचार में, वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा ऐसे मामले भी हैं जहाँ हम और अन्य इकाई लेखा परीक्षक पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ थे। उक्त अनुलग्नक ए में वर्णित मामलों के प्रभाव जिन्हें उचित रूप से निर्धारित किया जा सकता है, जहाँ भी संभव हो, मात्राबद्ध किए गए हैं और उसमें दिए गए हैं।

4. हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार भी हैं और हमने आईसीएआई आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है।

5. हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, उन्हें इस रिपोर्ट के साथ संलग्न अनुलग्नक 'क' के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। पिछले वैधानिक लेखा परीक्षकों और इकाइयों के लेखा परीक्षकों ने भी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जारी अपनी संबंधित रिपोर्टों में अनुलग्नक 'क' में वर्णित मामलों पर योग्यता प्राप्त की थी।

मामले पर जोर

6. इंडस्ट्रीज एस 19 - कर्मचारी लाभ संबंधी दायित्व

हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 36(बी)(आई) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार कंपनी के अधिकांश कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं और उनका वेतन खर्च कंपनी द्वारा वहन किया जाता है। हालांकि, कुछ कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान जैसे कि ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान ऐसे कर्मचारियों के लिए मान्यता प्राप्त नहीं हैं क्योंकि वे कंपनी के पेट्रोल पर नहीं हैं। प्रबंधन ने रक्षा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 1(5)/2021/ओएफ/डीपी(पीएलजी-वी)/02 दिनांक 24 सितंबर, 2021 के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया है कि ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने की जिम्मेदारी सरकार की है न कि कंपनी की।

7. भौतिक पूर्वानुमानित हानियाँ

हम वित्तीय विवरण के नोट संख्या 3 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जहाँ कंपनी ने इस बात का प्रमाण देने के लिए कोई विवरण नहीं दिया है कि दीर्घकालिक अनुबंधों के संबंध में कोई भौतिक पूर्वानुमानित घाटा मौजूद नहीं था। अतः हम वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अन्य सूचना

8. कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है। बोर्ड रिपोर्ट इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी तरह का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

9. वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना एवं ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों से भौतिक रूप से असंगत है, या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

10. जब हम बोर्ड की रिपोर्ट पढ़ते हैं, और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयान है, तो हमें इस मामले की जानकारी शासन के प्रभारी लोगों को देनी होगी।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारियां

11. कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय सहित), इच्छिती में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) के साथ संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितता को रोकने एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित एवं विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और सामग्री गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

12. वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

13. निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

14. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

15. एसए के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं :

* वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और उनका पालन करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

* लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

* प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

* लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

* वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

16. हम अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में, जिनमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है, शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करते हैं।

17. हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

अन्य मामले

18. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण का लेखा-परीक्षण किसी अन्य लेखा परीक्षक द्वारा किया गया, जिसने 13 अक्टूबर, 2023 को जारी अपनी रिपोर्ट में उन वित्तीय विवरणों पर प्रतिकूल राय व्यक्त की।

19. हमने ग्यारह इकाइयों के वित्तीय विवरणों का ऑडिट नहीं किया, जिनकी वित्तीय जानकारी में 12,925.57 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति दर्शाई गई है। (अंतर-इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले) और शुद्ध परिसंपत्ति 7,644.19 करोड़ रुपये (अंतर-इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले) 31 मार्च 2024 तक कुल राजस्व 7,180.49 करोड़ रुपये (अंतर-इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले) कुल व्यापक आय (घाटा और अन्य व्यापक आय सहित) 590.89 करोड़ रुपये (अंतर-इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए, जैसा कि वित्तीय विवरणों में माना जाता है। इस वित्तीय जानकारी की अन्य लेखा परीक्षकों (इकाई लेखा परीक्षकों) द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है, और वित्तीय विवरणों पर हमारी राय जहां तक यह इन इकाइयों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट जहां तक यह उपरोक्त इकाइयों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

20. कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश / सीएआरओ) केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार जारी किया गया है, जिसे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल ग्यारह इकाइयों के लिए संबंधित इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्टों के आधार पर, हम अनुबंध 'ख' देते हैं; आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान, जहां तक लागू हो।

21. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- (क) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, अनुलग्नक- 'क' में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
- (ख) हमारी राय में, हमारी रिपोर्ट के अनुलग्नक- 'क' में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, कंपनी द्वारा उपरोक्त वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच और संबंधित इकाई लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों से पता चलता है।
- (ग) कंपनी की इकाइयों के खातों पर रिपोर्ट इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के तहत लेखापरीक्षित की गई और हमें भेजी गई और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से निपटाया गया है।
- (घ) इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं। हालांकि, इस रिपोर्ट से जुड़े अनुलग्नक - 'क' में वर्णित मामलों के कारण वित्तीय विवरणों पर हमारी राय योग्य है।
- (च) हमारी राय में, अनुलग्नक- 'क' में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
- (छ) कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार लागू नहीं हैं।
- (ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया 'अनुलग्नक सी' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें, जहां हमने अपनी राय का अस्वीकरण दिया है।
- (झ) कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार लागू नहीं हैं।
- (त्र) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और इकाई लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार के आधार पर :
- (i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के कारण अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा किया है - वित्तीय विवरणों के लिए नोट 38 देखें।
- (ii) 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के पास अपने माल की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक अनुबंध बकाया हैं, जिसके लिए वित्तीय विवरणों के नोट 3 में उल्लिखित प्रावधान किया गया है।
- (iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

(iv)(क) प्रबंधन ने हमें बताया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वित्तीय विवरणों के खातों के नोट्स में बताए गए (नोट 40(सी)(एक्स) देखें) के अलावा, यदि कोई हो, तो कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('मध्यस्थ') शामिल हैं, कोई भी निधि अग्रिम, ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ('अंतिम लाभार्थी') को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा।

(ख) प्रबंधन ने हमें बताया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वित्तीय विवरणों के खातों के नोट्स में बताए गए (नोट 40 (सी) (एक्स) देखें) के अलावा, यदि कोई हो, तो कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('फंडिंग पार्टियां') शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार नहीं देगी या निवेश नहीं करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान नहीं करेगी।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और यूनिट लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, कंपनी के संबंध में हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और जैसा कि उप-खण्ड (iv)(ए) और (iv)(बी) के तहत उल्लेख किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

(v) कंपनी ने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है। अधिनियम की धारा 123 की उपधारा (1) और (4) के प्रावधान अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vi) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल थी, कंपनी ने अपने खाता बही के रखरखाव के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं है।

22. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम 'अनुलग्नक डी' में कंपनी के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और अतिरिक्त निर्देशों पर एक विवरण देते हैं।

के लिए और की ओर से
बोरकर और मजुमदार
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 101569W

सुप्रिया दीपक भट
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 048592
यूडीआईएन : 24048592BKEEQL4778
दिनांक : 09-08-2024
स्थान : पुणे

अनुलग्नक - क (जैसा कि योग्य राय के आधार पैरा में संदर्भित है)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट में)

खंड I

कंपनी में कुल 15 इकाइयां और मुख्यालय संचालन हैं। ये सभी अलग-अलग लेखा इकाइयां हैं। इनमें से 11 इकाइयों का ऑडिट C&AG द्वारा नियुक्त यूनिट ऑडिटर द्वारा किया गया और 4 इकाइयों और हेड ऑफिस संचालन का ऑडिट हम, बोरकर और मजुमदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया गया।

15 लेखा इकाइयों और प्रधान कार्यालय परिचालनों में से, कुल 3 इकाइयाँ (हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 1 सहित) हैं जहाँ इकाई लेखा परीक्षकों ने अयोग्य लेखापरीक्षा राय दी है, ग्यारह इकाइयाँ (हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 4 सहित) जहाँ लेखा परीक्षकों ने योग्य राय दी है, एक इकाई जहाँ लेखा परीक्षक ने प्रतिकूल राय दी है और एक इकाई जहाँ लेखा परीक्षक ने राय का अस्वीकरण दिया है। वे इकाइयाँ जहाँ संबंधित इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा या तो प्रतिकूल राय या राय का अस्वीकरण दिया गया था (अर्थात नोट की गई गलतबयानी भौतिक और व्यापक दोनों थीं), 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों में कुल संपत्ति रु. 6,262.22 करोड़ (अंतर-इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले), शुद्ध संपत्ति रु. 3,262.20 करोड़, कुल राजस्व रु. 3,673.87 करोड़ (अंतर-इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले) और कुल व्यापक आय रु. 109.51 करोड़ (अंतर-इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले) का गठन करती हैं।

इसके अलावा, 10 इकाइयां और प्रधान कार्यालय परिचालन हैं, जहाँ संबंधित इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा राय को योग्य माना गया, जो 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों में 11,929.19 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति (अंतर-इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले), 4,610.92 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति, 4,395.26 करोड़ रुपये का कुल राजस्व (अंतर-इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले) और 374.77 करोड़ रुपये की कुल व्यापक आय (अंतर-इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले) का गठन करते हैं।

यह देखते हुए कि अधिकांश लेखा परीक्षकों ने योग्य राय जारी की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक महत्वपूर्ण संपत्ति और देनदारियों और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की आय और व्यय शामिल हैं, नीचे दी गई टिप्पणियों के आधार पर, हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर एक योग्य राय जारी की है।

प्रमुख योग्यताओं का सारांश

यूनिट ऑडिटर की रिपोर्ट और हमारे द्वारा किए गए 4 यूनिट और हेड ऑफिस संचालन के व्यक्तिगत ऑडिट के आधार पर प्रमुख टिप्पणियों / योग्यताओं का सारांश निम्नलिखित है। नीचे उल्लिखित योग्यताएं हमारे विचार में या तो प्रमुख हैं या 6 या अधिक इकाइयों में समान हैं। प्रत्येक इकाई की विस्तृत टिप्पणियों / योग्यताओं का उल्लेख इस अनुलग्नक के खंड II में किया गया है।

क. पूर्व अवधि समायोजन

हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 31 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें 250.05 करोड़ रुपये की राशि के पुराने शेषों की राशि शामिल है, जिन्हें विभिन्न असंगत देनदारियों से वापस लिखा गया है, और 88.52 करोड़ रुपये जो वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा असंगत परिसंपत्तियों (पीपीई शेष सहित) से यूनिट रिटर्न द्वारा रिपोर्ट की गई सीमा तक लिखे गए हैं। 161.53 करोड़ रुपये की राशि के लिखे गए और वापस लिखे गए मदों का शुद्ध प्रभाव वित्तीय विवरणों में अपवाद मद के तहत प्रकट किया गया है क्योंकि ये राशियाँ पिछले वर्षों से संबंधित लेनदेन से संबंधित हैं और गैर-आवर्ती हैं।

कुछ इकाइयों ने वित्तीय विवरणों में असाधारण मदों के अंतर्गत पीपीई से संबंधित इन राइट बैक और राइट ऑफ का खुलासा नहीं किया है और यह अन्य आय का हिस्सा है।

उपर्युक्त के अनुसार बट्टे खाते में डाली गई और वापस लिखी गई शेष राशि, तुलनात्मक आरंभिक आंकड़ों की शुद्धता के संबंध में पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य की अनुपलब्धता के कारण 31 मार्च, 2023 तक शेष राशि की विश्वसनीयता के संबंध में पिछले लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई योग्यताओं का एक हिस्सा थी, क्योंकि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वैधानिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय विवरणों में शेष राशि पर राय का अस्वीकरण दिया था। कंपनी ने ऐसे पूर्व अवधि मदों के लिए पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों का पूर्वव्यापी पुनर्कथन नहीं किया है, जिसमें प्रतिधारित आय आरंभिक शेष राशि को समायोजित किया गया है, जो कि भारतीय लेखा मानक-8 के अनुसार नहीं है, क्योंकि ये हमारे विचार में महत्वपूर्ण मदें हैं।

(एचओ, एचईएफ, ओएफडीआर, एएफके, ओएफके, ओएफबीए, ओएफसीएच, ओएफएन, ओएफवी, एचईपीएफ, ओएफबीएल के मामले में देखा गया)।

ख. व्यापार प्राप्य शेष

प्रबंधन के पास आवधिक आधार पर व्यापार प्राप्य शेष राशि के समाधान के लिए कोई प्रणाली नहीं है। ये शेष राशि संबंधित पक्षों से पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। इसके अलावा, लेखांकन प्रणाली ग्राहक से अग्रिम सहित व्यापार प्राप्य शेष राशि की चालान-वार सूची प्रदान नहीं करती है जो सामान्य खाता शेष के साथ मेल खाती हो। व्यापार प्राप्य और शेष पुष्टियों से प्राप्तियों/बकाया की बिल-वार रिकॉर्डिंग के अभाव में, वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 8 में बताए गए आयु विश्लेषण से संबंधित उचित आधार को सत्यापित नहीं किया जा सकता है। यह भी देखा गया कि कंपनी ने इंडस्ट्रिज ए एस 109 के अनुसार व्यापार प्राप्य पर कोई ईसीएल प्रावधान सुनिश्चित या बनाया नहीं है। ऐसी शेष राशि की पुष्टि, समाधान, आयुवार विश्लेषण के लिए आधार और ईसीएल के लिए प्रावधान की गणना न किए जाने तक, वित्तीय विवरणों पर परिणामी समायोजनों, यदि कोई हो, के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, हम 31 मार्च 2024 तक इन शेष राशियों की पूर्णता, सटीकता और अस्तित्व पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(एचओ, एचईएफ, ओएफडीआर, एएफके, ओएफके, ओएफआईएल, ओएफबीए, ओएफसीएच, एनएडीपी, ओएफएन, ओएफवी, के मामले में देखा गया)।

इस मामले को पिछले लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए 13 अक्टूबर, 2023 को जारी अपनी लेखापरीक्षा राय में भी योग्य ठहराया गया था।

ग. व्यापार देयताओं का शेष

प्रबंधन के पास समय-समय पर व्यापार देय शेष राशि के समाधान के लिए कोई प्रणाली नहीं है। ये शेष राशि संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। इसके अलावा, लेखा प्रणाली प्रदान नहीं करती है आपूर्तिकर्ता को अग्रिम राशि सहित व्यापार देय शेष राशि की चालान-वार सूची, जो सामान्य खाता शेष राशि से मेल खाती हो। व्यापार देय राशि के भुगतान/बकाया राशि की बिल-वार रिकॉर्डिंग और शेष राशि की पुष्टि के अभाव में, वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 18 में बताए गए लेनदारों की आयु के उचित आधार को सत्यापित नहीं किया जा सकता है। ऐसी पुष्टि, समाधान और आयु-वार विश्लेषण के आधार पर, वित्तीय विवरणों पर परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, हम 31 मार्च, 2024 तक इन शेष राशि की पूर्णता, सटीकता और अस्तित्व पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(एचओ, एचईएफ, ओएफडीआर, एएफके, ओएफके, ओएफआईएल, ओएफबीए, ओएफसीएच, एनएडीपी, ओएफएन, ओएफवी, के मामले में देखा गया)।

इस मामले को पिछले लेखा परीक्षकों द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए 13 अक्टूबर, 2023 को जारी अपनी लेखापरीक्षा राय में भी योग्य ठहराया गया था।

31 मार्च, 2024 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ('एमएसएमई') विक्रेताओं को देय राशि से संबंधित पार्टि-वार विवरण के अभाव में और एमएसएमई विक्रेताओं की पहचान करने में कंपनी की असमर्थता के कारण, हम एमएसएमई को देय अतिदेय राशियों की सटीकता और 31 मार्च, 2024 तक एमएसएमई को बकाया देय राशि के समापन शेष की सत्यता को सत्यापित करने में असमर्थ हैं। साथ ही, 2 इकाइयों के मामले को छोड़कर, 31 मार्च, 2024 तक एमएसएमई को देय अतिदेय राशियों पर ब्याज का प्रावधान वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है और इसलिए हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं।

कंपनी ने बंद की गई कंपनियों की पहचान नहीं की है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खखख के तहत अपेक्षित वित्तीय विवरणों में इसका खुलासा नहीं किया गया है।

घ. सरकार से प्राप्तियां

सरकार से बकाया प्राप्तियां हैं, जैसा कि विवरण में बताया गया है। नोट नं. वित्तीय विवरणों की धारा 10 के अंतर्गत ऐसे शेषों की पुष्टि या ऐसे दावे का समर्थन करने वाला उपयोग प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण, हम इन शेषों की सटीकता और कंपनी के वित्तीय विवरणों पर संभावित समायोजनों, यदि कोई हो, के प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं।

(एचओ, एचईएफ, ओएफडीआर, एएफके, ओएफके, ओएफआईएल, ओएफसीएच, के मामले में देखा गया)।

इ. सरकारी प्राधिकारियों के साथ संतुलन

इकाई लेखा परीक्षकों और प्रधान कार्यालय की रिपोर्ट के आधार पर, सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष राशि अर्थात् लेखा पुस्तकों के अनुसार जीएसटी आईटीसी को 31 मार्च, 2024 तक संबंधित इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में प्रदर्शित शेष राशि के साथ मिलान किया जाना है। इसलिए, 31 मार्च, 2024 तक इसकी पूर्णता और सटीकता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

(एचओ, एचईएफ, ओएफडीआर, एएफके, ओएफके, ओएफआईएल, ओएफसीएच, एनएडीपी, के मामले में देखा गया)।

इस मामले को पिछले लेखा परीक्षकों द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए 13 अक्टूबर, 2023 को जारी अपनी लेखापरीक्षा राय में भी योग्य ठहराया गया था।

च. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्रगति में पूंजीगत कार्य और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति और उन पर मूल्यहास

कुछ इकाइयों में परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन पर उचित रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हैं। इकाइयों की खाता पुस्तकों की तुलना में अचल संपत्ति रजिस्टर के अनुसार रिकॉर्ड/शेष में अंतर देखा गया। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में विसंगतियां हैं जिसके आधार पर इकाइयों ने परिसंपत्तियों के नुकसान को दर्ज करके वित्तीय विवरणों में नुकसान दर्ज किया है। हालांकि, सत्यापन के लिए परिसंपत्ति-वार विसंगतियां और ऐसे नुकसान की गणना के आधार प्रदान नहीं किए गए थे।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्तियों के जीवन पर विचार करके संपत्ति वर्ग 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' के मामले में मूल्यहास का प्रावधान किया है। हालांकि, चूंकि ये परिसंपत्तियाँ नई नहीं हैं और कंपनी के निगमन से पहले बनाई/अधिग्रहित की गई थीं, इसलिए इन परिसंपत्तियों का मूल्यहास तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर परिसंपत्तियों के शेष अनुमानित जीवन पर किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन पद्धति इंडस्ट्रिज एस-16 में निर्धारित पद्धति के अनुसार नहीं है। तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन और अनुमानित अवशिष्ट मूल्य के विवरण के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं।

विकास लागत को विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता देने के लिए, कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे यह साबित हो सके कि पूंजीकृत लागत प्रक्रिया लागत का हिस्सा है, जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन या उपयोग शुरू होने से पहले नई या पर्याप्त रूप से बेहतर सामग्री, उपकरण, उत्पाद, प्रक्रिया, सिस्टम या सेवाओं के उत्पादन के लिए योजना या डिजाइन में अनुसंधान निष्कर्षों या अन्य ज्ञान का अनुप्रयोग शामिल है और इन लागतों की परिणामी क्षमता भविष्य में पर्याप्त आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की है। इसलिए, हम उस राशि की सटीकता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं जो भारतीय लेखा मानक - 38 के अनुसार विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज किए जाने के योग्य है और वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव यदि कोई हो।

इस मामले को पिछले लेखा परीक्षकों द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए 13 अक्टूबर, 2023 को जारी अपनी लेखापरीक्षा राय में भी योग्य ठहराया गया था।

छ. इन्वेंटरी:

इकाइयों ने कच्चे माल की इन्वेंट्री का मूल्यांकन लागत या नेट वसूली योग्य मूल्य (NRV) में से कम के बजाय लागत पर किया है, जो INDAS-2 के अनुसार नहीं है। साथ ही, कुछ इकाइयों में, अर्ध-तैयार माल (तैयार घटक) का मूल्यांकन

लागत या नेट वसूली योग्य मूल्य में से कम के बजाय लागत पर किया जाता है। जैसा कि कुछ इकाइयों के लेखा परीक्षक ने कहा, यह देखा गया कि इन्वेंटरी मूल्यांकन पर NRV पर विचार करते हुए धीमी और गैर-चलती इन्वेंटरी के लेखांकन प्रभाव का प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया था और इसका मूल्यांकन उपयोग में सामान्य इन्वेंटरी पर किया गया था।

लागत की गणना करते समय, कुछ इकाइयों में इन्वेंटरी की लागत निकालते समय विक्रय और प्रशासनिक व्यय जैसे गैर-उत्पादन उपरिव्ययों को भी शामिल किया जाता है, जो भारतीय लेखा मानक-2 के अनुरूप नहीं है।

सूचीपत्रों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में विसंगतियां पाई गईं, जहां कई वस्तुएं अधिशेष या घाटे में पाई गईं तथा कुछ मामलों में सूचीपत्रों की गुणवत्ता में गिरावट देखी गई।

इसलिए, हम वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं।

इस मामले को पिछले लेखा परीक्षकों द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए 13 अक्टूबर, 2023 को जारी अपनी लेखापरीक्षा राय में भी योग्य ठहराया गया था।

ज. कंपनी अधिनियम, 2013 का गैर-अनुपालन

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कुछ आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन के संबंध में वित्तीय विवरण के नोट संख्या 36(बी) (ii) में बताया गया है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है और लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है, लेकिन यह अधिनियम की धारा 177 और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन नहीं करता है। स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, कंपनी ने गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खत के खंड VII का अनुपालन नहीं किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड में एक महिला निदेशक रखने की आवश्यकता का भी अनुपालन नहीं किया है।

इस मामले को पिछले लेखा परीक्षकों द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए 13 अक्टूबर, 2023 को जारी अपनी लेखापरीक्षा राय में भी योग्य/उचित ठहराया गया था।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - ख

हमारी आज की रिपोर्ट के शीर्षक 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित तथा संबंधित इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्टों के विचारों के आधार पर तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं :

- (i) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा यूनिट लेखा परीक्षकों के अभिलेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि, निम्नलिखित 6 यूनिटों को छोड़कर, कंपनी द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख बनाए रखे गए हैं:

इकाई का नाम	संबंधित इकाई लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ
ओएफआईएल	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा इकाई के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, इकाई की परिसंपत्तियों के अभिलेख, जो पहले आयुध निर्माणी खमरिया की परिसंपत्तियों के साथ रखे जाते थे, अब अलग कर दिए गए हैं, तथापि परिसंपत्तियों के स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है। उपरोक्त के मद्देनजर, हम संपत्ति संयंत्र और उपकरण के स्थान और स्थिति पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
ओएफवी	इकाई ने अचल संपत्तियों के लिए उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए रखा है, जिसमें अचल संपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थान सहित पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।
ओएफबीए	इकाई ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है, लेकिन यह लेखा पुस्तकों के साथ मेल नहीं खा रहा है।
ओएफएन	इकाई ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है, जो "योग्यता के आधार" पैरा में उल्लिखित हमारी योग्यता के अधीन है।
एएफके और एचईएफ	इकाई ने आवश्यकतानुसार उचित अभिलेख बनाए रखे हैं। हालांकि, अचल संपत्ति रजिस्टर में शून्य या नाममात्र मूल्य दर्शाने वाली परिसंपत्तियों के लिए अनुपूरक अभिलेख बनाए गए हैं, जबकि उन्हें लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा यूनिट लेखा परीक्षकों के अभिलेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि, निम्नलिखित 9 यूनिटों को छोड़कर, कंपनी अमूर्त परिसंपत्तियों का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख बनाए हुए हैं :

इकाई का नाम	संबंधित इकाई लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ
एएफके, आरसीएस, ओएफबीए, ओएफएन, ओएफवी	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, इकाई ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं।
ओएफके, ओएफआई	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा इकाई के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, इकाई के पास प्रकट की गई सीमा के अलावा कोई अमूर्त संपत्ति रिकॉर्ड में नहीं है, जबकि पूर्ववर्ती इकाई ने पेटेंट अधिकार, लाइसेंस और सफल पुनः दावा एवं विकास परियोजना प्राप्त की थी। इसलिए, हम अमूर्त संपत्ति के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित अभिलेखों के रखरखाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
एचईपीएफ	इकाई के लेखा परीक्षक ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
ओएफआईएल	इकाई ने कोई अमूर्त संपत्ति अर्जित नहीं की है। अतः CARO का यह बिंदु इस इकाई पर लागू नहीं होता है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा इकाई लेखा परीक्षकों के अभिलेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि, 5 इकाइयों और मुख्य कार्यालय को छोड़कर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया है, ऐसे सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई और उनका लेखा पुस्तकों में उचित ढंग से निपटारा किया गया है:

इकाई का नाम	संबंधित इकाई लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ
एचओ	प्रधान कार्यालय ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन नहीं किया है।
ओएफके	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी की इकाई के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, इकाई के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के भौतिक सत्यापन की नीति, निर्देश और कार्यक्रम है जिसके द्वारा सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का सत्यापन किया जा सकता है। हालांकि, रिपोर्टों की जांच करने पर हमने पाया कि इसमें कई विसंगतियां हैं जिनका विवरण मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अनुलग्नक-क के खंड-II में दिया गया है।
ओएफबीए	इस अवधि के दौरान प्रबंधन द्वारा सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया है। सत्यापन का एक कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, इकाई के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए अनुचित है।

इकाई का नाम	संबंधित ईकाई लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ
एनएडीपी	इकाई ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया है। हालाँकि, हमें प्रस्तुत भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अधूरी है क्योंकि हमें देखी गई विसंगतियों और पुस्तकों में उनके लेखांकन उपचार के पूर्ण विवरण को सत्यापित करने के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
ओएफसीएच	इकाई ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया है और उसके आधार पर उन्होंने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनः मूल्यांकन किया है। हालाँकि, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा पुस्तकों में लेखांकन उपचार भारतीय लेखा मानक -16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार नहीं है। और पूरी जानकारी के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं।
ओएफवी	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, यूनिट के पास सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन करने का कोई नियमित कार्यक्रम नहीं है।

- (ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा इकाई लेखा परीक्षकों के अभिलेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि, नीचे दी गई 10 इकाइयों को छोड़कर, वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित हैं) के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं :

अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं क्योंकि सभी संपत्तियां रक्षा मंत्रालय के 29 सितंबर 2021 के समझौता ज्ञापन के तहत पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा संचालित गतिविधियों को 7 नई रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों (डीपीएसयू) को हस्तांतरित करने के निर्णय के परिणामस्वरूप हस्तांतरित की गई थीं। यह कंपनी ऐसी ही एक डीपीएसयू है। हालांकि, प्रबंधन द्वारा सूचित किए जाने के अनुसार, कंपनी ने 'पूर्ववर्ती आयुध निर्माणियों की भूमि को नए डीपीएसयू के नाम पर सौंपना' नामक हस्ताक्षरित दस्तावेज प्राप्त कर लिया है।

तालिका 1 – संबंधित इकाई लेखा परीक्षक द्वारा उनकी रिपोर्ट में दी गई जानकारी :

इकाई का नाम	संपत्ति का विवरण	परिसंपत्तियों का सकल वहन मूल्य (करोड रुपए में)	के नाम पर	क्या प्रमोटर, निदेशक है या उनके रिश्तेदार, कर्मचारी	अवधि	यूनिट के नाम पर न रखे जाने का कारण
ओएफसीएच	भूमि	0.10	रक्षा मंत्रालय भारत सरकार	नहीं	एमआईएल की स्थापना के बाद से	चूंकि ऑर्डनेंस फैक्टरी चांदा, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड- एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की इकाई है, इसलिए अचल संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज केंद्र सरकार (रक्षा मंत्रालय) के नाम पर हैं ।
एनएडीपी	एनएडीपी अंबाझरी बिल्डिंग अर्जुन हाउस छात्रावास- । सारथ भवन अजय हाउस हॉस्टल- । पीडीएफसी (व्यक्तित्व एवं विकास फिटनेस सेंटर) विकास के लिए खुली भूमि	8.61	रक्षा मंत्रालय भारत सरकार	नहीं	एमआईएल की स्थापना के बाद से	चूंकि एनएडीपी एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की इकाई है, इसलिए अचल संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज केंद्र सरकार (रक्षा) के नाम पर हैं ।

तालिका 2 – संबंधित इकाई लेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियाँ, जहाँ डेटा रिपोर्ट के निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध नहीं कराया गया है :

इकाई का नाम	संबंधित इकाई लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ
एचईएफ और ओएफडीआर	हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भूमि संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं। हालाँकि, भवन से संबंधित स्वामित्व विलेख हमें उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, इसलिए हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते।
ओएफके, ओएफआई, ओएफआईएल	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी की इकाई अपनी अचल संपत्तियों का कोई स्वामित्व विलेख नहीं रखती है, जानकारी के अभाव में हम इस खंड पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
सीएफए	अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख इकाई के नाम पर नहीं हैं, क्योंकि तत्कालीन आयुध निर्माणी बोर्ड से उनका हस्तांतरण पूरा नहीं हुआ है, लेकिन एमएलआर रिकॉर्ड से पता चलता है कि भूमि इकाई के नाम पर है। हालाँकि, 1063.0751 एकड़ भूमि आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएँ) कोलकाता ने एमआईएल को सौंप दिया है और 02.07.2022 को म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड द्वारा ले लिया गया है।
ओएफबीए और ओएफबीएल	वित्तीय विवरण में प्रकट की गई सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित हैं) कंपनी के नाम पर नहीं हैं।

- (घ) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा यूनिट ऑडिटर के रिकॉर्ड और ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान प्लांट, संपत्ति और उपकरण या अमूर्त संपत्ति का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया। तदनुसार, कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के पैराग्राफ 3(i)(घ) के तहत आवश्यकताएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।
- (ड.) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा यूनिट ऑडिटर के रिकॉर्ड और ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2016 में संशोधित किया गया है) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3(i)(ई) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (ii) (क) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा इकाई लेखा परीक्षकों के अभिलेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि, निम्नलिखित 7 इकाई के मामले को छोड़कर, प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है और प्रबंधन द्वारा ऐसे सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है तथा इन्वेंटरी के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं :

इकाई का नाम	संबंधित ईकाई लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ
एएफके और एचईएफ	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर कच्चे माल की सूची का भौतिक सत्यापन किया गया है। हालांकि, वर्ष के दौरान इकाई द्वारा तैयार माल, WIP में पड़े स्टॉक और तैयार घटक का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया के बारे में, चाहे वह उचित हो या नहीं, इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। कच्चे माल के सत्यापन में पाई गई विसंगतियों को उचित तरीके से निपटाया गया है।
ओएफडीआर	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन किया गया है। इकाई ने लेखा पुस्तकों में भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों का प्रभाव नहीं बताया है और सिस्टम के अनुसार मात्रा को ध्यान में रखते हुए इन्वेंटरी का मूल्यांकन किया है। इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया के बारे में, चाहे वह उचित हो या नहीं, इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।
ओएफके और ओएफसीएच	इकाई ने इन्वेंटरी का सत्यापन किया है, लेकिन टीम के सदस्यों द्वारा कोई उचित, विस्तृत रिपोर्ट और विस्तृत कार्य तैयार नहीं किया गया है और हमें हमारी जिरह के लिए प्रदान नहीं किया गया है, ताकि यह आश्वासन दिया जा सके कि सत्यापन में देखी गई सभी भौतिक विसंगतियों को लेखा पुस्तकों में उचित रूप से समायोजित किया गया है।
ओएफबीए	प्रबंधन ने पारगमन में माल और तीसरे पक्ष के पास पड़े स्टॉक को छोड़कर, अवधि के दौरान उचित अंतराल पर इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन किया है। अवधि के अंत में तीसरे पक्ष के पास पड़े स्टॉक के लिए, प्रबंधन द्वारा लिखित पुष्टिप्राप्त नहीं की गई थी। हमारी राय में प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया अनुचित है।
ओएफवी	प्रबंधन ने वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन नहीं किया है। हमारी राय में प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया अनुचित है।

- (ख) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा यूनिट ऑडिटर्स के रिकॉर्ड और ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कोई स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमा नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।
- (iii) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा यूनिट ऑडिटर के रिकॉर्ड और ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर, कंपनी ने इस अवधि के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है, चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित। इसलिए उक्त आदेश के खंड (iii) (a), (iii) (b), (iii)(c), (iii)(d), (iii)(e) और (iii)(f) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

- (iv) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा यूनिट ऑडिटर के रिकॉर्ड और ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के अंतर्गत आने वाले पक्षों को कोई ऋण नहीं दिया है, कोई निवेश नहीं किया है, या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। इसलिए, उक्त आदेश के खंड 3(iv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
- (v) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा इकाई लेखा परीक्षकों के अभिलेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर, कंपनी ने अधिनियम की धारा 73, 74, 75 और 76 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत जनता से कोई जमा या जमा मानी जाने वाली राशि स्वीकार नहीं की है, सिवाय नीचे बताई गई 2 इकाइयों द्वारा दी गई सूचना के :

इकाई का नाम	संबंधित इकाई लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ
ओएफआई	10.99 करोड़ रुपये तक की जमाराशि मानी गई है। मानी गई जमाराशि के मामले में धारा के प्रावधानों और आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।
ओएफबीएल	452.52 करोड़ रुपये तक की डीमड जमाराशि है। डीमड जमाराशि के मामले में धारा के प्रावधानों और आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

- (vi) भारत की केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी को अपने उत्पादों के संबंध में अधिनियम की धारा 148(1) के तहत निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है। प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान किए गए रिकॉर्ड, सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर और 28 फरवरी, 2024 की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, 2 यूनिट के मामले को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट उचित लागत रिकॉर्ड कंपनी द्वारा बनाए नहीं रखे गए हैं:

इकाई का नाम	संबंधित इकाई लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ
सीएफए	इकाई ने कंपनियों (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) के अनुसार नियम 3 और नियम 4 के तहत निर्धारित उचित लागत रिकॉर्ड / लागत लेखा परीक्षा बनाए रखी है और जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप धारा (1) के तहत इकाई द्वारा की गई व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्दिष्ट किया गया है और इसकी पुष्टि लागत लेखा परीक्षक द्वारा वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए उनके ई-मेल में की गई है।
ओएफबीएल	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अपने उत्पादों के संबंध में लागत रिकॉर्ड बनाए रखने का उल्लेख किया गया है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित संशोधित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम 2014 के अनुसार इकाई द्वारा बनाए गए खातों की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय है कि, प्रथम दृष्ट्या, इकाई द्वारा निर्धारित लागत रिकॉर्ड बनाए और बनाए रखे गए हैं। हालाँकि, उन्होंने लागत अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि अभिलेख सही हैं या पूर्ण।

- (vii) (क) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा यूनिट ऑडिटर के रिकॉर्ड और ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी आम तौर पर माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि को उचित अधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। 31 मार्च, 2024 तक, 2 यूनिट और एचओ के मामले को छोड़कर, देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई वैधानिक बकाया बकाया नहीं है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	वैधानिक का नाम	बकाया राशि (करोड रुपए में)	राशि (करोड रुपए में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	नियत तारीख	भुगतान की तिथि
एचओ	आयकर	टीडीएस	0.06	जून-23	07-07-2023	27-05-2024

इकाई का नाम	संबंधित इकाई लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ
सीएफए	निवासी को कमीशन के रूप में 0.52 करोड़ रुपये तथा अनिवासी को 0.10 करोड़ रुपये के भुगतान के संबंध में कर की कटौती न करने को छोड़कर।
ओएफबीएल	वित्त वर्ष 23-24 (Q4) के लिए ट्रेसेस पर टीडीएस की कटौती कम है।

- (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक उप-खण्ड (क) में निर्दिष्ट वैधानिक बकाया राशि का विवरण, जो 4 इकाइयों के मामले को छोड़कर, इकाई लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किए गए विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, निम्नानुसार है :

इकाई का नाम	वैधानिक का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	मात्रा (करोड रुपए में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
ओएफसीएच	जीएसटी विभाग, महाराष्ट्र	जीएसटी व्यवस्था में ट्रांस-। फॉर्म में दावा किया गया अतिरिक्त CENVAT क्रेडिट	0.28	वित्तीय वर्ष 2017-2018	राज्य कर उपायुक्त का जीएसटी कार्यालय।
ओएफसीएच	जीएसटी विभाग, महाराष्ट्र	जीएसटी व्यवस्था में ट्रांस-। फॉर्म में दावा किया गया अतिरिक्त CENVAT क्रेडिट	3.24	वित्तीय वर्ष 2017-2018	राज्य कर उपायुक्त का जीएसटी कार्यालय।

इकाई का नाम	वैधानिक का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	मात्रा (करोड रुपए में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
ओएफसीएच	जीएसटी विभाग, महाराष्ट्र	जीएसटीआर 3 ख की तुलना में जीएसटीआर 1 में अतिरिक्त बाहरी कर / जीएसटीआर 3 ख में दावा किया गया अतिरिक्त आईटीसी जिसकी पुष्टि जीएसटी आर 2 क में नहीं की गई है ।	77.03	वित्तीय वर्ष 2019-2020	राज्य कर उपायुक्त का जीएसटी कार्यालय।
ओएफसीएच	जीएसटी विभाग, महाराष्ट्र	आईटीसी बेमेल	52.23	वित्तीय वर्ष 2019-2020	राज्य कर उपायुक्त का जीएसटी कार्यालय।
ओएफसीएच	जीएसटी विभाग, महाराष्ट्र	आईटीसी बेमेल	24.21	वित्तीय वर्ष 2020-2021	राज्य कर उपायुक्त का जीएसटी कार्यालय।
ओएफसीएच	जीएसटी विभाग, महाराष्ट्र	जीएसटीआर 3 ख की तुलना में जीएसटीआर 1 में अतिरिक्त बाहरी कर / जीएसटीआर 3 ख में दावा किया गया अतिरिक्त आईटीसी जिसकी पुष्टि जीएसटी आर 2 क में नहीं की गई है ।	38.91	दिसम्बर - 19 से सितम्बर -21	राज्य कर उपायुक्त का जीएसटी कार्यालय।
ओएफबीए	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944	उत्पाद शुल्क	8.98	01.06.2015 से 30.06.2017 तक	केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण

इकाई का नाम	वैधानिक का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	मात्रा (करोड रुपए में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
एचईएफ	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम 2017	कर, ब्याज और जुर्माना	1.35	वित्तीय वर्ष 2020-2021	संयुक्त आयुक्त (अपील), पुणे
एएफके	आयकर अधिनियम 2017	टीडीएस	0.71	वित्त वर्ष 23-24 की चौथी तिमाही	क्षेत्राधिकारी पुणे

- (viii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांची गई खाता बहियों और अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या खुलासा नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(viii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (ix) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा यूनिट लेखा परीक्षकों के रिकार्ड और लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारी के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा यूनिट ऑडिटर की रिपोर्ट के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix) (ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा यूनिट ऑडिटर की रिपोर्ट के आधार पर, कंपनी ने कोई टर्म लोन नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix) (ग) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा यूनिट ऑडिटर की रिपोर्ट के आधार पर, कंपनी ने अल्पावधि आधार पर कोई निधि नहीं जुटाई है जिसका उपयोग दीर्घावधि आधार पर किया गया हो। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ix) (घ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपने सहयोगी के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उसके लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है। कंपनी की कोई सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix) (ड.) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

- (च) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहयोगी कंपनी में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है। कंपनी की कोई सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix) (च) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (x) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश, आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x) (क) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x) (ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xi) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमें प्रस्तुत की गई यूनिट ऑडिटर की रिपोर्ट के आधार पर, हमने यूनिट ऑडिटर के साथ मिलकर वर्ष के दौरान कंपनी या कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं देखा या रिपोर्ट नहीं किया है, न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की जानकारी दी गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के तहत निर्दिष्ट फॉर्म एडीटी-4 में रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। तदनुसार आदेश के खंड 3(xi) (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा हमें बताए गए अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi)(ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (xii) हमारी राय में, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी लेन-देन, जहाँ लागू हो, अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं। इसके अलावा, कंपनी ने सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ संबंधित पक्ष के लेन-देन के संबंध में इंडस्ट्रियल AS 24 के तहत आवश्यक विस्तृत खुलासे से छूट प्राप्त की है, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट संबंधित पक्ष के खुलासे, संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ें। आवश्यक खुलासे वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 38 में किए गए हैं।
- (xiv) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा इकाई लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि, 5 इकाइयों को छोड़कर, कंपनी के पास इकाई स्तर पर आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है जो कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

इकाईवार अवलोकन नीचे दिए गए हैं:

इकाई का नाम	संबंधित इकाई लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ
ओएफके, ओएफआई, एचईपीएफ, ओएफवी, सीएफए	इकाई के लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, उनकी राय है कि इकाई के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा इकाई लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि, 4 इकाइयों को छोड़कर, लेखापरीक्षा अवधि के लिए आज तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया गया।

इकाईवार अवलोकन नीचे दिए गए हैं:

इकाई का नाम	संबंधित इकाई लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ
ओएफके और ओएफआई	पिछले बिन्दु में उल्लिखित टिप्पणियों और अन्य टिप्पणियों के मद्देनजर, हम बताते हैं कि हमने लेखापरीक्षा वर्ष के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार नहीं किया है।
ओएफसीएच	हमें जो आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है, वह कोई भी जानकारी देने के लिए अपर्याप्त है।
ओएफवी	हमें लेखापरीक्षा अवधि के लिए आज तक जारी इकाई की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (यदि कोई हो) उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण, हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और यूनिट ऑडिटर की रिपोर्ट के आधार पर, कंपनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) (क) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(क) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियाँ संचालित नहीं की हैं। इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ग) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं के अनुसार, कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(xvi) (ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

- (घ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर, कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(xvi) (घ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष और उसके ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।
- (xviii) वर्ष के दौरान केवल 1 इकाई के अलावा किसी भी वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया गया है, इसलिए आदेश के खंड 3(xviii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

इकाई का नाम	संबंधित ईकाई लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ
ओएफबीएल	पिछले सांविधिक इकाई लेखा परीक्षक अर्थात मेसर्स मिश्रा बधाई एंड एसोसिएट्स ने वर्ष के दौरान इस्तीफा दे दिया है।

- (xix) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा यूनिट ऑडिटर की रिपोर्ट के आधार पर, वित्तीय अनुपातों, आयु और वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तारीखों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर और इसके अलावा यह भी विचार करते हुए कि कंपनी रक्षा क्षेत्र में एक सरकारी कंपनी है, केंद्र सरकार की सक्रिय इक्विटी भागीदारी है और यूनिट ऑडिटर द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्टों के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तिथि को कोई भी अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हम आगे बताते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा देय होने पर भुगतान कर दिया जाएगा।

हालाँकि, हम मुख्यालय तथा निम्नलिखित 3 इकाइयों में वित्तीय अनुपात पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं :

इकाई का नाम	संबंधित ईकाई लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ
एचईएफ, एएफके और ओएफडीआर	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय के गलत समूहीकरण के कारण हम वित्तीय अनुपातों पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। बैंक बैलेंस और इंटर-यूनिट बैलेंस को छोड़कर सभी चालू परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए बैलेंस पुष्टि की अनुपलब्धता के कारण हम वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों और वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

- (xx) (क) कंपनी ने अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के अंतर्गत “चालू परियोजनाओं के अलावा” के संबंध में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अव्ययित राशि को हमारी रिपोर्ट की तिथि तक अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित नहीं किया है। हालाँकि, इस तरह के हस्तांतरण की समय अवधि यानी अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के तहत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने हमारी रिपोर्ट की तिथि तक समाप्त नहीं हुए हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं :

सीएसआर निधि में हस्तांतरित चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य से संबंधित अव्ययित राशि का विवरण :

	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)
क्र.सं.	प्रासंगिक वित्तीय वर्ष	“चालू परियोजनाओं के अलावा” सीएसआर गतिविधियों पर खर्च के लिए चिन्हित राशि	(ख) की अप्रयुक्त राशि	अधिनियम में निर्दिष्ट निधि में अनुसूची VII में स्थानांतरित राशि	निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरण की नियत तिथि	निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरण की वास्तविक तिथि	विलंब के दिनों की संख्या (ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक)
1	2022-23	0.34	0.34	0	30-09-2023	लागू नहीं	314
2	2023-24	0.32	0.32	0	30-09-2024	लागू नहीं	लागू नहीं

- (ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, चालू परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक अप्रयुक्त कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि को उक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया है।

विशेष खाते में स्थानांतरित चल रही परियोजनाओं से संबंधित अव्ययित राशि का विवरण :

	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)
क्र.सं.	प्रासंगिक वित्तीय वर्ष	“चालू परियोजनाओं” के लिए सीएसआर गतिविधियों पर व्यय हेतु चिन्हित राशि	(ख) की अप्रयुक्त राशि	धारा 135(6) के तहत विशेष खाते में स्थानांतरित की गई राशि	खाते में स्थानांतरण की नियत तिथि	खाते में स्थानांतरण की वास्तविक तिथि	विलंब के दिनों की संख्या, यदि कोई हो
1	2022-23	0.52	0.52	0.52	30-04-2023	21-04-2023	0
2	2023-24	1.42	1.18	1.18	30-04-2024	30-04-2024	0

(xxi) आदेश के खंड 3(xxi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लागू नहीं है ।
तदनुसार, इस रिपोर्ट में उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है ।

के लिए और की ओर से
बोरकर और मजुमदार
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 101569W

सुप्रिया दीपक भट
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 048592
यूडीआईएन : 24048592BKEEQL4778
दिनांक : 09-08-2024
स्थान : पुणे

अनुलग्नक ग – स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के शीर्षक, 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 2(छ) में संदर्भित:

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमें 31 मार्च, 2024 तक म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') (जिसमें प्रधान कार्यालय और 15 इकाइयां शामिल हैं) के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया गया था, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ संयोजन में किया गया था ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है । इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे ।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है, जो कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') और लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार आयोजित हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू है, दोनों को भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किया गया है ।

नीचे दिए गए राय के अस्वीकरण पैराग्राफ में वर्णित मामले के कारण, हम कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखापरीक्षा राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे ।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है । वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं ; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेन-देन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं ; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में

उचित आश्वासन प्रदान करते हैं।

अस्वीकरण की राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन की राय में, कंपनी ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर आधारित या विचार किए गए मानदंडों पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपना आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित नहीं किया है। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर आधारित या विचार किए गए मानदंडों पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू करने की प्रक्रिया में है।

इस कारण से, हम अपनी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और क्या ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे।

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट में लागू ऑडिट परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताए गए अस्वीकरण पर विचार किया है, और अस्वीकरण ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित किया है और हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर योग्य राय जारी की है। हमारी मुख्य ऑडिट रिपोर्ट में योग्य राय के आधार पैराग्राफ को देखें।

अन्य मामले

अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी उपरोक्त रिपोर्टें, जहां तक यह ग्यारह इकाइयों से संबंधित है, ऐसी इकाइयों के इकाई लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित हैं। इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

के लिए और की ओर से

बोरकर और मजुमदार

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या 101569W

सुप्रिया दीपक भट

पार्टनर

सदस्यता संख्या : 048592

यूडीआईएन : 24048592BKEEQL4778

दिनांक : 09-08-2024

स्थान : पुणे

अनुलग्नक घ

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के खातों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों पर रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, तथा कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम उक्त निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण देते हैं।

यह रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त 11 – यूनिट लेखा-परीक्षकों और हमारे एवं बोरकर और मजुमदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट की गई 4 इकाइयों और प्रधान कार्यालय संचालन द्वारा जारी रिपोर्टों पर आधारित एक समेकित रिपोर्ट है। यूनिट लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई नियमित प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अलावा अन्य विसंगतियों का उक्त खंड में अलग से खुलासा किया गया है।

अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (5) के अंतर्गत निर्देश

	दिशा-निर्देश	प्रतिक्रिया
	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देश	
●	क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देन को संसाधित करने की प्रणाली है ? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेन-देन को संसाधित करने से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों (यदि कोई हो) का उल्लेख किया जाना चाहिए ।	● हां, ऑपरेशन स्तर पर डेटा प्रोसेसिंग के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर जिन्हें फॉक्स प्रो, इन्वेंटरी पैकेज प्रोडक्शन, प्लानिंग और कंट्रोल (पीपीसी) पैकेज आदि के नाम से जाना जाता है, का इस्तेमाल यूनिट द्वारा किया जाता है । पीपीसी सॉफ्टवेयर में विभिन्न मॉड्यूल होते हैं । यूनिट दिन-प्रतिदिन के लेन-देन जैसे खरीद, बिक्री, योजना, मानव संसाधन, इन्वेंट्री, प्रावधान अनुभाग, इंजीनियरिंग कार्यालय आदि को रिकॉर्ड करने के लिए इसका प्रयोग करती है और वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करती है । ये सॉफ्टवेयर एकीकृत नहीं हैं । ● इसके अलावा, जैसा कि ओएफआईएल, ओएफआई, ओएफसीएच, ओएफवी, ओएफके और एनएडीपी के लेखापरीक्षकों ने बताया है, प्रविष्टि को हटाने सहित टैली में प्रविष्टियों को पारित करने या संशोधित करने पर कोई नियंत्रण नहीं था ।

		● जैसा कि ओएफएन के लेखा परीक्षकों ने बताया है, अचल संपत्तियों और अन्य इच्छिटी के अलावा, इकाई के पास आईटी प्रणाली यानी टैली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली मौजूद है। ● इसके अलावा, जैसा कि ओएफबीएल के लेखा परीक्षक ने बताया कि इन्वेंटरी और पेट्रोल के अलावा, इकाई के पास सभी वित्तीय लेन-देन को टैली के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली मौजूद है। <u>गैर-एकीकरण और कमजोर नियंत्रण के कारण वित्तीय निहितार्थ :</u> - मैनुअल हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप त्रुटियाँ हो सकती हैं। - लेन-देन में निर्माता-जांचकर्ता-अनुमोदक की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में कोई स्वचालित नियंत्रण नहीं है। ● इसके प्रभाव को मापा नहीं जा सकता, क्योंकि डेटा को ऐसे सॉफ्टवेयरों में रखा जाता है जो एकीकृत नहीं होते। ● ओएफबीए के लेखा परीक्षक ने बताया है कि वे आईटी प्रणालियों के बाहर लेखांकन लेन-देन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभाव तथा वित्तीय प्रभावों (यदि कोई हो) पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं।
● क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं ? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब-किताब रखा जाता है ? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक पर भी लागू होता है।)		किसी भी ऋण के पुनर्गठन या ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।

●	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था ? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी को केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त नहीं हुई है। ओएफवी के लेखा परीक्षक ने बताया है कि इकाई को सितंबर 2023 तक की अवधि के लिए किए गए व्यय के लिए सरकार से राहत की राशि प्राप्त हुई है/प्राप्त होने वाली है, जो पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड से संबंधित है।
	सीएण्डएजी के अतिरिक्त निर्देश	
●	क्या पूर्ववर्ती ओएफबी से हस्तांतरण की तिथि (नियत तिथि) पर परिसंपत्तियों और देनदारियों का स्थानांतरण, जो 31 मार्च 2023 तक अधूरा रहा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पूरा हो गया है ? यदि कोई विचलन है; तो कारण, विचलन की प्रकृति और वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव बताया जाए।	● कंपनी का गठन 1 अक्टूबर, 2021 को हुआ है, जहां परिसंपत्तियों का स्थानांतरण आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) से हुआ है। कंपनी ने रूपांतरण की तिथि तक स्थानांतरित संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए कोई लॉग रजिस्टर नहीं रखा है। कंपनी प्रतिवर्ष पीपीई रिकार्डों का सत्यापन, मिलान और अद्यतन करती रही है। इसने ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है। ● ओएफबीए, ओएफसीएच, ओएफवी, ओएफआईएल, ओएफआई, ओएफके और एनएडीपी के लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, व्यवसाय पुनर्गठन के एक भाग के रूप में अर्जित परिसंपत्तियों और देनदारियों की पूर्णता के संबंध में पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य की कमी के कारण, लेखा परीक्षकों यदि कोई विचलन हो तो, सहित पूर्णता पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं। ● ओएफके, ओएफआईएल और ओएफआई के ऑडिटर्स ने बताया है कि 30-09-2021 तक के लेन-देन का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा ऑडिट किया गया है। हालाँकि, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा प्रमाणित 30-09-2021 तक के शेष राशि का विवरण और रिपोर्ट, यदि कोई हो, उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई है।

●	क्या कंपनी ने वर्ष के अंत में अंतरकंपनी / अंतरकंपनी शेष राशि से संबंधित समाधान अभ्यास किया है ? क्या अन्य डीपीएसयू से वर्ष के अंत में उन्हें देय / देय शेष राशि के लिए पुष्टिप्राप्त की गई है ? यदि कोई हो, तो असंगत शेष राशि के साथ-साथ असंगत राशि के कारण बताए जाएं ।	● कंपनी ने अंतर-एमआईएल इकाइयों का समाधान किया है और अंतर को वित्तीय विवरण में असाधारण मदों के तहत दर्ज और प्रकट किया गया है । ● इकाइयों द्वारा डी.पी.एस.यू. को शेष राशि की पुष्टिके पत्र भेजे गए हैं। हालाँकि, उन्हें यह पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । इसलिए, डी.पी.एस.यू. के लिए इकाइयों द्वारा समाधान नहीं किया गया है ।
●	क्या कंपनी ने अपनी किसी लेखांकन नीति को संशोधित किया है या विवेकपूर्ण लेखांकन सिद्धांतों और लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार कोई नई लेखांकन नीति अपनाई है? क्या लेखांकन नीतियों में किए गए परिवर्तनों का उचित रूप से खुलासा किया गया है? यदि कोई असंगतता है, तो वित्तीय खातों पर उसके प्रभाव के साथ-साथ उसका उल्लेख किया जाना चाहिए।	नहीं, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने नीचे बताए गए को छोड़कर, विवेकपूर्ण लेखांकन सिद्धांतों और लागू इंडस्ट्रीज एएस के अनुसार लेखांकन नीतियों को संशोधित नहीं किया है या कोई नया अपनाया नहीं है : ● वारंटी का प्रावधान ● कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत 'डेस्कटॉप और अन्य सहायक उपकरण' का उपयोगी जीवन । लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों का वित्तीय विवरणों में उचित रूप से खुलासा किया गया है ।
●	क्या कर्मचारी लाभ देयताओं के प्रावधान और डी.पी.एस.यू. के गठन की तिथि पर उनका मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक के प्रावधानों के अनुसार किया गया है ? यदि कोई विचलन हुआ है तो उसका उल्लेख किया जाए ।	● कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान जैसे कि ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान को इंड-एएस 19 के अनुसार एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि यूनिट के कर्मचारी सरकार की प्रतिनियुक्ति पर हैं और यूनिट के पेरोल पर नहीं हैं । इसलिए, प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदन के अनुसार, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने का दायित्व सरकार का है, न कि यूनिट का, रक्षा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 1(5)/2021 / ओएफ / डीपी(पीएलजी-वी) / 02 दिनांक 24 सितंबर, 2021 के अनुसार । ● हमारे द्वारा जारी की गई उपरोक्त रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है ।

● रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 1(5) / 2021 / OF / DP(PIg - V)1Oz दिनांक: 24/09/21 के अनुसार, डीपीएसयू के वित्तीय विवरणों में माने गए प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के प्रति पेंशन अंशदान के संबंध में देयता का कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि डीपीएसयू को जारी किए गए माने गए अनुबंधों (अनुच्छेद 3.2) पर रक्षा मंत्रालय के निर्देश में यह प्रावधान है कि अनुच्छेद ख में निर्दिष्ट अनुबंध मूल्य से अधिक कुछ भी देय नहीं होगा। क्या अनुच्छेद ख में संदर्भित अनुबंध मूल्य में पेंशन अंशदान का लागत तत्व शामिल है? यदि हां, तो 24/09/21 के रक्षा मंत्रालय के निर्देश की प्रभावकारिता, इंड एस के लागू प्रावधानों के संबंध में और 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए पिछले ढाई वर्षों के लिए डीपीएसयू के वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को बताया जा सकता है।	● सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन देनदारियों को सरकार द्वारा रक्षा पेंशन के लिए रक्षा मंत्रालय बजट से वहन किया जाता रहेगा। 01.01.2004 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन योजना प्रचलन में है और इसे नए डीपीएसयू द्वारा अपनाया जा सकता है, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू सभी विशेष प्रावधानों को जारी रखना शामिल है। इसलिए, प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदन के अनुसार, पुरानी योजना के अनुसार कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करने की देयता सरकार की है न कि कंपनी की और इसलिए पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर की गई पेंशन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और कंपनी ने 01.01.2004 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए रक्षा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 1(5) / 2021 / ओएफ / डीपी (पीएलजी-वी)/02 दिनांक 24 सितंबर, 2021 के अनुसार प्रावधान किया है। ● हमारे द्वारा जारी की गई उपरोक्त रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है। ● ओएफबीए, ओएफवी, ओएफसीएच, ओएफआईएल, ओएफआई, ओएफके और एनएडीपी के लेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, लेखा परीक्षक पेंशन अंशदान के लागत तत्व के संबंध में दिए गए लेखांकन प्रभावों की पूर्णता और सटीकता और 31 मार्च 2024 को समाप्त पिछले ढाई वर्षों के लिए डीपीएसयू के वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं।
● कंपनी ने भारत सरकार को भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर इक्विटी शेयर पूंजी जारी की थी, जैसा कि रक्षा मंत्रालय, रक्षा संपदा विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 757102/ख-/ DE / PROJ / 2021 दिनांक 10/06/22 में उल्लेख किया गया है। क्या भूमि का बाजार मूल्य डीपीएसयू के वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है? यदि हां, तो क्या बाजार मूल्य के आधार पर शेयर	● हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा एमआईएल से दिनांक 13.12.2023 को प्राप्त प्रबंधन के उत्तर के आधार पर, प्रबंधन की राय है कि 'इंडस्ट्रिज एस 101 के प्रावधान में उपलब्ध छूट और अपवादों को परिसंपत्तियों और देनदारियों के वहन मूल्य पर लागू किया जाना चाहिए और फिफर एमआईएल को हस्तांतरित किया जाना चाहिए' और कंपनी ने हस्तांतरण की तिथि पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के वहन मूल्य

पूंजी जारी करना इंड एस 101 के पैराग्राफ डी७ए के अनुरूप है? यदि नहीं, तो कंपनी के वित्तीय विवरणों पर प्रभाव के साथ-साथ कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली उचित मूल्यांकन पद्धति के बारे में बताया जा सकता है ।	की मानी गई लागत को लागू किया है। इसलिए, कंपनी ने पीपीई के अपने शुरुआती शेष में उचित मूल्य के लिए कोई समायोजन नहीं किया है ।
--	--

टिप्पणी :आयुध निर्माणी वरणगांव (ओएफवी) से प्राप्त उत्तर वित्त वर्ष 22-23 के लिए जारी सीएजी निर्देशों के अनुसार हैं ।

के लिए और उनकी ओर से
बोरकर और मजुमदार
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 101569W

सुप्रिया दीपक भट
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 048592
यूडीआईएन : 24048592BKEEQL4778
दिनांक : 09-08-2024
स्थान : पुणे

गोपनीय/स्पीड पोस्ट संख्या 163 / टी-459 / एमआईएल / लेखा / 2024-25 दिनांक : 26/09/2024

महानिदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय
आयुध निर्माणियां
कोलकाता

सेवा में,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, कॉर्पोरेट कार्यालय,
दूसरी मंजिल, न्याति यूनिट्री, नगर रोड,
येरवडा, पुणे-411005

विषय : 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे के खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना अवश्य दें।

संलग्न:- उपर्युक्त

आपका विश्वासी,

(एन. मैसनाम)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
(आयुध निर्माणियाँ)
कोलकाता

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ -

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (7) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह सूचित किया जाता है कि यह उनके द्वारा 9 अगस्त 2024 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखा-परीक्षा किया है। यह पूरक लेखा-परीक्षण सांविधिक लेखा परीक्षा के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

अपने पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूँगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर समझने के लिए आवश्यक है।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

तुलन पत्र

गैर तात्कालिक परिसंपत्ति

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण नोट 4(ए)}

: 3363.16 करोड़ रुपये

पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि

: 73.09 करोड़ रुपये

उपरोक्त राशि में 27093.01 करोड़ रुपये की राशि शामिल नहीं है, जो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य (27166.10 करोड़ रुपये) और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड द्वारा बुक की गई भूमि के मूल्य (73.09 करोड़ रुपये) के बीच का अंतर है। भूमि के बाजार मूल्य पर विचार न करने के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों और अन्य इक्विटी को 27093.01 करोड़ रुपये कम करके दर्शाया गया है।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणी किए जाने के बावजूद, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड द्वारा भूमि का मूल्य सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया है।

के लिए और उनकी ओर से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

(एन. मैसनाम)

प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक

(आयुध निर्माणियाँ)

कोलकाता

स्थान:- कोलकाता-1

दिनांक:- 26 सितंबर 2024

सी एण्ड एजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

सं. एमआईएल/एफआईएन/ऑडिट/सीएजी/एमआईएल प्रतिक्रिया/2023-24

दिनांक 26.09.2024

सेवा में
महानिदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय,
आयुध निर्माणियां ,
कोलकाता

(ध्यानाकर्षण : सुश्री एन. मैसनाम, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा)

विषय : सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट और टिप्पणियों पर एमआईएल की प्रतिक्रिया।

संदर्भ : (i) सीएजी की टिप्पणी पत्र संख्या 163/टी-459/एमआईएल/लेखा/2024-25 दिनांक 26/09/2024 के अनुसार

1. उपर्युक्त संदर्भित पत्रों के जवाब में, एमआईएल के प्रबंधन का उत्तर नीचे दिया गया है
- 1.1. **31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे के खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत सीएजी की टिप्पणियाँ:**
उपरोक्त में 27093.01 करोड़ रुपये की राशि शामिल नहीं है, जो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य (27166.10 करोड़ रुपये) और कंपनी द्वारा बुक की गई भूमि के मूल्य (73.09 करोड़ रुपये) के बीच का अंतर है। भूमि के बाजार मूल्य पर विचार न करने के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों और अन्य इकटिरी को 27093.01 करोड़ रुपये कम करके दर्शाया गया है।

एमआईएल प्रबंधन की प्रतिक्रिया:

भारत सरकार ने रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के तहत आयुध निर्माणी बोर्ड को भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली सात अलग-अलग कॉर्पोरेट संस्थाओं में परिवर्तित करने की घोषणा की, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत हैं। तदनुसार, गोला-बारूद और विस्फोटकों के उत्पादन से संबंधित पूर्ववर्ती ओएफबी की 12 उत्पादन इकाइयां और 4 गैर-उत्पादन इकाइयां (इस नोट के प्रयोजन के लिए 'व्यवसाय' के रूप में संदर्भित) को 1 अक्टूबर, 2021 को रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 1(5)/2021/ओएफ/डीपी (पीएलजी-वी)/01 के माध्यम से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया।

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पूर्ववर्ती OFB से हथियार और गोला-बारूद का व्यवसाय संभालने के लिए नवगठित इकाई थी। इसलिए कंपनी पुनर्गठन के समय व्यवसाय की परिभाषा को पूरा नहीं करती थी। तदनुसार, इस लेन-देन को सामान्य नियंत्रण के तहत एक व्यवसाय संयोजन के रूप में नहीं, बल्कि पूंजी पुनर्गठन के रूप में माना जाता है। पूंजी पुनर्गठन के लिए लेखांकन पर Ind-AS के तहत कोई मार्गदर्शन नहीं है। हालाँकि, चूंकि व्यवसाय पुनर्गठन से पहले और बाद में

सामान्य नियंत्रण (यानी भारत सरकार द्वारा) के अधीन रहा है, इसलिए प्रबंधन ने निर्धारित किया है कि खपव अड 8 द्वारा प्रदान की गई नीति विकल्प के अनुसार, सामान्य नियंत्रण के तहत व्यवसाय संयोजनों से निपटने वाले Ind AS 103 के परिशिष्ट 'ग' के प्रावधानों को लागू करना उचित है। तदनुसार, कंपनी ने Ind AS 103 के परिशिष्ट 'ग' के तहत प्रावधानों का पालन करके, कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के प्रभाव के लिए समायोजित उनके मौजूदा वहन मूल्यों पर हस्तांतरित व्यवसाय की परिसंपत्तियों और देनदारियों का लेखा किया है।

पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड ने सरकारी विभागों पर लागू सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार कारोबार का लेखा-जोखा रखा। कंपनी ने स्वेच्छा से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) को अपनाया है। प्रबंधन ने निर्धारित किया है कि सामान्य वित्तीय नियम पिछले GAAP हैं जिनका पालन कंपनी को हस्तांतरित होने से पहले कारोबार द्वारा किया जाता था। 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वित्तीय विवरण कंपनी के पहले वित्तीय विवरण हैं। चूंकि कंपनी को हाल ही में शामिल किया गया था, इसलिए इसकी शुरुआती तिथि यानी निगमन की तिथि पर इसके पास कोई संपत्ति या देनदारियां नहीं थीं। हालाँकि, चूंकि आयुध निर्माणी बोर्ड की कुछ इकाइयों के कारोबार को MIL में स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए प्रबंधन ने निर्धारित किया कि कंपनी हस्तांतरित व्यवसायों के संबंध में पहली बार अपनाने वाली हो सकती है।

तदनुसार, प्रबंधन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारतीय लेखा मानक 101 के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध छूट और अपवादों को अग्रणीत मूल्य परिसंपत्तियों और देनदारियों पर लागू किया जाना चाहिए और फिफ्ट एमआईएल को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

कंपनी ने हस्तांतरण की तिथि पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के वहन मूल्य पर अनुमानित लागत लागू की।

प्रचलित लेखांकन नीति के अनुसार मूल्यहास के आवेदन के बाद लिखित मूल्य को चालू वित्तीय वर्ष में आगे लाया गया है और निगमीकरण के समय मूल वहन मूल्य पर चल रही सुलह प्रक्रिया में पहचाने गए किसी भी बदलाव के अनुसार समायोजित किया गया है।

अतः उचित मूल्य के लिए कोई समायोजन आवश्यक नहीं है एवं परिसंपत्तियों और अन्य इक्विटी का कोई न्यूनीकरण नहीं है।

(प्रकाश अग्रवाल)
निदेशक/ वित्त एवं सीएफओ

तुलन पत्र

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2024 तक की बैलेंस शीट

(सभी राशियां करोड़ रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

	नोट	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
संपत्ति	-	-	
गैर तात्कालिक परिसंपत्ति	-	-	
सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	4 (क)	3,363.16	3,305.17
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4 (क)	1,616.39	1,409.65
अमूर्त संपत्ति	4 (ख)	62.70	71.28
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4 (ग)	100.99	56.46
वित्तीय पूंजी			
(क) निवेश	5	0.80	0.80
अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति	6	40.51	41.00
कुल गैर - मौजूदा संपत्तियां		5,184.55	4,884.36
वर्तमान संपत्ति			
सूची	7	4,523.11	4,314.44
वित्तीय पूंजी			
(क) व्यापार प्राप्त्य	8	1,437.71	1,406.57
(ख) नकद और नकद समकक्ष	9	3,500.32	3,249.98
(ग) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	10	130.87	26.91
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11	1,402.51	1,203.42
नकदी और बैंक शेष	12	221.00	-
कुल मौजूदा संपत्तियां		11,215.52	10,405.08
कुल संपत्ति		16,400.07	15,290.39
इक्विटी और देयता			
इक्विटी शेयर पूंजी	13	34,314.66	33,737.66
व्यवसाय पुनर्गठन पर इक्विटी शेयर जारी करने की प्रक्रिया लंबित	13	5.25	5.25
शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	13	1,070.83	1,067.83
अन्य इक्विटी	14	(26,771.34)	(27,330.13)
कुल इक्विटी		8,619.40	7,480.62

देयताएं			
गैर मौजूदा देनदारियां			
वित्तीय देयताएं			
अन्य वित्तीय देयताएं	15	6.97	5.86
प्रावधानों	16	2,783.90	2,917.62
आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	17	141.78	13.97
कुल गैर-वर्तमान देयताएं		2,932.65	2,937.45
वर्तमान देनदारियां			
वित्तीय देनदारियां			
(क) व्यापार देयताएं	18		
(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		57.78	86.09
(ii) उपरोक्त (क)(ख) के अलावा कुल बकाया देय राशि		1,099.99	734.80
(ख) अन्य वित्तीय देनदारियां	19	292.80	202.59
अन्य वर्तमान देनदारियां	20	3,108.82	3,827.56
प्रावधानों	21	267.43	0.52
वर्तमान कर देयताएं (कुल)	22	21.19	21.28
कुल वर्तमान दायित्व		4,848.01	4,872.32
कुल देनदारियों		7,780.66	7,809.77
कुल इक्विटी और देनदारियां		16,400.07	15,290.39

संलग्न नोट वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं। 1 to 40

संलग्न सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार।

बोरकर और मजुमदार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या: 101569W

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और
उनकी ओर से

सुप्रिया दीपक भट
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 048592

देबाशीष बनर्जी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 09283921

प्रकाश अग्रवाल
निदेशक वित्त एवं सीएफओ
DIN: 09666613

ई.जे. पॉल
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : FCS4521

पुणे
दिनांक - 09/08/2024

पुणे
दिनांक - 05/08/2024

लाभ और हानि विवरण

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण
(सभी राशियां करोड़ रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

	नोट	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
संचालन से राजस्व	23	7,221.58	4,652.18
अन्य आय	24	313.04	299.44
कुल आय		7,534.62	4,951.62
खर्च			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	25	3,509.98	2,650.96
कार्य-प्रगति और तैयार माल की सूची में परिवर्तन	26	191.57	(680.04)
कर्मचारी लाभ व्यय	27	2,161.34	2,041.78
वित्तीय लागत	28	2.16	-
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	29	183.19	170.04
अन्य खर्चे	30	897.31	666.99
कुल व्यय		6,945.56	4,849.73
असाधारण वस्तु से पहले लाभ		589.06	101.89
असाधारण आइटम	31	161.53	
कर पूर्व लाभ		750.60	101.89
आयकर व्यय			
- वर्तमान कर	32	64.00	17.80
- आस्थगित कर	32	127.81	10.74
कुल कर व्यय		191.81	28.54
कर के बाद लाभ		558.78	73.35
अन्य व्यापक आय	38	-	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय कुल कर		-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		558.78	73.35



Accurate. Lethal. Reliable.

	नोट	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
प्रति शेयर आय (भारतीय रुपये में)			
बेसिक और डाइल्यूटेड (प्रति शेयर नाममात्र मूल्य 10 रुपये प्रत्येक)	39	0.16	0.02

संलग्न नोट वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं। 1 to 40

संलग्न सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

बोरकर और मजुमदार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या: 101569W

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और
उनकी ओर से

सुप्रिया दीपक भट
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 048592

देबाशीष बनर्जी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 09283921

प्रकाश अग्रवाल
निदेशक वित्त एवं सीएफओ
DIN: 09666613

ई.जे. पॉल
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : FCS4521

पुणे
दिनांक - 09/08/2024

पुणे
दिनांक - 05/08/2024

नकदी प्रवाह का विवरण

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

नकदी प्रवाह का विवरण

(सभी राशियां करोड़ रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
आयकर से पहले लाभ	589.06	101.89
इसके लिए समायोजन:		
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	183.19	170.04
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर शुद्ध लाभ	(2.61)	(1.67)
प्राप्त ब्याज	(209.84)	(190.59)
राजस्व बंटवारे का प्रावधान	97.58	-
गारंटी	21.62	-
लाभांश आय	(0.09)	-
परिचालन परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन है:		
व्यापार प्राप्त्य में (वृद्धि)/कमी	(31.14)	(642.33)
इन्वेंटरी में (वृद्धि)/कमी	(208.67)	(1,367.01)
व्यापार देयताओं में वृद्धि/(कमी)	336.88	250.36
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(109.24)	(9.58)
अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	91.32	14.77
अन्य चालू एवं गैर-चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(198.60)	(493.99)
प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	261.43	(67.70)
सरकार से प्राप्त होने वाली राशि में (वृद्धि)/कमी	-	152.03
चालू देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	(718.74)	1,711.82
परिचालन से उत्पन्न नकदी	102.16	(371.96)
भुगतान किये गये आयकर	50.00	(31.38)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	152.16	(403.34)
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान	(36.48)	(61.07)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से प्राप्त आय	13.13	6.78
पूंजीगत कार्य प्रगति के लिए भुगतान	(399.90)	-475.72
अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भुगतान	(47.50)	(53.64)
प्राप्त ब्याज	209.84	190.59
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(260.91)	(393.05)

	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
लाभांश आय	0.09	-
शेयर पूंजी में वृद्धि	580.00	1,067.83
बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि	(221.00)	-
वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध नकदी	359.09	1,067.83
नकदी और नकदी समकक्ष में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	250.34	271.43
वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी समकक्ष	3,249.98	2,978.54
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	3,500.32	3,249.98

नोट 11 के अनुसार	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
बैंकों के पास शेष राशि	-	-
- चालू खातों में	244.00	244.43
- ईईएफसी खाते में	240.78	24.00
तीन महीने से कम अवधि की परिपक्वता वाली जमा राशियां	3,015.52	2,981.54
चेक हाथ में	-	-
हाथ में नकदी	0.02	0.01
कुल	3,500.32	3,249.98

अप्रयुक्त ऋण सुविधाएँ: 31 मार्च 2024 तक, इकाई के पास 2500 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त ऋण सुविधाएँ हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर निकाली जा सकती हैं। इन सुविधाओं में लेटर ऑफ़ क्रेडिट, बैंक गारंटी, मुद्रा जोखिम सीमा शामिल हैं। सभी सुविधाएँ MCLR से जुड़ी हुई हैं।

सीमा	मात्र
एसबीआई	-
FBWC स्वच्छ नकद क्रेडिट	2000
ईपीसी/पीसीएफसी/एफबीडी*	200(यूएसडी 24.08 मिलियन)
बैंक गारंटी (बीजी)	1000
साख पत्र*	1500
कैपेक्स साख पत्र*	1500
मुद्रा जोखिम सीमा (सीईएल)*	50



Accurate. Lethal. Reliable.

सीमा	मात्र
आईसीआईसीआई	-
साख पत्र	500
बैंक गारंटी*	300
कुल	2500
* एफबीडब्ल्यूसी क्लीन कैश क्रेडिट खाते की उप-सीमा	

बोरकर और मजुमदार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या: 101569W

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और
उनकी ओर से

सुप्रिया दीपक भट
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 048592

देबाशीष बनर्जी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 09283921

प्रकाश अग्रवाल
निदेशक वित्त एवं सीएफओ
DIN: 09666613

ई.जे. पॉल
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : FCS4521

पुणे
दिनांक - 09/08/2024

पुणे
दिनांक - 05/08/2024

इक्विटी के परिवर्तन का विवरण

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

इक्विटी के परिवर्तन का कथन

(सभी राशियां करोड़ रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

	नोट	राशि
	15	-
01 अप्रैल 2023 तक		33,737.66
इक्विटी शेयरों का निर्गम		577.00
31 मार्च 2024 तक		34,314.66

	नोट	राशि
	15	-
01 अप्रैल 2022 तक		1,232.31
इक्विटी शेयरों का निर्गम		32,505.35
31 मार्च 2023 तक		33,737.66

ख. अन्य इक्विटी

	नोट	व्यवसाय पुनर्गठन पर इक्विटी शेयर जारी करने के लंबित मुद्दे	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	अन्य इक्विटी			कुल
				पूंजी रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	कुल भंडार और अधिशेष	
31 मार्च 2023 तक		5.25	1,067.83	- 27,425.16	95.04	- 27,330.12	-26,257.04
वर्ष में लेन-देन		-		-	558.78	558.78	558.78
आवेदन राशि प्राप्त हुई			580.00				580.00
इक्विटी शेयरों का निर्गम			- 577.00				- 577.00
31 मार्च 2024 तक		5.25	1,070.83	- 27,425.16	653.82	- 26,771.34	- 25,695.26
31 मार्च 2022 को पुनः घोषित शेष राशि		32,510.60		(27,425.16)	21.69	(27,403.47)	5,107.13
वर्ष का लाभ				-	73.35	73.35	73.35
आवेदन राशि प्राप्त हुई		-	1,067.83	-	-	-	1,067.83
इक्विटी शेयरों का निर्गम		(32,505.35)	-	-	-	-	(32,505.35)
31 मार्च 2023 तक		5.25	1,067.83	(27,425.16)	95.04	(27,330.12)	(26,257.04)

साथ में दिए गए नोट्स इसका अभिन्न अंग हैं।

वित्तीय विवरण।

1 से 40

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार



Accurate. Lethal. Reliable.

बोरकर और मजुमदार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या: 101569W

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और
उनकी ओर से

सुप्रिया दीपक भट
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 048592

देबाशीष बनर्जी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 09283921

प्रकाश अग्रवाल
निदेशक वित्त एवं सीएफओ
DIN: 09666613

ई.जे. पॉल
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : FCS4521

पुणे
दिनांक - 09/08/2024

पुणे
दिनांक - 05/08/2024

वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

(सभी राशियाँ करोड़ रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

1. सामान्य जानकारी

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ('एमआईएल', या 'कंपनी') एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली रक्षा कंपनी है, जिसका मुख्यालय पुणे, भारत में है, जिसे 2021 में सात अलग-अलग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आयुध फैक्टरी बोर्ड के पुनर्गठन और निगमीकरण के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। एमआईएल भारतीय सशस्त्र बलों, विदेशी सेनाओं और घरेलू नागरिक उपयोग के लिए रक्षा हार्डवेयर और उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन के लिए एक एकीकृत आधार बनाता है।

2. सामग्री लेखांकन नीतियों की तैयारी और सारांश का आधार

यह नोट इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की सूची प्रदान करता है। इन नीतियों को प्रस्तुत सभी वर्षों में लगातार लागू किया गया है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.1 तैयारी का आधार

i. इंड.एस का अनुपालन

वित्तीय विवरण सभी भौतिक पहलुओं में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 [कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015] और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) का अनुपालन करते हैं।

ii. ऐतिहासिक लागत सम्मेलन

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किये गये हैं।

iii. वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III (डिवीजन II) में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकदी और नकदी समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच के समय के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू या गैर-चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 माह के रूप में निर्धारित किया है।

2.2 सामग्री लेखांकन नीतियों का सारांश

क) विदेशी मुद्रा लेनदेन

(i) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है जिसमें कंपनी काम करती है ('कार्यात्मक मुद्रा')। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है।

(ii) लेन-देन और शेष राशि

विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथियों पर विनिमय दरों का उपयोग करके कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे लेनदेन के निपटान से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ और हानि तथा वर्ष के अंत में विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के विनिमय दरों से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ और हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है और शुद्ध आधार पर लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

गैर-मौद्रिक मदें, जो विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के रूप में अंकित की जाती हैं, उन्हें लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है।

ख) राजस्व मान्यता

कंपनी अपने ग्राहक के साथ अनुबंध का लेखा-जोखा तब रखती है जब उसे दोनों पक्षों से अनुमोदन और प्रतिबद्धता प्राप्त हो, पक्षों के अधिकारों की पहचान हो, भुगतान की शर्तें निर्धारित हो, अनुबंध में वाणिज्यिक सार हो और प्रतिफल की संग्रहणीयता संभावित हो।

कंपनी द्वारा माल की बिक्री के लिए किए गए अनुबंधों में आम तौर पर एक ही निष्पादन दायित्व होता है और उन्हें एक समय-बिंदु पर मान्यता दी जाती है। वह समय-बिंदु तब निर्धारित होता है जब माल का नियंत्रण हस्तांतरित किया जाता है, जो आम तौर पर सामग्री के जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कार ग्राहकों को हस्तांतरित होने और आईएनडी एस-115 के संदर्भ में प्रदर्शन दायित्व के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा कंपनी नियंत्रण हस्तांतरित होने के समय का निर्धारण करने में माल के कानूनी स्वामित्व, भौतिक कब्जे और ग्राहक की स्वीकृति के भुगतान के अपने वर्तमान अधिकार पर भी विचार करती है।

ग) उत्पादों की खरीद

उत्पाद की खरीद के मामले में, खरीद का दायित्व तभी दर्ज किया जाता है जब उत्पाद गुणवत्ता परीक्षण में सफल हो जाता है तथा ऐसी खरीद के संबंध में सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त हो जाते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, पारगमन में रिकॉर्ड नहीं किए गए सभी सामानों को पहचानने के लिए खरीदारी में अतिरिक्त समायोजन किए गए हैं।

घ) आयकर

अवधि के लिए आयकर व्यय या क्रेडिट, वर्तमान अवधि की कर योग्य आय पर देय कर है, जो लागू आयकर दर पर आधारित है, तथा अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर हानियों के कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन द्वारा समायोजित किया जाता है।

वर्तमान आयकर प्रभार की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर कानूनों के आधार पर की जाती है।

प्रबंधन समय-समय पर उन स्थितियों के संबंध में कर रिटर्न में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन करता है जिनमें लागू कर विनियमन व्याख्या के अधीन है और विचार करता है कि क्या यह संभव है कि कराधान प्राधिकरण अनिश्चित कर उपचार को स्वीकार करेगा। कंपनी अपने कर शेष को या तो सबसे संभावित राशि या अपेक्षित मूल्य के आधार पर मापती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी विधि अनिश्चितता के समाधान की बेहतर भविष्यवाणी प्रदान करती है।

आस्थगित आयकर, देयता पद्धति का उपयोग करते हुए, परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और वित्तीय विवरणों में उनकी वहन राशियों के बीच उत्पन्न होने वाले अस्थायी अंतरों पर पूर्ण रूप से प्रदान किया जाता है। हालाँकि, आस्थगित कर देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि वे सद्भावना की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होती हैं। आस्थगित आयकर का भी हिसाब नहीं लगाया जाता है यदि यह किसी ऐसे व्यवसाय संयोजन के अलावा किसी अन्य लेनदेन में किसी परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होता है जो लेनदेन के समय न तो लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है और न ही कर योग्य लाभ (कर हानि) को। आस्थगित आयकर का निर्धारण उन कर दरों (और कानूनों) का उपयोग करके किया जाता है जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है और जब संबंधित आस्थगित आयकर परिसंपत्ति का एहसास होता है या आस्थगित आयकर देयता का निपटान किया जाता है, तो लागू होने की उम्मीद है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर हानियों के लिए तभी मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि भविष्य में कर योग्य राशियां उन अस्थायी अंतरों और हानियों का उपयोग करने के लिए उपलब्ध होंगी।

स्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब ऑफसेट किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है। वर्तमान कर परिसंपत्तियों और कर देनदारियों को तब ऑफसेट किया जाता है जब इकाई के पास ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और वह या तो शुद्ध आधार पर निपटान करना चाहती है, या परिसंपत्ति को वसूलने और देयता को एक साथ निपटाना चाहती है।

वर्तमान और स्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जब यह अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित हो। इस मामले में, कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

ड.) इवेंटरी

कच्चा माल और भंडार, प्रगति पर कार्य और तैयार माल

कच्चे माल और भंडार, प्रगति पर काम और तैयार माल को लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम पर दर्शाया जाता है। कच्चे माल की लागत में खरीद की लागत शामिल होती है। कार्य प्रगति और तैयार माल की लागत में प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और परिवर्तनीय एवं स्थिर ओवरहेड व्यय का उचित अनुपात शामिल होता है, जिसे सामान्य परिचालन क्षमता के आधार पर आवंटित किया जाता है। इन्वेंट्री की लागत में इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य सभी लागतें भी शामिल होती हैं। भारित औसत विधि पर इन्वेंट्री के अलग-अलग आइटमों को लागत सौंपी जाती है।

खरीदी गई इन्वेंट्री की लागत छूट और डिस्काउंट घटाने के बाद निर्धारित की जाती है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य है जिसमें पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागतें घटाई जाती हैं।

च) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

i. वर्गीकरण

कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती है :

- * जिन्हें बाद में उचित मूल्य पर मापा जाएगा (या तो अन्य व्यापक आय के माध्यम से, या लाभ या हानि के माध्यम से), और
- * इन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाएगा।

यह वर्गीकरण कंपनी के वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल और नकदी प्रवाह की संविदात्मक शर्तों के आधार पर किया जाता है।

उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों के लिए, लाभ और हानि को लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय में दर्ज किया जाएगा, जैसा कि चुना गया है। ऋण साधनों में निवेश के लिए, यह उस व्यवसाय मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश किया गया है।

कंपनी ऋण निवेशों को तभी पुनर्वर्गीकृत करती है जब और केवल तभी जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए उसके व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन होता है।

ii. मान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी उपकरण के संविदात्मक प्रावधानों के लिए एक पार्टी बन जाती है।

iii. माप

प्रारंभिक मान्यता पर, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को उसके उचित मूल्य पर मापती है, साथ ही, वित्तीय परिसंपत्ति के मामले में जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं है, लेनदेन लागत जो सीधे वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं। 'लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य' पर रखी गई वित्तीय परिसंपत्तियों की लेनदेन लागत को लाभ या हानि में व्यय किया जाता है।

ऋण उपकरण : ऋण साधनों का बाद का मापन परिसंपत्ति के प्रबंधन के लिए कंपनी के व्यवसाय मॉडल और परिसंपत्ति की नकदी प्रवाह विशेषताओं पर निर्भर करता है। कंपनी अपने ऋण साधनों को इस प्रकार वर्गीकृत करती है :

परिशोधित लागत : संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए रखी गई संपत्तियां, जहां वे नकदी प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके अन्य आय में शामिल किया जाता है। मान्यता समाप्त होने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को सीधे लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है और अन्य आय में प्रस्तुत किया जाता है। हानि हानि को लाभ और हानि के विवरण में एक अलग लाइन आइटम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

iv. वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी अपनी परिशोधित लागत पर रखी गई परिसंपत्तियों से जुड़ी अपेक्षित ऋण हानि का आकलन भविष्य-दृष्टि के आधार पर करती है। लागू की गई हानि पद्धति इस बात पर निर्भर करती है कि ऋण जोखिम में कोई भौतिक वृद्धि हुई है या नहीं। कंपनी इन धारणाओं को बनाने और हानि की गणना के लिए इनपुट चुनने में विवेक का उपयोग करती है, जो कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य-दृष्टि अनुमानों पर आधारित है।

केवल व्यापारिक प्राप्य के लिए, कंपनी भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा अपेक्षित सरलीकृत दृष्टिकोण को लागू करती है, जिसके अनुसार अपेक्षित आजीवन हानियों को प्राप्य की प्रारंभिक मान्यता से मान्यता दी जानी आवश्यक है।

v. वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता केवल तभी रद्द की जाती है जब

- * कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं।
 - * वित्तीय परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकारों को बरकरार रखता है, लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने का संविदात्मक दायित्व ग्रहण करता है।
- जहाँ इकाई ने किसी परिसंपत्ति को हस्तांतरित किया है, वहाँ कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित किया है। ऐसे मामलों में, वित्तीय परिसंपत्ति को मान्यता से हटा दिया जाता है। जहाँ इकाई ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं किया है, वहाँ वित्तीय परिसंपत्ति को मान्यता से नहीं हटाया जाता है।

जहाँ इकाई ने न तो वित्तीय परिसंपत्ति को हस्तांतरित किया है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है, वहाँ वित्तीय परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी जाती है यदि कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बरकरार नहीं रखा है। जहाँ कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बरकरार रखती है, वहाँ परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में निरंतर भागीदारी की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

vi. आय मान्यता

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय की गणना प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके की जाती है तथा इसे लाभ-हानि विवरण में अन्य आय के भाग के रूप में मान्यता दी जाती है।

ब्याज आय की गणना वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि पर प्रभावी ब्याज दर लागू करके की जाती है, सिवाय उन वित्तीय परिसंपत्तियों के जो बाद में ऋण क्षीण हो जाती हैं। ऋण क्षीण वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रभावी ब्याज दर वित्तीय परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि (हानि भत्ते की कटौती के बाद) पर लागू होती है।

छ) वित्तीय साधनों की भरपाई

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है, जहां मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और शुद्ध आधार पर निपटान करने या परिसंपत्ति को वसूलने और देयता को एक साथ निपटाने का इरादा है। कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए और व्यवसाय के सामान्य क्रम में और कंपनी या प्रतिपक्ष के डिफॉल्ट, दिवालियापन या दिवालियापन की स्थिति में लागू होना चाहिए।

ज) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

फ्रीहोल्ड भूमि को ऐतिहासिक लागत पर रखा जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अन्य सभी वस्तुओं को ऐतिहासिक लागत में से मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाता है। ऐतिहासिक लागत में वह व्यय शामिल होता है जो सीधे तौर पर वस्तुओं के अधिग्रहण के कारण होता है।

बाद की लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या उचित रूप से एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, केवल तभी जब यह संभावना हो कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। किसी भी घटक की वहन राशि जिसे एक अलग परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है, उसे प्रतिस्थापित किए जाने पर मान्यता से हटा दिया जाता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव उस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लाभ या हानि के लिए चार्ज किए जाते हैं जिसमें वे किए जाते हैं।

मूल्यह्रास विधियां, अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्टमूल्य

मूल्यह्रास की गणना, परिसंपत्तियों की लागतों को, उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर उनके अवशिष्ट मूल्य से घटाकर, आवंटित करने के लिए सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके की जाती है।

संपत्ति	उपयोगी जीवन अनुसूची II के अनुसार	प्रबंधन अनुमान के अनुसार उपयोगी जीवन (वर्षों में)
इमारतों	60 वर्ष	60 वर्ष
संयंत्र और मशीनरी	15 वर्ष	10-20 वर्ष
मोटर वाहन	8 वर्ष	5-7 वर्ष
फर्नीचर और फिक्सचर	5 वर्ष	3-8 वर्ष
कार्यालय उपकरण	8 वर्ष	3-7 वर्ष
कंप्यूटर हार्डवेयर		
i) सर्वर और नेटवर्क	6 वर्ष	6 वर्ष
ii) डेस्कटॉप और अन्य सहायक उपकरण	3 वर्ष	3 वर्ष

प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन और प्रबंधन के अनुमान के अनुसार कंपनी भवन, संयंत्र और मशीनरी, मोटर वाहन और अन्य उपकरणों की कुछ वस्तुओं का अनुमानित उपयोगी जीवन से अधिक मूल्यहास करती है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन से अलग है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमानित उपयोगी जीवन यथार्थवादी हैं और उस अवधि का उचित अनुमान दर्शाते हैं जिसके दौरान परिसंपत्तियों का उपयोग किए जाने की संभावना है।

परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति की मूल लागत के 5% से अधिक नहीं है। मूल्यहास की गणना मूल लागत और अवशिष्टमूल्य के शुद्ध मूल्य पर उपरोक्त तालिका में उल्लिखित उपयोगी जीवन के अनुसार की जाती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य और उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है, तथा यदि उपयुक्त हो तो उन्हें समायोजित किया जाता है।

यदि परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है, तो परिसंपत्ति की वहन राशि को तुरंत उसकी वसूली योग्य राशि में लिख दिया जाता है। जिन परिसंपत्तियों की कीमत व्यक्तिगत रूप से 10,000 रुपये या उससे कम है, उनका क्रय वर्ष में पूर्ण मूल्यहास किया जाता है।

निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण आय की वहन राशि से तुलना करके किया जाता है। इन्हें अन्य आय के अंतर्गत लाभ या हानि में शामिल किया जाता है।

झ) अमूर्त संपत्ति अर्जित अमूर्त संपत्ति

अमूर्त संपत्तियों को अधिग्रहण लागत में से संचित परिशोधन और हानि हानि, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाया जाता है। परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। यदि संपत्ति का अपेक्षित उपयोगी जीवन पिछले अनुमानों से भौतिक रूप से भिन्न है, तो परिशोधन अवधि को तदनुसार बदल दिया जाता है।

किसी अमूर्त परिसंपत्ति की सेवानिवृत्ति या निपटान से उत्पन्न लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ और हानि विवरण में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

अमूर्त परिसंपत्तियों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के तहत तकनीकी जानकारी के अधिकार शामिल हैं, जिनका परिशोधन समझौते की अवधि के दौरान किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है :

संपत्ति	उपयोगी जीवन
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3-7 वर्ष

त्र) अनुसंधान एवं विकास व्यय :

विकास लागतें जो सीधे तौर पर कंपनी द्वारा नियंत्रित पहचान योग्य और अद्वितीय अमूर्त परिसंपत्तियों के डिजाइन और परीक्षण के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है, जहां निम्नलिखित मानदंड पूरे होते हैं:

- * परिसंपत्ति को पूरा करना तकनीकी रूप से संभव है ताकि यह उपयोग के लिए उपलब्ध हो सके
- * प्रबंधन अमूर्त परिसंपत्ति को पूरा करने और उसका उपयोग करने या उसे बेचने का इरादा रखता है
- * परिसंपत्ति का उपयोग करने या उसे बेचने की क्षमता है
- * यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि परिसंपत्ति भविष्य में संभावित आर्थिक लाभ कैसे उत्पन्न करेगी
- * विकास को पूरा करने तथा परिसंपत्ति का उपयोग करने या उसे बेचने के लिए पर्याप्त तकनीकी, वित्तीय और अन्य संसाधन उपलब्ध हैं, तथा
- * परिसंपत्ति के विकास के दौरान उस पर होने वाले व्यय को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लागतें, जिन्हें अमूर्त परिसंपत्ति के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, में कर्मचारी लागतें तथा प्रासंगिक उपरिव्ययों का उचित भाग शामिल होता है।

पूंजीकृत विकास लागतों को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है तथा उस बिंदु से परिशोधित किया जाता है, जिस पर परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

अनुसंधान व्यय और विकास व्यय जो उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। विकास लागतों को पहले व्यय के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन बाद की अवधि में उन्हें परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।

ट) व्यापार और अन्य देयताएं

ये राशियाँ वित्तीय वर्ष के अंत से पहले कंपनी को प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए देनदारियों को दर्शाती हैं, जिनका भुगतान नहीं किया गया है। ये राशियाँ असुरक्षित हैं और इन्हें चालू देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीनों के भीतर भुगतान देय न हो। उन्हें शुरू में उनके उचित मूल्य पर पहचाना जाता है और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

ठ) प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

कानूनी दावों और सेवा वारंटी के प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होता है। यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। भावी परिचालन घाटे के लिए प्रावधानों को मान्यता नहीं दी जाती है।

प्रावधानों को बिना छूट वाली राशि पर मापा जाता है, क्योंकि छूट का प्रभाव भौतिक नहीं होता।

आकस्मिक देयताओं का प्रकटन तब किया जाता है जब अतीत की घटनाओं से उत्पन्न कोई संभावित दायित्व होता है, जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न घटित होने से ही होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती हैं या वर्तमान दायित्व जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होता है, जहां या तो यह संभव नहीं है कि निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी या राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ड) कर्मचारी लाभ

पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड की उत्पादन सुविधाओं के निगमीकरण पर, पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड के कर्मचारियों को रक्षा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 1(5)/2021/ओएफ/डीपी(पीएलजी-वी)/02 दिनांक 24 सितंबर, 2021 के अनुसार दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर कंपनी में स्थानांतरित कर दिया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी बने रहेंगे और इसलिए वेतन भत्ते, छुट्टी, चिकित्सा सुविधाएं और पेंशन देयता केंद्र सरकार का दायित्व बनी रहेगी। केंद्र सरकार कंपनी से प्रतिनियुक्ति शुल्क वसूलती है। व्यय के सार को देखते हुए, इन व्ययों को वित्तीय विवरणों में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

ढ) राशियों का पूर्णांकन

वित्तीय विवरणों और नोटों में प्रकट की गई सभी राशियों को अनुसूची III की आवश्यकताओं के अनुसार निकटतम करोड़ रुपये में पूर्णांकित किया गया है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

3. आलोचनात्मक आकलन और निर्णय

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए लेखांकन अनुमानों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जो परिभाषा के अनुसार, शायद ही कभी वास्तविक परिणामों के समान होंगे। प्रबंधन को कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने में भी विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता है। यह नोट उन क्षेत्रों को उजागर करता है जिनमें अधिक निर्णय या जटिलता शामिल है, और उन मदों का भी जो मूल रूप से मूल्यांकन किए गए अनुमानों और मान्यताओं से भिन्न होने के कारण भौतिक रूप से समायोजित होने की अधिक संभावना रखते हैं।

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है :

वारंटी का प्रावधान

कंपनी भारतीय सशस्त्र बलों के साथ पूर्व आयुध निर्माणी बोर्ड से हस्तांतरित किए गए माने गए अनुबंधों के विरुद्ध अपने उत्पादों पर आजीवन वारंटी प्रदान करती है। कंपनी ने पूर्व आयुध निर्माणी बोर्ड से हस्तांतरित शुद्ध परिसंपत्तियों को हस्तांतरण तिथि के अनुसार वारंटी प्रदान करके समायोजित किया, जो कि उन उत्पादों के मामले में निपटान की जाने वाली राशि के सर्वोत्तम अनुमान पर आधारित है, जिनकी शेल्फ-लाइफ हस्तांतरण तिथि तक समाप्त नहीं हुई है। राशि को हस्तांतरण की तिथि तक और भी कम कर दिया गया।

डीमंड कॉन्ट्रैक्ट के अलावा अन्य बिक्री के लिए, वारंटी के लिए प्रावधान उस अवधि के लिए मान्यता प्राप्त है जिसमें सेवा प्रदान की गई है, जो कि बीते समय के आधार पर है। कंपनी ने इस तरह के खर्च के लिए कुल बिक्री पर 1% प्रावधान की एक फ्लैट दर अपनाई है।

दीर्घकालिक अनुबंध

कंपनी के पास केवल सरकारी संस्थाओं के साथ दीर्घकालिक अनुबंध हैं। वर्ष के दौरान, सरकार ने लाभ तत्व के साथ वार्षिक सुनिश्चित मुद्रास्फीति अधिकारों के साथ मूल्य वृद्धि के रूप में राजस्व में नुकसान की भरपाई की है। इसलिए, 31 मार्च, 2024 तक कोई पूर्वानुमानित नुकसान मौजूद नहीं है।

4 (क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ

विवरण	भूमि	इमारतों	संयंत्र और मशीनरी	वाहनों	कंप्यूटर हार्डवेयर	कार्यालय फर्नीचर और फिक्स्चर	कार्यालय उपकरण	अन्य आइटम	कुल	पूँजीगत कार्य प्रगति पर
सकल वहन राशि										
समापन सकल वहन राशि	73.09	1,748.09	1,665.53	37.23	4.59	2.06	1.64		3,532.23	1,409.65
परिवर्धन	-	123.11	134.91	15.63	6.23	5.22	1.11	0.08	286.30	399.90
स्थानांतरण	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-193.16
निपटान	-	9.14	3.03	0.11	0.33	0.01	-	-	12.62	-
समायोजन	-	-6.24	54.87	15.74	0.52	0.08	0.88	-	65.86	
समापन सकल वहन राशि 31-03-2024 तक	73.09	1,855.82	1,852.28	68.50	11.01	7.35	3.63	0.08	3,871.77	1,616.39
संचित मूल्यहास										
संचित मूल्यहास का समापन	-	55.47	160.40	9.31	1.16	0.37	0.34	-	227.05	-
अवधि के लिए शुल्क	-	41.41	117.37	8.34	1.59	1.06	0.49	0.08	170.35	-
निपटान	-	0.07	2.01	0.02	0.00	-	-	-	2.10	-
समायोजन	-	50.82	47.87	13.40	0.29	-0.02	0.95	-	113.31	
संचित मूल्यहास का समापन	-	147.63	323.63	31.04	3.04	1.41	1.77	0.08	508.61	-
कुल वहन राशि	73.09	1,708.19	1,528.66	37.45	7.97	5.95	1.86	-0.00	3,363.16	1,616.39

पूँजीगत कार्य प्रगति में निम्नलिखित शामिल हैं :

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
इमारतों	739.56	786.11
संयंत्र और मशीनरी	876.83	658.47
कुल	1,616.39	1,444.58

पूँजीगत कार्य-प्रगति आयु निर्धारण अनुसूची 31 मार्च 2024 तक

विवरण	अवधि के लिए राशि सीडब्ल्यूआईपी में				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं					
बड़े कैलिबर गोला-बारूद की सुविधा	66.87	202.92	125.33	463.23	858.36
रॉकेट उत्पादन सुविधाएं	-	-	-	1.90	1.90
अन्य संयंत्र एवं उपकरण तथा भवन निर्माण कार्य प्रगति पर	254.61	227.88	155.30	118.33	756.13
कुल	321.48	430.80	280.63	583.48	1,616.39

31 मार्च 2023 तक

विवरण	अवधि के लिए राशि सीडब्ल्यूआईपी में				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं					
बड़े कैलिबर गोला-बारूद की सुविधा	20.63	70.87	159.30	105.93	356.73
रॉकेट उत्पादन सुविधाएं	-	-	1.90	5.10	7.00
अन्य संयंत्र एवं उपकरण तथा भवन निर्माण कार्य प्रगति पर	374.97	307.30	10.56	353.09	1,045.92
कुल	395.60	378.17	171.76	464.12	1,409.65

बैलेंस शीट की तिथि तक कोई भी परियोजना निलम्बित नहीं है।

कुछ परियोजनाओं का समय मूल अनुमान से अधिक हो गया है। हालांकि, इनके संशोधित समय अनुमान के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।

4. (ख) अमूर्त संपत्ति

वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ	तकनीकी ज्ञान
सकल वहन राशि	-
सकल वहन राशि	98.20
परिवर्धन	4.57
निपटान	1.50
समापन सकल वहन राशि	101.27
संचित परिशोधन	26.92
वर्ष के लिए शुल्क	11.54
संचित परिशोधन को बंद करना	38.46
शुद्ध वहन राशि	62.81
वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ	तकनीकी ज्ञान
सकल वहन राशि	-
31 मार्च 2022 तक	96.411
परिवर्धन	1.79
निपटान	-
समापन सकल वहन राशि	98.20
संचित परिशोधन	8.92
वर्ष के लिए शुल्क	18.00
संचित परिशोधन को बंद करना	26.92
शुद्ध वहन राशि	71.28

4 (ग) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रारंभिक जमा	56.46	4.61
परिवर्धन	44.53	51.85
जमा शेष	100.99	56.46

विकास के अंतर्गत अमूर्त वृद्धिगत अनुसूची 31 मार्च 2024 तक

विवरण	अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं					
उत्पादों से संबंधित प्रौद्योगिकी	44.53	56.46	-	-	100.99
कुल	44.53	56.46	-	-	100.99

31 मार्च 2023 तक

विवरण	अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं					
उत्पादों से संबंधित प्रौद्योगिकी	51.85	4.61	-	-	56.46
कुल	51.85	4.61	-	-	56.46

बैलेंस शीट की तिथि तक कोई भी परियोजना निलम्बित नहीं है।

कुछ परियोजनाओं का समय मूल अनुमान से अधिक हो गया है। हालांकि, इनके संशोधित समय अनुमान के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति में पूंजीकृत सभी व्यय अनुसंधान एवं विकास व्यय से संबंधित हैं।

5 गैर चालू निवेश

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
सहयोगी में निवेश - लागत पर किया गया		
गैर उद्धृत		
इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के 80,000 इक्विटी शेयर	0.80	0.80
कुल	0.80	0.80
उद्धृत निवेश की कुल राशि	-	-
उद्धृत निवेशों का कुल बाजार मूल्य	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि	0.80	0.80
निवेश के मूल्य में कुल हानि की राशि	-	-

कंपनी ने OFB के पुनर्गठन के एक भाग के रूप में इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड (IRRPL) में 8% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल की है। कंपनी ने खठठझड़ के निदेशक मंडल में एक निदेशक को भी नामित किया है। प्रबंधन ने निर्धारित किया है कि बोर्ड में प्रतिनिधित्व के साथ-साथ IRRPL में इक्विटी निवेश, इसे IRRPL पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता प्रदान नहीं करता है, तदनुसार प्रबंधन ने निर्धारित किया है कि यह कंपनी का सहयोगी नहीं है।

6 अन्य गैर – वर्तमान परिसंपत्ति

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
(I) पूंजी अग्रिम	7.54	10.92
(II) पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
क) सुरक्षा जमा	2.00	0
(III) अन्य गैर चालू परिसंपत्ति		
(क) अन्य दीर्घ बकाया	12.95	0
(ख) स्टॉक पाइल	18.02	30.08
कुल	40.51	41.00

7 इवेंटरी

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
कच्चा माल	3,007.09	2,606.85
कार्य प्रगति पर	1,209.13	1,387.42
तैयार माल	306.89	320.17
कुल	4,523.11	4,314.44

उपरोक्त इवेंटरी में निम्नलिखित पारगमन माल शामिल है :

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
कच्चा माल	588.80	462.84
	588.80	462.84

8 व्यापार प्राप्तियां

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त व्यापार प्राप्य – बिल किया गया	1,437.71	1,406.57
कुल	1,437.71	1,406.57

सुरक्षा विवरण का ब्यौरा

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
व्यापार प्राप्य अच्छे माने जाते हैं - असुरक्षित	1,437.71	1,406.57
कुल	1,437.71	1,406.57
कम : हानि भत्ता		
कुल व्यापार प्राप्य	1,437.71	1,406.57

31 मार्च 2024 तक

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						कुल
	देय नहीं	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
व्यापार प्राप्तियां	-	-	-	-	-	-	-
निर्विवाद व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है	-	1,194.86	68.27	148.89	25.69	-	1,437.71
कुल	-	1,194.86	68.27	148.89	25.69	-	1,437.71

31 मार्च 2023 तक

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						कुल
	देय नहीं	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
व्यापार प्राप्तियां	-	-	-	-	-	-	-
निर्विवाद व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है	0.07	287.07	1,041.71	74.18	3.70	-	1,406.72
कुल	0.07	287.07	1,041.71	74.18	3.70	-	1,406.72

9 नकद और नकद के समान

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
बैंकों के पास शेष राशि		
- चालू खातों में	244.00	244.43
- ईईएफसी खाते में	240.78	24.00
- बारह महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमा राशियां	3,015.52	2,981.54
हाथ में नकदी	0.02	0.01
कुल	3,500.32	3,249.98

10 अन्य चाल वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
सुरक्षा जमा	10.37	10.65
अन्य	3.85	16.26
सरकार से प्राप्तियाँ	116.65	204.71
कुल	130.87	231.62

अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में किराया प्राप्ति आदि शामिल हैं।

11 अन्य चाल परिसंपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
विक्रेताओं को अग्रिम राशि	831.69	648.80
पूँजी अग्रिम	5.42	
सरकारी प्राधिकारियों के साथ संतुलन	353.62	499.43
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	211.78	55.19
कुल	1,402.51	1,203.42

12 नकदी एवं बैंक शेष

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि	221.00	-
कुल	221.00	-

उपरोक्त उल्लिखित एफडी के विरुद्ध 172.33 करोड़ रुपये की राशि ग्रहणाधिकार के रूप में अंकित है।

13 इक्विटी शेयर पूँजी

(क) अधिकृत शेयर पूँजी

विवरण	शेयर की संख्या	राशि
31 मार्च 2023 तक	42,00,00,00,000	42,000.00
इस अवधि के दौरान हुए परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2024 तक	42,00,00,00,000	42,000.00

विवरण	शेयर की संख्या	राशि
31 मार्च 2022 तक	40,50,00,00,000	40,500.00
इस अवधि के दौरान हुए परिवर्तन	1,50,00,00,000	1,500
31 मार्च 2023 तक	42,00,00,00,000	42,000.00

(ख) जारी, अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी

विवरण	शेयर की संख्या	राशि
31 मार्च 2023 तक	33,73,76,60,000	33,737.66
वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन	57,70,00,000	577.00
31 मार्च 2024 तक	34,31,46,60,000	34,314.66

इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार

इक्विटी शेयरों का सममूल्य 10 रुपये होता है। वे धारक को लाभांश में भाग लेने और कंपनी के समापन की आय में हिस्सेदारी का अधिकार देते हैं, जो कि शेयरों की संख्या और उन पर भुगतान की गई राशि के अनुपात में होता है। व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा बैठक में उपस्थित प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक को एक वोट का अधिकार है, और मतदान के बाद प्रत्येक शेयर को एक वोट का अधिकार है।

(ग) कंपनी में कुल शेयरों के 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों का विवरण

	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %
भारत सरकार	34,31,46,60,000	100%	33,73,76,60,000	100%

प्रमोटर होने के नाते भारत सरकार के पास 31 मार्च 2024 तक 100% शेयर हैं।

(घ) व्यवसाय पुनर्गठन पर इक्विटी शेयर जारी करने का मामला लंबित

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रारंभिक जमा	5.25	32,510.60
व्यवसाय पुनर्गठन पर इक्विटी शेयर जारी करने का मामला लंबित	-	-
आवेदन राशि आवंटन लंबित रहने तक स्थानांतरित कर दी गई	-	-
उप-योग	5.25	32,510.60
इक्विटी शेयरों का निर्गम	-	(32,505.35)
जमा शेष	5.25	5.25

(ङ) शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
आवेदन राशि प्राप्त हुई	1,070.8	1,067.83

(च) नकदी के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए जारी किए गए शेयरों की कुल संख्या

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
व्यवसाय पुनर्गठन पर जारी इक्विटी शेयर	32,50,53,50,000	32,50,53,50,000.00

14 अन्य इक्विटी

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
पूंजी आरक्षित (क)	(27,425.16)	(27,425.16)
प्रतिधारित आय (ख)	653.82	95.04
कुल	(26,771.34)	(27,330.12)

(क) पूंजी रिजर्व

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रारंभिक जमा	(27,425.16)	(27,425.16)
व्यवसाय पुनर्गठन पर (नोट 39 देखें)	-	-
जमा शेष	(27,425.16)	(27,425.16)

(ख) प्रतिधारित आय

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रारंभिक जमा	95.04	21.69
वर्ष/अवधि के लिए लाभ	558.78	73.35
जमा शेष	653.82	95.04

पूंजी आरक्षित निधि, आयुध निर्माणी बोर्ड के व्यवसाय पुनर्गठन पर कंपनी को हस्तांतरित शुद्ध परिसंपत्तियों और जारी किए गए प्रतिफल के बीच के अंतर को दर्शाती है।

15 अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
सुरक्षा जमा देय	6.97	5.86
कुल	6.97	5.86

16 गैर-वर्तमान प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वारंटी का प्रावधान	2,783.90	2,917.62
कुल	2,783.90	2,917.62

वारंटी प्रावधानों में बदलाव

विवरण	उत्पाद वारंटी
31 मार्च 2023 तक	2,917.62
घटाएँ: अवधि के दौरान उपयोग की गई राशि	155.34
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्रावधान	21.62
31 मार्च 2024 तक	2,783.90

17 आस्थगित कर उत्तरदायित्व
शेष राशि में निम्नलिखित के कारण अस्थायी अंतर शामिल है :

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
आस्थगित कर देयताएं		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	599.58	148.37
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
वारंटी का प्रावधान	21.62	-
कर घाटा	-	110.79
धारा 43बी के तहत अस्वीकृति	14.60	0.26
एमएटी क्रेडिट पात्रता	-	23.35
नेट डी.टी.एल./ (डी.टी.ए.)	563.36	13.97
कर दर @25.168%	141.78	
डी.टी.एल. का प्रारंभिक शेष	13.97	
शुद्ध आस्थगित कर	128.58	

18 व्यापार देयताएं

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
व्यापार देयताएं		
(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसएमई)	55.63	86.09
(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा	1,099.99	734.80
कुल	1,155.62	820.89

व्यापार देयताओं को बढ़ाना

31 मार्च 2024 तक

विवरण	बिल रहित	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देयताएं	-	-	-	-	-	-	-
निर्विवाद-एमएसएमई	-	-	54.57	0.80	0.26	0.00	55.63
निर्विवाद-अन्य	-	-	858.49	193.64	30.56	4.84	1,087.53
विवादित बकाया- एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
विवादित बकाया- अन्य	-	-	-	-	-	12.46	12.46
कुल	-	-	913.06	194.44	30.82	17.31	1,155.62

31 मार्च 2023 तक

विवरण	बिल रहित	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देयताएं	-	-	-	-	-	-	-
निर्विवाद-एमएसएमई	25.81	-	46.99	0.31	0.12	-	73.23
निर्विवाद-अन्य	65.11	2.40	665.50	112.98	-	-	845.98
विवादित बकाया- एमएसएमई	-	-	-	-	-	12.86	12.86
विवादित बकाया- अन्य	-	-	0.87	-	-	-	0.87
कुल	90.92	2.40	713.35	113.28	0.12	12.86	932.93

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 ('एमएसएमईडी अधिनियम') के तहत परिभाषित सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों (एमएसएमई) को देय राशि का विवरण और एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार है :

	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को देय मूल राशि, जो वर्ष के अंत तक अदा नहीं की गई	55.63	86.09
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को देय ब्याज, जो वर्ष के अंत तक अदा नहीं किया गया	0.86	-
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान की गई मूल राशि	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान किया गया ब्याज	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अलावा भुगतान किया गया ब्याज	-	-

भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन से परे किया गया है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-
लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त शेष ब्याज	-	-
आगामी वर्षों में भी बकाया एवं भुगतान योग्य ब्याज की राशि	-	-

टिप्पणी : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकट की जाने वाली अपेक्षित सूचना का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध सीमा तक किया गया है, जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत उद्यमों के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त पुष्टियों पर आधारित है ।

19 अन्य वित्तीय देयताएं-वर्तमान

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कर्मचारियों को देय	222.32	187.87
सुरक्षा जमा देय	0.47	0.29
अन्य विविध वस्तुएं	70.01	44.77
कुल	292.80	232.93

20 अन्य वर्तमान देनदारियां

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अग्रिम प्राप्त राजस्व	2,949.73	3,299.12
वैधानिक बकाया	146.76	495.42
अन्य विविध वस्तुएं	12.33	2.16
कुल	3,108.82	3,827.56

अनुबंध देयताएं

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
व्यवसाय पुनर्गठन की अवधि के दौरान आरंभिक शेष/स्थानांतरित (नोट 39 देखें)	3,299.12	1,854.46
वर्ष में मान्यता प्राप्त राजस्व जिसे वर्ष के आरंभ में अनुबंध देयताओं में शामिल किया गया था	(2,460.22)	(1,383.16)
राजस्व में मान्यता न दिए गए निष्पादन दायित्वों के लिए वर्ष में प्राप्त नकदी या जारी किए गए चालानों के कारण वृद्धि	2,110.83	2,827.82
जमा शेष	2,949.73	3,299.12

21 प्रावधानों

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
देय सुरक्षा व्यय	103.14	-
सीएसआर प्रावधान	2.39	0.52
दर अंतर के लिए प्रावधान	161.01	-
अन्य विविध वस्तुएं	0.89	
कुल	267.43	0.52

22 वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्तमान कर प्रावधान	21.19	21.28
कुल	21.19	21.28

23 परिचालन से राजस्व

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व		
उत्पादों की बिक्री - एक निश्चित समय पर	7,141.79	4,602.83
सेवा की बिक्री	1.68	-
अन्य परिचालन राजस्व		
स्कैप की बिक्री	78.11	49.35
कुल	7,221.58	4,652.18

31 मार्च 2024 तक

विवरण	घरेलू		अन्य	कुल
	भारत सरकार		निर्यात	
	रक्षा	गैर रक्षा		
उत्पादों की बिक्री	3,684.58	1,760.37	1,696.87	7,141.83
कुल	3,684.58	1,760.37	1,696.87	7,141.83

31 मार्च 2023 तक

विवरण	घरेलू			निर्यात	कुल
	भारत सरकार		अन्य		
	रक्षा	गैर रक्षा	गैर रक्षा		
उत्पादों की ब्रिकी	3,420.47	997.40	139.42	45.54	4,602.83
कुल	3,420.47	997.40	139.42	45.54	4,602.83

24 अन्य आय

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
किराये से आय	9.22	9.96
उपयोगिता शुल्क	21.55	15.50
विविध आय	7.25	81.72
सावधि जमा पर ब्याज आय, जो परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां होने के नाते	209.84	190.59
शुद्ध विनिमय लाभ	25.08	
परिसमापन क्षति वसूली गई	20.53	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर शुद्ध लाभ	2.61	1.67
अन्य वसूली	7.29	-
निर्यात प्रोत्साहन	9.67	
कुल	313.04	299.44

25 उपभोग की गई सामग्री की लागत

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
वर्ष/अवधि के आरंभ में कच्चा माल	2,636.93	1,949.96
घटाएँ: स्टॉक में पिछले वर्ष का अवास्तविक लाभ	28.66	-
जोड़ें : खरीदारी	3,694.80	3,337.93
घटाएँ : वर्ष/अवधि के अंत में कच्चा माल	2,821.75	(2,636.93)
उपभोग की गई सामग्री की कुल लागत	3,509.98	2,650.96

26 प्रगतिरत कार्य और तैयार माल की सूची में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक जमा		
कार्य प्रगति पर	1,387.42	935.23
तैयार माल	320.17	92.32
कुल	1,707.59	1,027.55
जमा शेष		
कार्य प्रगति पर	1,209.13	1,387.42
तैयार माल	306.89	320.17
कुल समापन शेष	1,516.02	1,707.59
प्रगतिरत कार्य और तैयार माल की सूची में कुल परिवर्तन	191.57	(680.04)

27 कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ
वेतन, मजदूरी और बोनस	2,161.34	2,042.35
कुल	2,161.34	2,042.35

28 वित्तीय लागत

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
वित्तीय लागत	2.16	0.11
कुल	2.16	0.11

29 मूल्याह्रास और परिशोधन व्यय

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास	171.65	152.04
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	11.54	18.00
कुल	183.19	170.04

30 अन्या खर्चों

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
बिजली और ईंधन	122.94	87.70
परिवहन शुल्क	42.33	27.18
मुद्रण और स्टेशनरी	2.96	1.78
किराया, दरें और कर	25.93	26.23
ठेका श्रमिक	97.65	87.34
जल प्रभार	35.33	46.03
मरम्मत और रखरखाव - भवन	49.88	11.80
मरम्मत एवं रखरखाव-अन्य	7.30	19.68
मरम्मत एवं रखरखाव-पी एंड एम	4.94	2.44
यात्रा खर्च	10.62	19.47
टेलीफोन व्यय	1.62	1.87
बिजली का खर्च	41.24	57.91
आईटी व्यय	3.41	3.91
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	8.00	5.79
संपत्ति कर	29.83	3.93
सुरक्षा व्यय	234.71	206.75
शुद्ध विनिमय लाभ/(हानि)	-	13.86
प्रदर्शनी व्यय	3.87	2.04
जुर्माना, दंड और वैधानिक भुगतान	9.27	0.60
विविध व्यय	64.40	39.48
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	2.44	0.52
निर्यात आयोग	75.74	-
वारंटी व्यय	21.62	-
कुल	897.31	666.31

30 (क) लेखा परीक्षकों को भुगतान का विवरण

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ
लेखा परीक्षक के रूप में:		
वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.33	0.40
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.08	0.20
कुल	0.41	0.60

30 (ख) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर खर्च करना आवश्यक है। सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि का विवरण इस प्रकार है :

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ
(i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	2.99	0.52
(ii) व्यय की गई राशि	0.60	
– नई परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-
– उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य से	-	-
(iii) वर्ष के अंत में कमी/(अधिकता)	2.39	0.52
(iv) पिछले वर्षों की कमी/(अधिकता) का योग (जो ऊपर शामिल है)	0.15	-
(v) कमी का कारण	कंपनी ने 2.39 करोड़ रुपये की कुल कमी में से 1.73 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं, जिसे वर्ष के अंत में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और सीएसआर से संबंधित नियमों में निर्धारित समय सीमा के भीतर विशेष खाते (सीएसआर खाता) में जमा करना आवश्यक है।	
(vi) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	कंपनी प्रभावशाली सामाजिक परियोजनाएं चलाती है जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट क्षेत्रों के अनुरूप हैं, जिनमें से कंपनी ने मुख्य रूप से शिक्षा, जल संरक्षण, स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा सामुदायिक विकास के चार प्रमुख क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाएं शुरू की हैं।	

(vii) संबंधित पार्टी लेन-देन का विवरण, उदाहरण के लिए, प्रासंगिक लेखांकन मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान	लागू नहीं
(viii) जहां संविदागत दायित्व में प्रवेश करने से उत्पन्न देयता के संबंध में प्रावधान किया जाता है, वहां वर्ष के दौरान प्रावधान में हुए परिवर्तनों को अलग से दर्शाया जाना चाहिए।	लागू नहीं

31 असाधारण आइटम

विवरण	31-03-2024 तक		
	डेबिट	क्रेडिट	कुल
पूर्व अवधि के व्यय	10.60	58.61	48.01
वर्तमान परिसंपत्ति/देयताएं वापस/बट्टे खाते में डाली गई	6.11	56.46	50.35
असंगत शुल्क और कर	27.47	125.23	97.76
पीपीई में समायोजन	44.34	9.75	(34.59)
कुल	88.52	250.05	161.53

32 आयकर व्यय

लाभ और हानि सेक्शन	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
आयकर व्यय		
वर्तमान आयकर	64.00	17.80
आस्थगित आयकर	127.81	10.74
कुल	191.81	28.54

33 उचित मूल्य माप

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं

लाभ और हानि सेक्शन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वित्तीय पूंजी		
व्यापार प्राप्तियां	1,437.71	1,406.57
नकद और नकद के समकक्ष	3,500.32	3,249.98
सरकार से प्राप्त्य	-	204.71
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	130.87	26.91
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	5,068.90	4,888.17

लाभ और हानि सेक्शन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वित्तीय देनदारियां		
व्यापार देयताएं	1,157.77	820.89
सुरक्षा जमा	7.44	6.15
कर्मचारियों को देय	222.32	187.87
अन्य विविध देयताएं	70.01	14.43
कुल वित्तीय देयताएं	1,457.54	1,029.34

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

परिशोधित लागत पर रखे गए सभी वित्तीय साधनों के उचित मूल्य उनकी अग्रणीत राशि से भौतिक रूप से भिन्न नहीं होते हैं, क्योंकि वे या तो अल्पकालिक प्रकृति के होते हैं या लागू ब्याज दर वर्तमान बाजार ब्याज दर से भौतिक रूप से भिन्न नहीं होती है।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य और अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य की श्रेणी के अंतर्गत मापे गए कोई वित्तीय साधन नहीं हैं।

34 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

अपने कारोबार के दौरान, कंपनी मुख्य रूप से बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और ऋण जोखिम के संपर्क में रहती है, जो कंपनी के वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को प्रभावित कर सकती है।

कंपनी के पास एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो न केवल विदेशी मुद्रा जोखिमों को

बल्कि वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों से जुड़े अन्य जोखिम जैसे क्रेडिट जोखिम को भी कवर करती है। जोखिम प्रबंधन नीति को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

क क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम, प्रतिपक्ष द्वारा संविदात्मक शर्तों के अनुसार ऋण चुकाने या सेवा करने में विफलता से उत्पन्न वित्तीय हानि का जोखिम है।

क्रेडिट जोखिम में चूक का प्रत्यक्ष जोखिम और ऋण-योग्यता के गिरावट का जोखिम दोनों शामिल हैं।

कंपनी का क्रेडिट जोखिम मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य, नकदी और बैंक शेष तथा अन्य प्राप्य से उत्पन्न होता है।

व्यापार प्राप्तियों की महत्वपूर्ण राशि सरकार/सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) से बकाया है।

जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को ऐसी प्राप्ति से जुड़ा कोई क्रेडिट जोखिम नहीं है। गैर-सरकारी होने की स्थिति में व्यापार प्राप्य में, बिक्री आम तौर पर ग्राहक द्वारा स्थापित क्रेडिट कार्ड के आधार पर की जाती है, जिससे क्रेडिट जोखिम कम हो जाता है।

कंपनी को आमतौर पर बैंक गारंटी के विरुद्ध 60% अग्रिम भुगतान प्राप्त होता है, जो व्यापार प्राप्य क्रेडिट जोखिम को और अधिक सुरक्षित बनाता है।

क्रेडिट जोखिम का प्रकटन

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि अधिकतम ऋण जोखिम को दर्शाती है। ऋण जोखिम के लिए अधिकतम जोखिम, बैंक के पास शेष राशि, बैंकों के पास अल्पावधि जमा, व्यापार प्राप्य और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि का कुल योग है

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में खुलासा किया जाता है। विवरण के लिए प्रासंगिक नोट देखें।

ख लिक्विडिटी जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और जमा बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने और दायित्वों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता तथा एक सुरक्षित तरलता प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से वित्त पोषण की उपलब्धता बनाए रखना है।

अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी ग्राहकों से अग्रिम के रूप में ऑर्डर मूल्य का 60% प्राप्त करने के बाद माल के उत्पादन के लिए ऑर्डर स्वीकार करके कार्यशील पूंजी का प्रबंधन करके धन की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की लिक्विडिटी स्थिति और नकदी एवं नकदी समकक्षों के रोलिंग पूर्वानुमानों पर नज़र रखता है।

कंपनी की लिक्विडिटी प्रबंधन नीति में नकदी प्रवाह का अनुमान लगाना और इसे पूरा करने के लिए नकदी प्रवाह के स्तर पर विचार करना शामिल है।

कंपनी अपने अधिशेष धन को बैंक सावधि जमा में निवेश करती है।

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

- (i) नीचे दी गई सारणी कंपनी की वित्तीय देनदारियों का उनके संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में विश्लेषण करती है :

तालिका में बताई गई राशियाँ अनुबंधित छूट रहित नकदी प्रवाह हैं। 12 महीनों के भीतर देय शेष राशि उनके वहन शेष के बराबर होती है क्योंकि छूट का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होता है।

31 मार्च 2024 तक	कुल	3 महिने से कम	3 से 12 महिने	1 से 5 वर्ष	5 वर्ष
व्यापार देयताएं	1,157.77	-	1,157.77	-	-
सुरक्षा जमा	7.44	0.47	7.44	6.97	-
कर्मचारियों को देय	222.32	222.32	-	-	-
अन्य विविध वस्तुएं	70.01	70.01	-	-	-
कुल	1,457.54	292.80	1,165.21	6.97	-

31 मार्च 2023 तक	कुल	3 महिने से कम	3 से 12 महिने	1 से 5 वर्ष	5 वर्ष
व्यापार देयताएं	820.89	171.19	649.70	-	-
सुरक्षा जमा	6.15	-	-	3.60	-
कर्मचारियों को देय	187.87	73.49	114.38	-	-
अन्य विविध वस्तुएं	14.43	14.43	-	-	-
कुल	1,029.34	259.11	764.08	3.60	-

ग बाजार जोखिम

बाजार जोखिम भविष्य की आय, प्राप्त होने योग्य उचित मूल्यों या भविष्य के नकदी प्रवाह में किसी भी नुकसान का जोखिम है जो कि बाजार मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप हो सकता है। किसी वित्तीय साधन का मूल्य। विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, इक्विटी और अन्य बाजार परिवर्तनों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वित्तीय साधन का मूल्य बदल सकता है। भविष्य के विशिष्ट बाजार गतिविधियों का सामान्य रूप से उचित सटीकता के साथ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेनदेन करती है और मुख्य रूप से यूएसडी, यूरो और एसईके के संबंध में विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और ऐसी मुद्रा में मूल्यांकित मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों-देनदारियों से उत्पन्न होता है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (आईएनआर) नहीं है। कंपनी के आयात और निर्यात दोनों ही लेन-देन विदेशी मुद्राओं में होते हैं। आयात निर्यात से अधिक है और इसलिए कंपनी के पास निर्यात की तुलना में खरीद की सीमा तक विदेशी मुद्रा का जोखिम है।

कंपनी जिन मुद्राओं के संपर्क में है, वे बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव के अधीन नहीं हैं। हालाँकि, प्रबंधन इन मुद्राओं में होने वाले उतार-चढ़ाव पर बारीकी से नज़र रखता है और कंपनी को उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ज़रूरी कदम उठाता है।

लाभ और हानि सेक्शन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वित्तीय पूंजी		
व्यापार प्राप्तियां		
यूरो	2.34	-
यूएसडी	587.26	-
बैंक बैलेंस		
यूएसडी	24.00	24.00
विदेशी मुद्रा जोखिम (परिसंपत्तियों) में शुद्ध जोखिम	613.59	24.00
व्यापार देयताएं		
यूरो	(2.88)	-6.20
यूएसडी	60.79	-
पूंजी श्रणदाता		
यूरो	-	(0.11)
विदेशी मुद्रा जोखिम (देनदारियों) के प्रति शुद्ध जोखिम	57.91	(6.31)

वर्ष के अंत में देय/प्राप्य शेष के संबंध में विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रति लाभ या हानि की संवेदनशीलता निम्नानुसार है:

	लाभ पर प्रभाव	लाभ पर प्रभाव
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
5% की वृद्धि*		
यूरो	(0.14)	(0.32)
यूएसडी	1.20	1.20
5% की कमी*		
यूरो	0.14	0.32
यूएसडी	(1.20)	(1.20)
*अन्य सभी चरों को स्थिर रखते हुए		

35 पूंजी प्रबंधन

पूंजी प्रबंधन करते समय कंपनी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की उनकी क्षमता की रक्षा करना, ताकि वे शेयरधारकों को लाभ और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान करना जारी रख सकें, तथा
- पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखें।

पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकती है, नए शेयर जारी कर सकती है। कंपनी वार्षिक परिचालन योजनाओं और दीर्घकालिक परियोजनाओं और अन्य रणनीतिक निवेश योजनाओं के आधार पर आवश्यक पूंजी की मात्रा निर्धारित करती है। फंडिंग आवश्यकताओं को इक्विटी के माध्यम से पूरा किया जाता है।

36 (क) सेगमेंट रिपोर्टिंग

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने संशोधित अधिसूचना संख्या 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के तहत रक्षा उत्पादन में लगी कंपनियों को सेगमेंट रिपोर्टिंग की आवश्यकता से छूट दे दी है।

(ख) (i) कर्मचारी लाभ दायित्व के लिए प्रावधान

पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) की उत्पादन और गैर-उत्पादन सुविधाओं के निगमीकरण पर, पूर्ववर्ती ओएफबी के कर्मचारियों को रक्षा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 1(5)/2021/ओएफ/डीपी(पीएलजी-वी)/02 दिनांक 24 सितंबर, 2021 के अनुसार दो साल की प्रारंभिक अवधि के लिए डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर कंपनी में स्थानांतरित किया गया है। उक्त ओएम के अनुसार, ऐसे सभी कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी बने रहेंगे और इसलिए उनके संबंधित कुछ वेतन भत्ते, छुट्टी, चिकित्सा सुविधाएं और पेंशन देयता केंद्र सरकार का दायित्व बनी रहेगी। चूंकि कंपनी को इन दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए IND-AS 19 के अनुसार कुछ कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान, जैसे कि ग्रेज्युटी, छुट्टी नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ और भत्ते के लिए प्रावधान, वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

(ख) (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 का गैर-अनुपालन

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 और धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को क्रमशः स्वतंत्र निदेशकों और कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति तथा लेखा परीक्षा समिति का गठन करना होगा। हालांकि, एक सरकारी कंपनी और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई होने के नाते, कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक सहित निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करना आवश्यक होगा। ऐसी प्रक्रियाओं के लंबित होने के कारण, कंपनी महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने में सक्षम नहीं थी। कंपनी ने एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है जो अधिनियम की धारा 177 और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन नहीं करती है। बीओडी की संरचना कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में नहीं है। कंपनी ने गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के खंड VII का भी अनुपालन नहीं किया है। प्रबंधन का मानना है कि उपर्युक्त गैर-अनुपालन के लिए वित्तीय विवरणों में भौतिक समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।

37 संबंधित पार्टी लेनदेन कंपनी का नियंत्रण भारत सरकार के पास है।

संबंधित पक्षों के नाम और उनसे संबंध की प्रकृति

(ए) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री रवि कांत	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01/04/2023 से 29/02/2024 तक)
श्री रवि कांत	निदेशक/संचालन (01/07/2023 से 29/2/2024 तक)
श्री देवाशीष बनर्जी	निदेशक/मानव संसाधन (01/04/2023 से 31/03/2024 तक)
श्री देवाशीष बनर्जी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01/03/2024 से 31/03/2024 तक)
श्री एस.के. राउत	निदेशक/संचालन (1/4/2023 से 30/6/2023 तक)
श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक/वित्त/सीएफओ (01/04/2023 से 31/03/2024 तक)
श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक/संचालन (01/03/2024 से 31/03/2024 तक)
श्री ई.जे. पॉल	कंपनी सचिव (01/04/2023 से 31/03/2024 तक)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का मुआवजा	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
अल्पावधि कर्मचारी	1.54	1.86
कुल	1.54	1.86

- (ख) चूंकि म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के नियंत्रण में एक सरकारी इकाई है, इसलिए कंपनी ने सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ संबंधित पार्टी लेनदेन के संबंध में इंड एस 24 के तहत आवश्यक विस्तृत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त की है।
हालांकि, भारतीय लेखा मानक 24 के तहत अपेक्षित, निम्नलिखित व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन हैं: कंपनी के टर्नओवर और व्यापार प्राप्तियों का लगभग 75% और ग्राहक अग्रिमों का 75% सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के संबंध में हैं।

38 आकस्मिक देयताएं

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
कानूनी दावों में वेतन और भत्ते के लिए अदालती मामले, अनुशासनात्मक मामलों में जुर्माना, खरीद में मध्यस्थता और वेतन निर्धारण आदि शामिल हैं।	10.50	5.90
कानूनी दावों में वेतन और भत्ते, खरीद में मध्यस्थता, वेतन निर्धारण और जीएसटी विभाग आदि के लिए अदालती मामले शामिल हैं।	15.01	18.51
बैंक गारंटी	184.95	-
साख पत्र	945.58	-
कुल	1,156.04	24.41

ऊपर शामिल 172.33 करोड़ रुपये की राशि के साख पत्र के विरुद्ध सुरक्षा के लिए नोट संख्या 14 देखें। यह मंजूरी एसबीआई द्वारा प्रदान की गई सुविधा से है।

39 प्रति शेयर आय

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
(क) प्रति शेयर मूल आय		
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ, जिसका उपयोग प्रति शेयर मूल आय की गणना में किया जाता है	558.78	73.35
प्रति शेयर मूल आय की गणना में हर के रूप में इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग किया जाता है।	34,24,03,61,370	34,16,01,86,294
प्रति शेयर मूल आय (रुपये में)	0.16	0.02
(ख) प्रति शेयर डायलूटेड आय		
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ का उपयोग प्रति शेयर आय की गणना में किया जाता है	558.78	73.35
प्रति शेयर डायलूटेड आय की गणना में हर के रूप में इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग किया जाता है	34,77,43,75,753	34,16,01,86,294
प्रति शेयर डायलूटेड आय (रुपये में)	0.16	0.02

40 अनुसूची III द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त विनियामक जानकारी

(क) वित्तीय मुख्य बिंदु

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	विचरण %
क	लाभ और हानि का विवरण			
1	परिचालन से राजस्व	7,221.58	4,652.18	55%
2	अन्य कमाई	313.04	299.44	5%
	कुल आय	7,534.62	4,951.62	52%
3	कुल व्यय	6,784.02	4,849.73	40%
	कर पूर्व लाभ	750.60	101.89	637%
	कर के बाद लाभ	558.78	73.35	662%
	प्रति शेयर आय	0.16	0.02	660%

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	विचरण %
ख	तुलन पत्र			
	संपत्ति			
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/ अमूर्त परिसंपत्ति/ सीडब्ल्यूआईपी	5,143.24	4,842.56	6%
2	सूची	4,523.11	4,314.44	5%
3	निवेश	0.80	0.80	0%
4	अन्य परिसंपत्ति	1,443.02	1,244.42	16%
5	वित्तीय पूंजी	5,068.90	4,683.46	8%
	कुल	16,179.07	15,085.67	7%
	देयताएं			
6	हिस्सेदारी	8,619.40	7,480.62	15%
7	गैर चालू देयता	2,932.65	2,937.45	0%
8	वर्तमान देनदारियां	4,848.01	4,872.32	0%
	कुल	16,400.07	15,290.39	7%

(ख) वित्तीय अनुपात

क्र.सं.	अनुपात	न्यूमेरेटर	डिनामिनेटर	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	% भिन्नता	भिन्नता का कारण
				अनुपात	अनुपात		
1.	वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	2.31	2.14	8%	यह लागू नहीं होगा क्योंकि अंतर 25% से कम है
2.	इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	करों के बाद शुद्ध लाभ	शेयरधारक निधि	6.48%	0.98%	561%	परिचालन से प्राप्त राजस्व में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप परिचालन लाभ हुआ है
3.	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की कीमत	औसत इन्वेंटरी	0.84	0.54	54%	परिचालन से राजस्व में वृद्धि के कारण, बेची गई वस्तुओं की लागत में भी वृद्धि हुई है।

क्र.सं.	अनुपात	न्यूमेरेटर	डिनामिनेटर	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	% भिन्नता	भिन्नता का कारण
				अनुपात	अनुपात		
4.	व्यापार प्राप्त टर्नओवर अनुपात	परिचालन से राजस्व(सकल)	औसत व्यापार प्राप्त	5.08	4.29	18%	यह लागू नहीं होगा क्योंकि अंतर 25% से कम है
5.	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध ऋण खरीद	औसत व्यापार देय	1.50	1.92	-22%	यह लागू नहीं होगा क्योंकि अंतर 25% से कम है
6.	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	परिचालन से राजस्व(सकल)	चालू संपत्तियां चालू दायित्व	1.13	0.84	35%	यह वृद्धि परिचालन से प्राप्त राजस्व में वृद्धि के कारण हुई है
7.	शुद्ध लाभ अनुपात	करों के बाद शुद्ध लाभ	परिचालन से राजस्व (सकल)	7.74%	1.58%	391%	परिचालन से प्राप्त राजस्व और परिचालन लाभ में वृद्धि के कारण करों के बाद शुद्ध लाभ में भी वृद्धि हुई है।
8.	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले की कमाई	कुल संपत्ति - चालू और गैर-चालू देयताएं	6.86%	1.36%	404%	परिचालन से राजस्व में वृद्धि के कारण, EBITDA में वृद्धि हुई है।
9.	निवेश पर प्रतिफल	ब्याज और करों से पहले की कमाई	कुल संपत्ति	3.60%	0.67%	441%	परिचालन से राजस्व में वृद्धि के कारण, EBITDA में वृद्धि हुई है।

नोट: निम्नलिखित अनुपातों का प्रकटन नहीं किया गया है क्योंकि वे कंपनी पर लागू नहीं हैं

ऋण इक्विटी अनुपात

कर्ज सेवा कवरेज अनुपात

(ग) अन्य विनियामक जानकारी

(i) अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख जो कंपनी के नाम पर नहीं हैं।

वित्तीय विवरणों में उल्लिखित सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं, सिवाय संबंधित निर्माणियों के स्थान पर स्थित 42735 एकड़ भूमि के, जो अभी भी आयुध निर्माणी बोर्ड के नाम पर हैं और हस्तांतरण प्रक्रिया प्रगति पर है।

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	72.43	आयुध निदेशालय	नहीं	सितंबर 09, 2021	आयुध निदेशालय से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है

- (ii) कंपनी रजिस्ट्रार के साथ शुल्क या संतुष्टि का पंजीकरण
ऐसे कोई भी शुल्क या संतुष्टि नहीं हैं जिन्हें वैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत किया जाना बाकी है।
- (iii) बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए उधार का उपयोग। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया गया है।
- (iv) बेनामी संपत्ति का ब्यौरा
बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।
- (v) चालू परिसंपत्तियों के विरुद्ध सुरक्षित उधार
कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है।
- (vi) जानबूझकर चूककर्ता
कंपनी की किसी भी इकाई को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- (vii) हटाई गई कंपनियों के साथ संबंध
कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी द्वारा हटाई गई कंपनियों को मान्य करने की प्रक्रिया नहीं की गई है।
- (viii) कंपनियों की स्तरों की संख्या का अनुपालन
कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित स्तरों की संख्या का अनुपालन किया है।
- (ix) व्यवस्था की अनुमोदित योजना(ओं) का अनुपालन
कंपनी ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है जिसका चालू अवधि पर लेखांकन प्रभाव हो।
- (x) उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग
कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) को इस समझ के साथ अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ:

- क. कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देना या निवेश करना (अंतिम लाभार्थी) या
- ख. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की सुविधा प्रदान करना
- कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (निधि देने वाला पक्ष) भी शामिल हैं, कोई निधि प्राप्त नहीं की है, इस समझ के साथ (चाहे लिखित में दर्ज हो या अन्यथा) कि कंपनी:
- क. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधि देने वाले पक्ष (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी, या
- ख. अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगी।
- (xa) इकाइयों द्वारा रिपोर्ट किए गए रिटर्न के लेखापरीक्षित आंकड़ों को भारतीय लेखा मानक रिपोर्टिंग के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरणों में एकरूपता लाने के लिए यथासंभव पुनर्समूहित किया गया है।
- (xi) अघोषित आय
आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में चालू अवधि के दौरान कोई भी आय समर्पित या आय के रूप में प्रकट नहीं की गई है, जिसे लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है।
- (xii) क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण
कंपनी ने चालू अवधि के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।
- (xiii) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यांकन
कंपनी ने चालू अवधि के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या अमूर्त परिसंपत्तियों या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (xiv) कंपनी का सरकारी सशस्त्र बलों और अन्य डीपीएसयू के साथ प्रमुख लेन-देन है। उनके पास/उनसे बकाया शेष (व्यापार देय/व्यापार प्राप्य आदि के अंतर्गत शामिल) और कुछ अन्य बकाया क्रेडिट और डेबिट शेष पुष्टि/समाधान के अधीन हैं। यदि कोई समायोजन होता है, तो निपटान पर उसका कोई महत्व नहीं होगा और जब भी उसका पता लगाया जाता है, तो उसका हिसाब लगाया जाता है।
- ग वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति की पुष्टिकरण के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को यथासंभव पुनः समूहीकृत किया गया।



Accurate. Lethal. Reliable.

(घ) भावी पूंजी प्रतिबद्धता

विवरण	2023-2024 के लिए भावी पूंजी प्रतिबद्धता	2022-2023 के लिए भावी पूंजी प्रतिबद्धता
प्रतिबद्ध दायित्व	2,367.50	2,580.64

बोरकर और मजुमदार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से
तथा के लिए
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या: 101569W

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए तथा
उनकी ओर से

सुप्रिया दीपक भट
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 048592

देबाशीष बनर्जी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 09283921

प्रकाश अग्रवाल
निदेशक वित्त एवं सीएफओ
DIN: 09666613

ई.जे. पॉल
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : FCS4521

पुणे
दिनांक - 09/08/2024

पुणे
दिनांक - 05/08/2024

म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड



Munitions India Limited
विनाशाय दुष्कृताम्

Accurate. Lethal. Reliable.

निगमित कार्यालय पता : दूसरी मंजिल, न्याति युनिट्री, नगर रोड,
येरवडा, पुणे - 411 006.